द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३५

सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१
१३ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१—४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७ .	३६५६–९३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६९३–९५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६९५–९६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन . .	३६९६–९७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य .	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा . .	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२) . .	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरः स्थापित और पारित .	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी श्रेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७ . .	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८-०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९-५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९-३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४-५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५-५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८-६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३-८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७-८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८-९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७-४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४-३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८-३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५—सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति	४१६४–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची

	पृष्ठ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	४१६८
लोक-लेखा समिति . . .	४१६८
पैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तीसवां प्रतिवेदन	४१६९
अनुदानों की मांगें	४१६९–४२११
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४१६९–४२१२
दैनिक संक्षेपिका	४२१२–१७
अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ .	४२१९–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५	४२४५–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . .	४२५२–७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . .	४२७८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४२७८–७९
राज्य सभा से सन्देश	४२७९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया।	४२७९
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन .	४२७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तेईसवां प्रतिवेदन	४२७९
सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . .	४२८०–८१
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	४२८१–८२
अनुदानों की मांगें	४२८२–४३२७
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४२८२–४३३४
दैनिक संक्षेपिका	४३३५–३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन .	४६७४
अनुपस्थिति की अनुमति	४६७४—७५
समितियों के लिये निर्वाचन	४६७५—७६
१. प्राक्कनल समिति	४६७५
२. लोक लेखा समिति	४६७५—७६
लोक लेखा समिति—	
राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . .	४६७७
अनुदानों की मांगें	४६७७—४७०६
परिवहन तथा संचार मंत्रालय	४६७७—८१
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४६८१—४७०६
तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का) विचार करने का प्रस्ताव	४७०७—१९
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक—	
(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . .	४७१९—२१
विचार करने का प्रस्ताव	४७१९—२१
आधे घंटे की चर्चा	४७२१—२६
दैनिक संक्षेपिका	४७२७—३३

अंक ४०—सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२	४७३५—५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४	४७५६—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२	४७५७—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . .	४७६५—९२
निधन सम्बन्धी उल्लेख . . .	४७९२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	४७९२
कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य	४७९२—९३
जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	४७९३—९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१

१३ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पिछड़े क्षेत्र

*१२५७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसरण में विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों और उनकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अध्ययन दल की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अब इस समस्या को हल करने के लिये योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्रादेशिक विकास की समस्याओं के विधिवत अध्ययन के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है ।

(ख) इस दल ने जो अध्ययन किये हैं वे एक क्रमिक ढंग के हैं और जब जब वे तैयार होते जायेंगे तब तब योजना आयोग को मिलते रहेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अब तक पांच साल हो गये पर इस कार्यकारी दल ने अभी तक अपना कोई काम नहीं किया । इसका क्या कारण है ?

श्री ल० ना० मिश्र : पांच वर्ष तो नहीं हुए इसे गठित हुए अभी साढ़े भरसे भी कम हुआ है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : पहली योजना में यह कहा गया था कि इस प्रकार का कारी दल नियुक्त किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष तक यह दल क्यों नियुक्त नहीं किया गया ?

श्री ल० ना० मिश्र: इस के गठन को अभी एक साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है । यहां इसके बारे में बहस हुई थी उसके अनुसार इसका गठन किया गया था । इस को अभी साल भर नहीं हुआ है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इन क्षेत्रों का राज्यवार सीमांकन करने का कोई यत्न किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** वह इन सभी समस्याओं पर विचार कर रहा है । जैसा कि सभा को ज्ञात है, इस सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न थे और उन सभी पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या किसी परामर्श दात्री समिति की स्थापना के लिये सरकार किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अभी नहीं । उन्होंने अभी तक किसी भी परामर्शदात्री समिति की स्थापना के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है ।

†**श्री बासप्पा :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारत के पश्चिमी तट पर मलनाद में बहुत से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । क्या उनके सुधार के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** देश में बहुत से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । मैं किसी विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** इस दल द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सदस्यों की तीन बार बैठकें हुई हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में विचार किया है, परन्तु कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

†**श्री मणिवंगाडन :** किसी भी क्षेत्र का निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि क्या वह पिछड़ा हुआ है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक सदस्य जानता है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्या होता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यकारी दल संसद् सदस्यों से या स्थानीय प्रतिनिधियों से भी परामर्श करके इस कार्य को करेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो अध्ययन के लिये है । लेकिन हमने सुना है कि योजना मंत्री हाल ही में कुछ संसद् सदस्यों के इस विषय में बात करना चाहते हैं और उनकी बात इस विषय में संसद् सदस्यों से होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रेफाइट संयंत्र

+

†*१२५८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'रिएक्टर ग्रेड' और 'कमर्शियल ग्रेड' ग्रेफाइट का उत्पादन करने के लिये संयंत्र लगाने की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :सरकार ने पैट्रोलियम कोक तथा कुछ एक विशेष ग्रेफाइट उत्पादों आदि के निर्माण के लिये एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री बी० हिम्मतसिंह का की प्रस्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। निर्माण सम्बन्धी कार्य-क्रम के ब्यौरे और विदेशी सहयोग के लिये प्रबन्ध आदि अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट उत्पादों और कोक पेस्ट के व्यापारिक उत्पादन के लिये मेसर्स बंगूर ब्रादर्स से प्राप्त एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : ये कारखाने किस किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पहला कारखाना संभवतः आसाम में स्थापित किया जायेगा। दूसरे कारखाने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : ये कारखाने सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ? सरकार ने इन कारखानों को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की जरूरत का अनुभव क्यों किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्पष्टतया सरकारी क्षेत्र का कार्यक्रम पर्याप्त व्यापक है और अधिकांश संसाधन उपलब्ध हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र भी पर्याप्त व्यापक है और हम इन कारखानों की स्थापना के लिये उस क्षेत्र को अनुमति दे रहे हैं।

†**श्री बी० चं० शर्मा**: गैर-सरकारी क्षेत्र के इन कारखानों के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति क्या होगी ? क्या सरकार उनके द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त किये जाने वाले विदेशी धन के लिये गारंटी देगी ? अथवा क्या सरकार स्वयं अपनी ओर से उन्हें कोई अग्रिम राशि देगी।

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें नहीं हैं। उन्हें भी उन्हीं अनेकों उद्योगों के समान ही समझा जायेगा जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : रीएक्टर ग्रेड के ग्रेफाइट का कितना उत्पादन किया जायेगा और व्यापारिक ग्रेड के ग्रेफाइट का कितना उत्पादन किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दोनों के पृथक्-पृथक आंकड़े ज्ञात नहीं हैं। कुल ३६०० टन का उत्पादन किया जायेगा जिसमें से अधिकांश भाग व्यापारिक ग्रेड का होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : कारखाने को आसाम में स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय किया है या कि हिम्मतसिंगका ने किया है ? यदि सरकार ने किया है तो सरकार ने स्थानीय उद्योग पतियों को यह कारखाना स्थापित करने की अनुमति क्यों नहीं दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक पैट्रोलियम कोक के लिये स्थान का सम्बन्ध है, उस पार्टी ने ही इस बारे में निर्णय किया है। जहां तक आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है, हम विभिन्न राज्यों के आधार पर उन पर विचार नहीं करते। परन्तु यदि कोई उपक्रमी कोई कारखाना स्थापित करना चाहता है और राज्य सरकार उस योजना का समर्थन करती है तो हम भी निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रियायें अपनाई जाती हैं, इन कारखानों के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक इस कारखाने का सम्बन्ध है विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में शर्तें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। परन्तु यदि किसी अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त परियोजना के लिये हमसे सहायता मांगी गयी तो हम विदेशी मुद्रा अवश्य देंगे।

सिक्किम में रेडियो स्टेशन

\+

१२५९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १४ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है;

(ख) उसके कब तक पूर्णतया स्थापित हो जाने की आशा की जाती है; और

(ग) उस रेडियो स्टेशन से कौन से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : (क) और (ख). उपयुक्त स्थान चुनने के लिये किए गए तकनीकी सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र के लिये कुरसियोंग में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया गया है। आशा है कि यह स्टेशन १९६१-६२ में कार्य करने लगेगा।

(ग) कुरसियोंग स्टेशन से जो कार्यक्रम प्रसारित होंगे उनका ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : कुरसियोंग सिक्किम में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सिक्किम में रेडियो स्थापित करने पर विचार किया जा रहा था तो सिक्किम के बजाए इसको कुरसियोंग में क्यों स्थापित किया गया?

श्री आ० चं० जोशी : टकनिकल सर्वे के बाद इंजिनियर्स की यह राय हुई कि इसको कुरसियोंग में लोकेट किया जाए तो अच्छा होगा। दारजिलिंग और सिक्किम एरिया की सरविस के लिए यह स्टेशन बनाया गया है। कुरसियोंग में लोकेट करने से यह चारों ओर सरविस कर सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : इस रडियो स्टेशन के कार्यक्रम में वहां के स्थानीय लोगों की भाषा और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए कितना समय निश्चित होगा?

श्री आ० चं० जोशी : यह तो अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना कितना समय वहां की विभिन्न भाषाओं के लिए दिया जाएगा परन्तु यह निश्चित है कि स्थानीय भाषाओं में ब्राडकास्ट किया जाएगा। किन-किन भाषाओं के लिए कितना कितना समय निश्चित किया जाएगा यह ो रेडियो स्टेशन बन जाने के बाद ही निश्चय किया जाएगा।

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या यह सच नहीं है कि सिक्किम के महाराजा ने अपने राज्य में एक व्यापारिक रेडियो स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया था और यदि भारत सरकार उसे स्वीकार कर लेती तो उससे उनकी बचत हो ग ी होती?

†**श्री आ० चं० जोशी :** मुझे इस बार में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : चीनी रेडियो द्वारा बोरडर में भारत वि ोधी प्रचार किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रेडियो स्टेशन जो कि कुरसियोंग में स्थापित किया जाएगा इसके द्वारा उस चीनी प्रचार का खंडन किया जाएगा अथवा नहीं?

श्री आ० चं० जोशी : यह रेडियो स्टेशन कुरसियोंग में होम सरविस के लिए स्थापित किया जा रहा है और यह दारजिलिंग और सिक्किम के एरिया की सेवा करेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा मतलब यह था कि चीन जो हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है उसका हमा ी तरफ से कोई खंडन रेडियो द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारे रेडियो द्वारा जो समाचार प्रसारित ोते हैं उनका चीनी रेडियो खंडन करता है और उनको काटता भी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में सरकार कोई कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री डी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि इस रेडि ो स्टेशन के वास्ते जो ट्रांसमिटर होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी और आया वह ट्रांसमिटर मंगवा लिया गया है या अभी मंगवाना है?

श्री आ० चं० जोशी : यह जो ट्रांसमिटर लगाया जाएगा यह शार्टवेव का ट्रांसमिटर होगा क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। और यह उतनी स्ट्रेंथ का होगा जितना उस एरिया को कवर करने के लिए जरू ी होगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी निश्चित नहीं हुआ है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस रेडियो स्टेशन की स्थापना में क्या इसका पूरा खर्चा भारत सरकार देगी या सिक्किम दरबार से भी कुछ सहयोग या सहायता मिल रही है?

श्री आ० चं० जोशी : इसका पूरा खर्चा भारत सरकार लगायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

टायरों का आयात

†*१२६१ { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी और हल्की दोनों किस्म की गाड़ियों के टायरों के आयात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) टायरों के मामले में देश को जल्दी ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) फिलहाल यही अनुमान है कि स्वदेशी उत्पादन और मांग में १.२ लाख टायरों की कमी होगी। राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयात से इस कमी को पूरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित आयातकर्त्ताओं को अक्तूबर १९६० से मार्च १९६२ तक की अवधि में उनके निर्धारित कोटा में से ७५ प्रतिशत के आयात के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं। जनवरी से नवम्बर १९६० तक विभिन्न प्रकार के ९५,५९४ टायरों को वास्तव में आयात किया गया था।

(ख) आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं:

(१) वास्तविक उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ट्रकों और बसों के बड़े टायरों का उत्पादन जिसकी अत्यधिक कमी का अनुभव किया जा रहा था। अब काफी बढ़ गया है। १९५८ में ७,३२,००० टायरों का निर्माण किया गया था वह बढ़कर १९६० में ९,२०,००० हो गया है। आशा है कि १९६१ में यह उत्पादन बढ़कर लगभग १,२५,००० हो जायेगा।

(२) १९५६ में लगभग १०.२ लाख टायरों के निर्माण के लिये लाइसेन्स दिये गये थे और इस समय २९.४ लाख टायरों के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं। लाइसेन्स सम्बन्धी कई और योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : विवरण में यह लिखा है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात से इस कमी को पूरा किया जा रहा है। क्या सम्पूर्ण कोटा राज्य व्यापार निगम द्वारा ही आयात किया जायेगा या कि गैर-सरकारी आयातकर्ताओं द्वारा भी ? यदि हां तो कितना?

†**श्री मनुभाई शाह** : विवरण में बता दिया गया है कि दोनों द्वारा आयात किया जायेगा। अक्तूबर १९६० से मार्च १९६१ की लाइसेन्स अवधि में कुछ भाग राज्य-व्यापार निगम द्वारा और ७५ प्रतिशत गैर-सरकारी आयातकर्ताओं के द्वारा।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : सरकार जिन लाइसेन्स सम्बन्धी योजनाओं पर विचार कर रही है उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : मैं यह बता चुका हूँ कि १९५६ में १०.२ लाख टायरों के लिये लाइसेन्स दिये गये थे अब हमने उसे बढाकर २९.४ लाख टायरों के लिये लाइसेन्स दिये हैं।

†श्री त्यागी : क्या चीन से भी कोई टायर मंगवाये गये हैं और क्या उनके विक्रय मूल्य पर कोई नियंत्रण है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस सम्बन्ध में तो सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है और सभा को इस बारे में अच्छी प्रकार ज्ञात है। जहाँ तक टायरों की कीमत पर नियन्त्र का सम्बन्ध है उसके विक्रय मूल्य पर नियंत्रण है जिसे प्रशुल्क आयोग ने फैक्टरी द्वार मूल्य की संज्ञा दी है। आयात किये गये टायर भी उसी भाव पर बेचे जा रहें हैं।

†श्री बासप्पा : क्या देश में टायरों का निर्माण हो रहा है और क्या पर्याप्त संख्या में टायरों का निर्माण हो रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : व्यापारिक रिर्पोटों के अनुसार देश की सड़कों की स्थिति अधिक समतल न होने के कारण देसी टायरों के अधिक योग्य हैं। आयात किये जाने वाले टायर देसी टायरों से कम चलते हैं।

†श्री दामानी : रबड़ उद्योग के लिय बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह प्रश्न यहां उत्पन्न नही होता। परन्तु माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि बेली में एक कृत्रिम कारखाने के लिये लाइसेन्स दे दिया गया है और अक्तूबर १९६२ से उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा।

†श्री हेडा : क्या आयात-तथा-उत्पादन कार्यक्रम ऐसा है कि संभरण इतना पर्याप्त होगा कि चोर बाजारी समाप्त हो जायेगी?

†श्री मनुभाई शाह : हम यही तो यत्न कर रहे हैं कि रुपया भुगतान के अधीन यथा-संभवों अधिक से अधिक तैयार किये जायें क्योंकि विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वास्तविक उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मात्रा में इसका निर्माण किया जायें ताकि चोर बाजारी न हो सके।

†श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री ने बताया है कि राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयात का प्रबन्ध किया जा रहा है और प्रतिष्ठित आयातकर्ताओं को भी लाइसेन्स दिये जा रहे है। जब एक बार निर्णय कर लिया गया है कि आयात राज्य-व्यापार निगम के द्वारा किये जायें तो फिर गैर-सरकारी व्यक्तियों को लाइसेन्स क्यों दिये जाते हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : कारण यह है कि पहले प्रतिष्ठित आयातकर्ताओं द्वारा आयात किया जाता था और राज्य व्यापार निगम केवल रुपया भुगतान सम्बन्धी देशों से आयात करने के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि ए १ टायरों का निर्माण करने वाली किसी ब्रिटिश फर्म ने मंत्रालय से यह अभ्यावेदन किया है कि वह ५ वर्षों तक की अवधि के लिये रुपया भुगतान पर टायरों का संभरण करने के लिये तैयार है और उसके बाद भुगतान पौंडों में किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि बाद में भुगतान पौंडों में की जानी है, तब तो हम उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, परन्तु यदि कोई ऐसी फर्म है जिसकी शर्तें हमें स्वीकार हों, तो हम उसके सुझाव पर विचार कर सकते हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या इस संभावना पर विचार किया गया है कि क्या छोटे उद्योगों के रूप में भी टायरों का निर्माण किया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसकी संभावनाओं पर विचार किया गया है, परन्तु यह मितव्ययी सिद्ध नहीं होगा ।

†**श्री तंगामणि** १९६१-६२ के लिये इन बड़े टायरों की कुल कितनी मांग होगी और इस अवधि में अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं यह आंकड़े दे चुका हूं कि उत्पादन ९.२ लाख टायरों का है जो कि १.२ लाख कम है । इसीलिये एक १.२ लाख टायरों का आयात करने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि वितरण की प्रणाली उचित रूप से नहीं चल रही है क्योंकि बहुत से स्टाकिस्ट अपनी मांग से अधिक टायरों का संग्रह कर लेते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : वितरण मुख्य रूप से उस समय किया जाता है जब उनकी मांग पैदा होती है विभिन्न नगरों की टायर व्यापारी असोसियेशनों से यह कहा गया है कि वे पिछली मांग के आधार पर टायरों का वितरण करें ताकि पहले के उपभोक्ता वंचित न रह जायें और शेष अतिरिक्त कोटा नये उपभोक्ताओं को बांट दिया जाता है । गत ६ महीनों में टायरों के सम्बन्ध में वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा पर्याप्त संतोष का अनुभव किया जा रहा है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : पिछली मर्तबा मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बतलाया था कि टायरों की कमी पूरी करने के लिए देश में टायर का एक कारखाना खोला जा रहा है और उस के कारण देश में इसकी कमी नहीं रहेगी, मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : किस तरह के कारखाने की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन ६ कारखाने और बन रहे हैं ।

†**श्री नंजप्पा** : सामान्य व्यापारिक अभिकरणों के अतिरिक्त वितरण के और क्या क्या अभिकरण हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम सदैव सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हैं और हम उन्हें सभी प्रकार की सहायता देते रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : १९६१–६२ के लिये बड़े किस्म के विशेष टायरों की कितनी मांग होगी और इस अवधि में कितने टायरों के उत्पादन की आशा है ? इस वर्ष में कितनी कमी होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं यह भी बता चुका हूं कि लगभग १ लाख टायरों की कमी होगी । हम प्रतिमास के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखते, परन्तु आशा है कि लगभग १ लाख टायरों की कमी होगी और हमें उनका आयात करना पड़ेगा ।

†श्री हेडा : माननीय मंत्री का एक और यह कहना है कि वितरण प्रणाली में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है । और दूसरी ओर उनका यह कहना है कि टायरों की मांग और संभरण के बीच का अन्तर भी उतना ही है । तो फिर माननीय मंत्री यह कैसे आशा करते हैं कि चोर बाजारी कम हो जायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : क्योंकि उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । विवरण में स्पष्टतया लिखा है कि उत्पादन कितना अधिक बढ़ गया है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : उन ६ निर्माताओं के क्या क्या स्थान हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का संशोधन

†*१२६२. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों को १५ वर्ष की सेवा के पश्चात् उपदान दिये जाने की व्यवस्था करने और उनको मिलने वाली रकमों की वसूली के लिए एक विशेष तन्त्र की स्थापना करने की दृष्टि से श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने का विधान तैयार किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे सम्भवत: कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रस्थापित संशोधनों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के टिप्पण प्राप्त हो गये हैं और वे विचाराधीन हैं । प्रस्थापित संशोधन विधेयक के उपबन्धों को अन्तिम रूप देने से पहले इन बातों और कुछ अन्य बातों पर एक त्रिदलीय समिति में विचार करने की प्रस्थापना है। उप समिति से सरकार, मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि होंगे ।

†श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : यह त्रिदलीय सम्मेलन कब होगा ?

†श्री आबिद अली : अनुमान है कि लगभग दो महीने में ।

†श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : उसके बाद अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री आबिद अली : यह तो उस सम्मेलन में किये जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या इस महीने के अन्त में स्थायी श्रम समिति की बैठक में भी इस मामले पर विचार किया जायेगा ?

†श्री आबिद अली : स्थायी श्रम समिति में इस पर विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि उसमें श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधि नहीं हैं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इस विधान को प्रस्तुत करने में विलम्ब होने का मुख्य कारण यह है कि मालिक इसका विरोध कर रहे हैं ?

†श्री आबिद अली : जी, नहीं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मान लो कि उस त्रिदलीय समिति में एकमत निर्णय नहीं होता, तो उस स्थिति में सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी ?

†श्री आबिद अली : वह तो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

†श्रीमती रेणुका राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल अधिनियम के कुछ एक उपबन्धों के कारण कई श्रमजीवी पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे उन्हें नौकरी से वंचित न किया जाये ?

†श्री आबिद अली : इस सर्तकता को तो सदा ध्यान में रखा जाता है ।

†श्री काशीनाथ पांडे : क्योंकि उपदानों की मांगें निरन्तर बढ़ रही हैं, इसलिये क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक समान नीति निर्धारित करने के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाने का कोई विचार रखती है ?

†श्री आबिद अली : जी, हां । विभिन्न पक्षों द्वारा इस मामले की ओर ध्यान दिया गया है ।

†श्रीमती रेणुका राय : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं उनसे कहूंगी कि वे इन मामलों को देखें जो कि घटित हुए हैं और फिर उसका उपाय सोचें।

†श्री आबिद अली : कुछ एक व्यक्तियों की नौकरी छूट गयी है । परन्तु अधिनियम के उपबन्धों के कारण नहीं छूटी है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकारों से इस बारे में परामर्श किया जा रहा है और इस प्रश्न के उत्तर में यह बात भी कही गई है कि कुछ और आइटम्स पर बातचीत की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन बातों पर विचार किया जा रहा है, ताकि मूल कानून में संशोधन किया जा सके ।

श्री आबिद अली : इंस्पैक्टर्ज की नियुक्ति की बात रूल्ज में है, लेकिन मालूम हुआ है कि एक्ट के अनुसार इन की नियुक्ति नहीं हो सकती । वर्किंग जर्नलिस्ट्स चाहते हैं कि खास इंस्पैक्टर्ज नियुक्त किये जायें । कनसिलियेशन मशीनरी इस काम को करती है, लेकिन वे चाहते हैं कि उन के लिये खास इन्तजाम किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†*१२६३. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों को कलकत्ता में सामान्य 'पूल' में से क्वार्टर दिये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कुछ क्वार्टर कर्मभारित कर्मचारियों को दिये जाने के लिए रक्षित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं। परन्तु डोवर लेन क्षेत्र के कार्य स्थल पर तैनात कुछ कार्मभारित कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 'जनरल पूल' में भी क्वार्टरों की संख्या बहुत कम है । उनमें से कोई क्वार्टर कार्मभारित कर्मचारियों के लिये रिजर्व करना संभव नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : दिल्ली के अतिरिक्त सब से अधिक कार्य भारित कर्मचारी कलकत्ता में ही हैं, अर्थात्, वहां लगभग ५०० व्यक्ति हैं । क्या दिल्ली के लिये अपनायी जा रही योजना कलकत्ता में भी अपनायी जायेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कलकत्ता में 'जनरल पूल' में हमारे पास बहुत कम क्वार्टर हैं । अतः कार्यभारित कर्मचारियों के लिये कलकत्ता में 'जनरल पूल' में क्वार्टर रिजर्व करना संभव नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि डोवर क्षेत्र में कुछ मकान बनाये गये हैं और वहां पर कुछ और मकान भी बनवाये जा रहे हैं ? उन में से कितने मकान कार्यभारित कर्मचारियों को आवंटित किये जायेंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : डोवर लाइन क्षेत्र में कुछ मकान कार्यभारित कर्मचारियों को दिय गये हैं, परन्तु कलकत्ता में 'जनरल पूल' पर बहुत अधिक जोर है ।

मजूरी बोर्ड

+

†*१२६४. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए मजूरी बोर्डों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या लोहा और इस्पात तथा इंजीनियरी उद्योगों के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). कॉफी और रबड़ बागानों के लिए शीघ्र ही मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है।

(ग) अन्य उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री मोहम्मद इलियास : १५वें श्रम सम्मेलन का यह निर्णय था कि सभी बड़े उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड कायम किये जायें। धातु इंजीनियरिंग उद्योग सब से बड़ा उद्योग है क्योंकि उसमें १० लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस बड़े उद्योग के लिए सरकार ने किन कारणों से मजूरी बोर्ड नहीं बनाया ?

†श्री आबिद अली : माननीय मंत्री की यह धारणा गलत है कि उपर्युक्त सम्मेलन ने सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का कोई निश्चय किया है। वास्तव में उस सम्मेलन ने ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा था, वहां उपस्थित सदस्यों ने कई सुझाव रख थे।

†श्री अरविन्द घोषाल : मजूरी बोर्ड कायम करने के लिए क्या कसौटी है और लोहा तथा इस्पात या इंजीनियरिंग उद्योग उस कसौटी पर खरे उतरते हैं ?

†श्री आबिद अली : कोई निश्चित कसौटियां नहीं हैं। यों तो इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। इस सम्मेलन में दिय गये सुझावों के अनुसार, कुछ उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त किये गये हैं। कुछ बोर्ड पहले ही अपनी सिफारिशें पेश कर चुके हैं। कुछ बोर्ड अभी काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इन रिपोर्टों के आधार पर प्राप्त अनुभव दूसरे मजूरी बोर्डों की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शक होगा। जहां तक इंजीनियरिंग उद्योग का सम्बन्ध है, उसमें काफी संख्या में कर्मचारी हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या सरकार रबड़ और कॉफी उद्योग के अलावा और किसी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है ? क्या वह स्थिति आ गयी है जबकि यह घोषित किया जा सके कि वह विशिष्ट उद्योग कौन सा है ?

†श्री आबिद अली : कठिनाई यह है कि कर्मचारी-संगठनों ने अपने संघों और अपने कार्यकर्ताओं के अलग अलग आंकड़े नहीं दिये हैं। हम ने आंकड़ देने के लिए उन से कहा था और उन में से कुछ संगठनों ने आंकड़े नहीं दिये हैं। इसलिए इस मामले में देर हुई अन्यथा हम घोषणा करने के लिए तैयार हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : किस उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जा रहा है ?

†श्री आबिद अली : कॉफी और रबड़।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : काफी और रबड़ के अलावा भी सरकार एक और मजूरी बोर्ड नियुक्त करना चाहती थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : निर्णय होने के बाद वह मालूम हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि इन पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : क्या राज्य सरकारें रसायनिक तथा इस्पात उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने के पक्ष में हैं?

†**श्री आबिद अली** : मैं नहीं समझता कि हम ने राज्यों से परामर्श लिया है। जहां तक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति का सम्बन्ध है, दूसरे हितों से भी परामर्श लिया जाता है।

†**श्री तंगामणि** : क्या लोहा तथा इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के सम्बन्ध में मंत्रालय ने मजूरी बोर्ड की स्थापना की तैयारी के लिए कोई प्रारम्भिक जांच के लिए आदेश दिया है?

†**श्री आबिद अली** : इस्पात के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी है। इंजीनियरिंग उद्योग के सम्बन्ध में भी पिछले हफ्ते ही अनौपचारिक परामर्शदातृ समिति में एक सुझाव रखा गया था।

†**श्री पहाड़िया** : क्या यह सच है कि सीमेन्ट कारखानों के लिए एक मजूरी बोर्ड कायम किया गया था और उसकी सिफारिशें कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में मजदूर संघों से कुछ शिकायतें आई थीं? यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

†**श्री आबिद अली** : जी हां। कर्मचारी-संगठनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन राज्य सरकारों का ध्यान उनकी ओर दिलाया गया था, जो उस विशिष्ट उद्योग के सम्बन्ध में क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी हैं। कई मामलों में उन्होंने प्रभावशाली कार्यवाही की है।

†**श्री वासप्पा** : क्या कॉफी, चाय और रबड़ के लिए अलग अलग मजूरी बोर्ड होंगे या सब के लिए एक ही मजूरी बोर्ड होगा? क्या सरकार ने काफी के लिए एक मजूरी बोर्ड तुरन्त स्थापित करने की जरूरत महसूस की है क्योंकि उस उद्योग में कर्मचारियों की हालत में बिलकुल ही सुधार नहीं हुआ है?

†**श्री आबिद अली** : त्रिपक्षीय समिति के निर्णय के अनुसार चाय, कॉफी और रबड़ के लिए अलग अलग मजूरी बोर्ड होंगे यद्यपि सभापति और संसद् सदस्य वहीं होंगे। कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधि प्रत्येक उद्योग के लिए अलग अलग होंगे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : आप देखेंगे कि गैर-सरकारी उद्योगों के लिए सरकार मजूरी बोर्ड कायम कर रही है। मेरे माननीय मित्र श्री घोषाल मजूरी बोर्डों की स्थापना की कसौटी जानना चाहते थे और उन्हें यह उत्तर दिया गया कि वह उनकी इच्छा पर निर्भर है। (**अन्तर्बाधा**) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्व-नियंत्रित वाणिज्यिक संगठनों, जैसे रेलवे, में मजूरी बोर्ड नियुक्त करना आवश्यक समझती है?

†**श्री आबिद अली** : मैं इस्पात के बारे में पहले ही बता चुका हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने बताया कि सरकार दूसरे उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में पहले से ही विचार कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में किस चीज़ पर विचार किया जा रहा है और क्या कॉफी और रबड़ के अलावा और कोई उद्योग उनके मद्देनज़र है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : मुख्य उत्तर में मैं ने बताया है कि इस्पात के सम्बन्ध में सुझाव पर विचार किया जा रहा है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सरकार को सिनेमा और फिल्म उद्योग के कर्मचारियों से मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : सरकार की क्या राय है ?

†**श्री आबिद अली** : अभी फिलहाल मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

कल्याण उपकर

†*१२६६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोह-अयस्क के मालिकों पर कल्याण उपकर लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और कब ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). लौह अयस्क खान कर्मचारियों को कल्याण सुविधाएं देने के लिए लौह-अयस्क पर कल्याण उपकर लगाने की योजना पर कोयला खानों को छोड़ अन्य खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति इस महीने के अन्तिम सप्ताह में अपनी अगली बैठक में विचार करेगी।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : इस उपकर में सुविधाओं की कौन-कौन सी विशिष्ट मदें शामिल की जायेंगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : लौह अयस्क पर कल्याण उपकर लगाने की योजना पर विचार किया जायेगा। जब यह निश्चय हो जायेगा कि कल्याण उपकर लगाया जाना चाहिये तब हम लौह अयस्क कर्मचारियों को वह सुविधायें जो अब तक उन्हें नहीं दी जाती रहीं, देने की कोशिश करेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि लौह अयस्क कर्मचारियों की हालत खनन उद्योग में सब से अधिक खराब है, मालिकों पर उपकर लगाने का निर्णय रोक रखने के क्या कारण हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह बात ठीक है कि लौह अयस्क खान कर्मचारियों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी कोयला या अबरक खान कर्मचारियों की है उपकर लगाने की योजना अभी हाल में हमारे सामने रखी गयी है और हम उस पर विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माडर्न टेक्सटाइल मिल्स

+
†*१२६७. { श्री पलनियाण्डी :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल विदेशी मंडियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधुनिकतम यंत्रों से सुसज्जित कुछ मार्डन टेक्सटाइल (मिल्स आधुनिक कपड़ा कारखाने) स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने खोलने का विचार है ;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने एक ऐसे कारखाने के आवंटन के लिए अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । सरकार ने अत्यधिक आधुनिक कपड़ा कारखाने स्थापित करने के लिए ताकि वे केवल निर्यात बाजारों में ही माल भेज सकें, उपयुक्त पार्टियों को अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी दल की योजनाएं मंजूर कर ली हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार योजना पर विचार कर रही है ।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकारी क्षेत्र में कोई आधुनिक मिल बनायी जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

†**श्री याव नारायण जाधव** : क्या इस बारे में कोई अंतिम निर्णय किया गया है कि ये पांच कारखाने कहां बनाये जायेंगे और क्या यह निर्णय इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि तीसरी योजना के प्रारूप में मिलों के लिए कितना कोटा दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्थूल कोटे पर इससे वास्तव में कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इसके अन्तर्गत केवल १½ लाख तकुए ही आते हैं जिसके लिए व्यवस्था मंजूर कर ली गयी है । मैंने अभी पिछले हफ्ते ही सरकार का निर्णय सभा के समक्ष रखा है और यह बताने वाली योजनाएं कि वे कहां पर बनाये जायेंगे, अभी तैयार नहीं हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह आलोचना कहां तक सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम आजकल सिर्फ एक वित्तीय अभिकरण के रूप में ही काम कर रहा है, न कि इस वस्त्र उद्योग की देखभाल करने वाले एक सर्वांगीण संगठन के तौर पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह केवल उन पांच कारखानों के बारे में है जो निर्यात प्रयोजनों के लिए देश में स्थापित किये जायेंगे । यदि आप चाहें तो मैं उत्तर दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर की आवश्यकता नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : इन पांच कपड़ा कारखानों में कुल कितनी रकम लगी हुई है और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुल निवेश साढ़े सात करोड़ रुपया होगा जिसका ४० प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में होगा ।

†**श्री पलनियाण्डी** : इस बात को देखते हुए कि मद्रास राज्य में ज्यादा हथकरघा बुनकर हैं क्या सरकार उन्हें अधिक तकुए और लाइसेंस देगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बिल्कुल अलग सवाल है । जैसा कि मैं ने सभा को बताया है कि हम वर्तमान वस्त्र उद्योग के विस्तार पर विचार कर रहे हैं और निश्चय ही सभी क्षेत्रों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या पांच कारखानों से संभावित कुल उत्पादन निर्धारित किया जा चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । सवा लाख तकुए और करीब ३००० करघे ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इन पांच कारखानों में मदुराई मिल और मीनाक्षी मिल समूह जो सब से आधुनिक हैं, शामिल हैं ? क्या उनके विस्तार के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है और क्या उन्होंने वहां के चालू आधुनिक कारखानों पर विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे यह मानने में प्रसन्नता है कि जिन मिलों का उन्होंने जिक्र किया है वह दुनिया की सब से अच्छी मिलों में से हैं । जहां तक इसका सम्बन्ध है यह केवल निर्यात के लिए है । यदि कोई पार्टी हमें आश्वासन देती है कि नयी मिल का संपूर्ण उत्पादन निर्यात किया जायगा तो हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चूंकि इन मिलों का उत्पादन विदेशी बाजारों के लिए रखा जाने वाला है तो क्या उन्हें खास किस्म की रुई देने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रुई खराब नहीं है । मशीनरी आधुनिक होनी चाहिये । भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को देशी और विदेशी सब से अच्छी किस्म की रूई दी जाती है ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : ऐसी मिलों को डालने में इस बात का भी क्या ध्यान रखा जाएगा कि जहां पर टैक्सटाइल इंडस्ट्री में रिट्रेंचमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और बेकारी ज्यादा बढ़ी है, इनको ऐसे केन्द्रों में डाला जाए ?

श्री मनुभाई शाह : ये जो केन्द्र हैं ये कहां होंगे यह आज कहना कठिन है । लेकिन हमारा इरादा यह है कि जो कपड़ा हमारा हो वह सब से अच्छा हो, सस्ता हो, फ्लालेस हो ताकि वह दुनिया के बाजार में आसानी से और प्राफिट पर बिक सके ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : श्रीमान्, मैं एक सिद्धान्त का प्रश्न पूछना चाहता हू । टक्सटाइल इंडस्ट्री के अन्दर अपनी नीति के अनुसार आपने रिट्रेंचमेंट किया है और बेकारी बढ़ी है । वहां टैक्सटाइल के सीखे हुए लोगों को काम मिल सके, क्या इसका भी ध्यान रखा जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता है क्योंकि यह मूल प्रश्न तो पांच यूनिट्स के बारे में है जो कि एक्सपोर्ट के लिए स्थापित होंगे । जहां तक माननीय सदस्य के सवाल का सम्बन्ध है हमारी जाहिरा पालिसी यह है कि जिस जिस जगह पर कोई मिलें बन्द हुई हों और इस कारण से वहां बेकारी पैदा हुई, हो उनके पहले प्रेफेंस देते हैं ।

आसाम के विस्थापित व्यक्ति

+
†*१२७०. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंगों के परिणामस्वरूप आसाम से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के परिवारों में से, जो बंगाल में शिविरों में रह रहे हैं और जिनका सत्यापन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया और पेश किया गया है, आसाम सरकार ने लगभग पांच परिवारों के पीछे केवल एक परिवार को आसाम का वास्तविक प्रवासी परिवार स्वीकार किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के इन शिविरों को और इन विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी जायेगी अथवा बन्द कर दी गयी है ;

(ग) मिकिर पहाड़ी के दोनों प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों की, जिन्हें मान्यता प्राप्त है और वे जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, स्थिति क्या है ;

(घ) क्या इस मांग को, कि उन्हें उस क्षेत्र में बसाया जाये जहां बंगाली पर्याप्त संख्या में रहते हैं, स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ङ) दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण के स्थान पर मुआवजा और अनुदान न देने के क्या कारण हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) स्थिति बिल्कुल विपरीत है । असम सरकार से प्राप्त ५६१३ परिवारों के आवेदनपत्रों में से ५०५० परिवारों को असम सरकार ने वास्तविक आप्रवासी के तौर पर मंजूर किया है ।

(ख) वास्तविक आप्रवासी के तौर पर स्वीकृत परिवारों को निःशुल्क रेलवे वारंट तथा अन्य उत्सर्जन सहायता के रूप में असम लौटने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं । जो वास्तविक आप्रवासी परिवार असम सरकार की योजना के अधीन पुनर्वास सहायता के अधिकारी नहीं हैं, उन्हें असम लौटने पर भारत सरकार, हर परिवार को २०० रुपया तदर्थ अनुदान देगी ।

(ग) मिकिर पहाड़ी से आप्रवासी व्यक्यिों को असम से दूसरे आप्रवासी व्यक्तियों की तरह ही माना जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) असम सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यदि कुछ लोग उसी जिले के कुछ दूसरे क्षेत्रों में जहां बंगलाभाषी लोग काफी संख्या में है, बसना चाहें बशर्ते कि यथोचित पुनर्वास की अच्छी संभावना हो और आन्तरिक व्यवस्था भी संभव हो ।

(ङ) असम सरकार ने सभी अधिकारी पीड़ितों को केवल ऋण और अनुदान देने का निश्चय किया है और प्रत्येक मामले में वह उसके गुण दोष पर निर्भर होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह जानना चाहती हूं कि काफी संख्या में बंगालियों के पुनर्वास के बारे में ठीक ठीक स्थिति क्या है क्योंकि जो लोग उनकी छानबीन करने के लिये गये थे उनके सामने शरणार्थियों ने यह मामला रखा था । अभी तक उत्तर स्पष्ट नहीं है । इस सम्बन्ध में सरकारी सहायता के विषय में अन्तिम नीति क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मेरे सहयोगी ने जो उत्तर दिया उसमें नीति स्पष्ट की गयी है । यदि किसी जिले में रिक्त स्थान हो और अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले कुछ बंगाली लोग उस विशिष्टि क्षेत्र में आना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इसका यह मतलब है कि इसके लिये उन्हें सरकार के पास आवेदन पत्र देना होगा या उन्हें उन क्षेत्रों में आकर बसने के लिय मदद दी जायेगी ?

† **मेहर चन्द खन्ना** : यह तो सम्बद्ध व्यक्ति ही बता सकता है कि क्या वह अपने मूल स्थान पर जाना चाहता है यदि यह उसी जिले में अपने मूल स्थान पर नहीं जाना चाहता, तो उसे जिला अधिकारियों से पूछना पड़ेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : भाग (ङ) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया कि मदद ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जायगी । इसमें अनुदान की कितनी रकम है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अनुदान दो मदों में विभाजित किया जा सकता है । एक तो उन लोगों के लिये जो राज्य में ही रहते हैं जिनके लिये अनुदान का परिमाण कम है और दूसरा उन लोगों के लिये जो बंगाल में आते हैं और उत्तर बंगाल शिविरों में भरती हो जाते हैं । जहां पुनर्वास सहायता न दी जाती हो वहां हम प्रत्येक को २०० रुपये तक की सहायता देते हैं । यह उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है । उत्तर बंगाल के शिविरों में लगभग ६००० व्यक्ति आये हैं । करीब ५६०० आवेदन पत्र हमारे पास वापस आये हैं । लगभग १५०० से १६०० व्यक्तियों को वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है । जब वे वापस जायेंगे तो उन्हें पुनर्वास सहायता या ऋण मिलेगा जो प्रत्येक मामले के गुण दोषों पर निर्भर होगा । वह १,००० या १६०० रुपय या उससे भी अधिक हो सकता है । जो लोग केवल आतंक के कारण भाग खड़ हुए और जिन्हें वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें निःशुल्क रेलव वारंट, यात्रा भत्ता और उसके अलावा प्रत्येक को २०० रुपये की भी हम दे रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : माननीय मन्त्री ने बताया कि जिन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है उन्हें भी पुनर्वास ऋण दिया जाएगा । अब इस बात को देखते हुए कि उनका कुछ भी दोष न होने पर उनका घर बार, व्यापार आदि बरबाद हो गया, उन्हें ऋण की बजाय अनुदान क्यों नहीं दिया जाना चाहिये ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह राय का सवाल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वास्तविक आप्रवासी की क्या परिभाषा है ? क्या इसकी उचित परिभाषा की गयी है और इस परिभाषा के अन्तर्गत कितने परिवार आते हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह मालूम करने के लिये कि वास्तविक आप्रवासी कौन हैं, असम के वित्त मन्त्री, पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मन्त्री तथा मेरे बीच एक बैठक में हमने एक व्यौरेवार फार्म तैयार किया था। वह फार्म उत्तर बंगाल शिविरों के सभी परिवारों को भेज दिया गया था। जो शरणार्थी उन शिविरों में रह रहे थे उन्होंने वह जानकारी भेजी । तब वे फार्म असम सरकार के पास भेज दिये गये । जो ६००० फार्म हमने भेजे थे, उनमें से ५६०० फार्म हमारे पास वापस आये । इन ५६०० फार्मों में से केवल५०००को असम सरकार ने वास्तविक आप्रवासी के तौर पर स्वीकार किया। शेष ६०० के सम्बन्ध में पुनर्वास मन्त्रालय, असम सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के पदाधिकारियों का एक संयुक्त दल प्रत्येक मामले की छानबीन करेगा । यह छानबीन १० अप्रैल से शुरू होगी और एक हफ्ते में पूरी हो जायगी ताकि यदि कोई भूल या गलती हुई हो तो वह ठीक की जा सके ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एसे कितने परिवार हैं जो वास्तव में पीड़ित हुए और मिकिर पहाड़ियों से आये, और कितने परिवारों को अब तक बसाया जा चुका है और उन्हें कहां बसाया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा सम्बन्ध केवल उन्हीं आप्रवासियों से है जो असम से आये हैं और जिन्हें उत्तर बंगाल के शिविरों में रखा गया है। यदि उनमें मिकिर पहाड़ियों से आय हुए कुछ परिवार हों, तो उन्हें दूसरे आप्रवासियों के समान ही समझा जायगा ?

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल शिविरों में असम से आये शरणार्थियों ने मुख्यत: तीन मांगें रखी हैं, एक तो यह कि जान माल की हानि के लिये उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाय; दूसरी, समेकित बंगाली बस्तियों में शरणार्थियों को बसाया जाय और तीसरी, भविष्य में उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में उन्हें आश्वासन दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार पशोपेश में है और वह कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सकी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा की है और मुझे विश्वास दिलाया गया है कि जहां तक उनका सम्बन्ध है वे सभी वास्तविक अप्रवासियों और उनके परिवारों को नोटिस दे रहे हैं और उन्हें असम लौटने के लिये कहा जा रहा है। यदि कोई न जाय तो उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता । लेकिन उनके कथनानुसार अप्रैल के अन्त तक ये शिविर सम्भवत: बन्द कर दिये जायेंगे ।

†**श्री हेम बरूआ** : पहले यह कहा गया था कि असम में एक बार भाषा का प्रश्न हल हो जाने के बाद शरणार्थी वापस चले जायेंगे । चूंकि अब भाषा का प्रश्न निबटाया जा चुका है, और अखबारों तथा हर जगह इस बात का प्रचार है, इन शरणार्थियों को असम में अपने अपने घर जाने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह बताना मेरे लिये बहुत कठिन है । कुछ लोग वापस जा रहे हैं और कुछ लोग वापस जाने से इंकार कर रहे हैं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या केन्द्रीय सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास का खर्च उठाने के लिये राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जी नहीं । लेकिन असम सर कार ने लगभग दस दिन पहले तक इन अभागे पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास पर लगभग १,१० करोड़ रुपया खर्च किया है और असम

---

†मूल अंग्रेजी में

के वित्त मन्त्री के कथनानुसार, इस वर्ष के अन्त तक लगभग १·५ करोड़ रुपया खर्च होगा। जो परिवार बंगाल में हैं उनमें से सभी यदि वापस चले जायें, तो अनुमान है कि उसका खर्च करीब २ करोड़ तक पहुंच जाएगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर कोई दण्ड कर लगाया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसका उत्तर राज्य सरकार देगी ।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मन्त्री को कोई जानकारी है कि राज्य सरकार ने कोई कर लगाया है या नहीं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : असम सरकार ने जो भी कुछ कुल रकम खर्च की है उसके अलावा पुनर्वास मन्त्रालय तथा राज्य सरकार ने शरणार्थियों को वास्तव में कितनी रकम का अनुदान दिया है और कितने परिवारों को अनुदान दिया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूं। मैंने १,१०, करोड़ रुपये की रकम का ब्यौरा बताया है । मैं समझता हूं कि उसमें से ७० से ८० लाख रुपया ऋण के रूप में और बाकी २० से ३० लाख रुपया अनुदान के तौर पर दिया गया है। असम सरकार ने यही खर्च किया है। जो लोग वापस जायेंगे और पुनर्वास की श्रणी के अन्तर्गत नहीं आयेंगे उन्हें हम प्रत्येक को यात्रा भत्ता और २०० रुपया दे रहे हैं। कुल ६००० परिवारों में से, इस श्रेणी में ३५०० से करीब ४००० के संख्या होगी। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता क्योंकि अनधिकारी परिवारों को छोड़ कर, जिन लोगों को बसाया जायगा उनकी संख्या ६००० में से लगभग २००० होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दंगों से जो लोग पीड़ित हुए और चले गये उनकी चल और अचल सम्पत्ति की कितनी हानि हुई इसका कोई अन्दाज लगाया गया है और यदि हां, तो कुल कितनी रकम की हानि हुई और क्या उस नुकसान की भरपाई की गयी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे मालूम नहीं । पुनर्वास के प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जा रहा है और उसी तरह उसे निबटाया जा रहा है । जैसा कि मैंने बताया, अभी हाल में जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसके अन्त तक असम सरकार का १·५ करोड़ रुपया खर्च होगा और इस वित्तीय वर्ष में ५०,००,००० रुपया और खर्च होगा ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो मारा गया हो और जो न बंगाली हो हो या न आसामी हो, अनुदान या ऋण के तौर पर कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मैं पहले ही नकारात्मक उत्तर दे चुका हूं। केवल एक ही मामला माननीय प्रश्नकर्ता ने मेरे सामने रखा था और मैंने उस अभागी औरत की मदद की है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि यह राय का प्रश्न है और पुनर्वास का नहीं कि अनुदान या ऋण दिय गय या नहीं । मैं उनसे पूछती हूं कि जब लोगों का सब कुछ लुट चुका है क्या वह यह सोचते हैं कि ऋण देकर उन्हें बसाया जायगा और ऋण वसूल किये जा सकेंगे ? क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि उन्हें दी जाने वाली रकम तय की जाय और वह अनुदान के रूप में दी जाय ताकि वे बस सकें ?

---

†नून अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार, असम सरकार और पुनर्वास मन्त्रालय की एक संयुक्त दल ने पश्चिम बंगाल में असम शरणार्थियों के य शिविर देख थे ताकि नकली शरणार्थियों को सच्चे शरणार्थियों से अलग किया जा सके; यदि हां, तो यह लक्ष्य प्राप्त करने में इस टोली को कहां तक सफलता मिली ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने बताया कि ५,६०० फार्म हमें वापस मिलें हैं और ५,००० से अधिक मंजूर किय जा चुके हैं । शेष ६०० के मामलों पर यह दल १० अप्रैल के बाद छानबीन करेगा ।

खादी संस्थायें

*१२७१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी संस्थाओं द्वारा बुना हुआ ऊनी व सूती कपड़ा दिल्ली, मेरठ, राजस्थान आदि से रंगाई और छपाई के लिए बम्बई की मिलों में भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो खादी संस्थाओं का कपड़ा किन-किन मिलों में रंगने और छापने के लिये जाता है और प्रति गज अनुमानतः कितना व्यय रंगाई पर होता है ; और

(ग) क्या खादी संस्थायें स्वयं रंगाई व छपाई का कार्य करने में असमर्थ हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

श्री पहाड़िया : जिस तरह से बुनाई, रंगाई और छपाई का काम बम्बई में मिलों में होती है उसी तरह से राजस्थान में खास तौर पर हाथ की छपाई होती है । मैं जानना चाहता हूं कि हाथ से छपाई और रंगाई के काम को तरक्की देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम काफी मदद कर रहे हैं, और माननीय सदस्य को यह जानकर आनन्द होगा कि जबकि पुराने दिनों में ठप्पे की रंगाई का कोई इस्तेमाल नहीं होता था तब भी हमने उसकी मदद की है और ८० जगहों पर उसके केन्द्र खोले हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : विवरण के अनुसार, १·५० लाख गज खादी कपड़ा बम्बई में सात मिलों को भेजा जाता है । बम्बई में छपाई के बाद आने पर खादी कपड़े के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि १.५० लाख गज कपड़ा ५७५ लाख गज के कुल उत्पादन में से नहीं है । इसलिए किसी प्रतिशत भाग का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री प० ला० बारूपाल : माननीय मंत्री जी को पता है कि खादी का अर्थ है कि हाथ से कता हो, हाथ से रंगा हो और हाथ से बुना हो । लेकिन अब मिलों के द्वारा आधा काम होता है, अर्थात् रंग करके उसे असली रूप दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से उसमें अशुद्धता क्यों उत्पन्न की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : इसमें कोई विशुद्धता नहीं है । अच्छी चीज को और अच्छी बनाने और उसमें हम जितनी मोडर्न टेकनालोजी को इस्तेमाल कर सकें, उतनी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : तो अगर हम मिल का ही कपड़ा पहनें तो क्या हर्ज है ?

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने जिन सात मिलों के नाम दिये हैं, उनके अतिरिक्त कुछ और मिलों को भी इस तरह का काम देने का इरादा है ?

श्री मनुभाई शाह : जब हमारे पास कोई ऐसी डिमांड होती है, और किसी सेन्टर की यह इच्छा होती है कि वह वहां से प्रिंट करवाये तो हम उसे फौरन इजाजत दे देते हैं । लेकिन हमारा इरादा है कि स्थानिक केन्द्र में ही उसकी छपाई हो । इसी कोशिश में हम ने ८० जगहों को इस की सुविधा दी है ।

श्री नवल प्रभाकर : बम्बई को ही प्राथमिकता क्यों दी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : क्योंकि वहां टैक्सटाइल इंडस्ट्री सब से ज्यादा है और वहां छपाई का काम हो रहा है ।

†**श्री हेडा** : इस बात को देखते हुए कि अब हमें मर्सराइज्ड खादी मिल रही है क्या खादी बोर्ड द्वारा मर्सराइज्ड खादी तैयार करने के लिए कोई खास व्यवस्था की गयी है या हम उसे मिलों को ही भेजते रहेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हाथ से कती हुई खादी को मर्सराइज्ड बनाना संभव नहीं है क्योंकि वह उसका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती लेकिन बाकी प्रक्रियायें की जा रही हैं ।

श्री हेम राज : क्या हर एक राज्य में खादी और ग्रामोद्योग कमिशन ने स्थानीय रूप से छपाई का काम शुरू किया है ?

श्री मनुभाई शाह : वही तो मैंने कहा कि पांच सौ ७५ लाख गज में से केवल १·५ लाख गज बाहर छपाई के लिये भेजते हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल मैं जानना चाहता हूं कि जिन मिलों को यह कपड़ा छपाई के लिए भेजा जाता है क्या उनके कोई मालिक खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के सदस्य हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कोई नहीं ।

मूल्य-स्तर

*१२७२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना प्रारम्भ होने के समय की अपेक्षा तीसरी योजना के प्रारम्भ में मूल्य स्तर में क्या अन्तर है ;

(ख) मूल्य-स्तर घटा है या बढ़ा है ;

(ग) अगर बढ़ा है तो इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि तीसरी योजना की अवधि में मूल्य असाधारण रूप से बढ़ न जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मार्च, १९५६ के अन्त में अर्थात् पहली योजना के अन्त में थोक कीमतों का इन्डेक्स ९९.२ (आधार १९५२–५३ = १००) था। १८ मार्च, १९६१ अर्थात् दूसरी योजना की समाप्ति के लगभग का इन्डेक्स १२७·२ था।

(ख) इस तरह मूल्य-स्तर में २८ प्रतिशत की वृद्धि हुई ; और

(ग) योजना में ऐसी परिकल्पना की गई है कि खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन में ठोस वृद्धि होगी। सरकार के पास पर्याप्त अन्न का भंडार है। राजस्व विषयक, मुद्रा सम्बन्धी तथा अन्य सरकार की नीतियों को लगातार इस प्रकार अपनाया जायेगा कि कीमतों में उचित स्थायीपन बनाये रखा जा सके।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि अब तक हमारे देश में अन्य वस्तुओं का मूल्य स्तर खाद्यान्न के मूल्य स्तर के साथ ही चलता है। किसान खाद्यान्न का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मांगता है जब कि उपभोक्ता कम से कम मूल्य देना चाहता है। ऐसी स्थिति में, मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य स्तर को दुरुस्त रखने के लिए क्या सरकार कोई मध्य मार्ग अपनाना चाहती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात सही है कि यहां पर अन्य वस्तुओं के मूल्य पर खाद्यान्न के दाम का ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन इन दिनों खाद्यान्न का दाम गिर रहा है और अन्य चीजों का दाम आगे जा रहा है। सरकार सोच रही है कि क्या कोई मध्य मार्ग हो सकता है, लेकिन मूल्य को एक स्तर पर रखने की कोशिश है।

†**श्री पहाड़िया** : क्या यह सच है कि अत्यावश्यक पदार्थों का मूल्य उन वस्तुओं की अपेक्षा अधिक बढ़ रहा है जो अत्यावश्यक पदार्थ नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं पहले कह चका हूं कि खाद्यान्न का मूल्य गिर रहा है और कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है। जहां तक मूल्यों का नियंत्रण करने का प्रश्न है, मैंने बताया है कि सरकार आवश्यक उपाय कर रही है।

†**श्री बासप्पा** : क्या सरकार ऐसा नहीं सोचती कि अब समय आ गया है कि मूल्य नीति पर पुनर्विचार किया जाए ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मूल्य के प्रश्न पर सरकार लगातार ध्यान देती रहती है। योजना आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई है। तीसरी योजना को अन्तिम रूप देते समय मूल्यों के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

†**श्री आचार** : क्या सरकार को यह आशा है कि अब जिन परोक्ष कराधान उपायों का प्रस्ताव किया गया है उनके कारण मल्यों में थोड़ी वृद्धि होगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं नहीं कह सकता कि इस कारण कितनी वृद्धि होगी। किन्तु यह सच है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में जब विनियोजन होता है तो निश्चय ही मूल्य बढ़ते हैं और मूल्यों को गिराना संभव या वांछनीय नहीं होता।

†**श्री पलनियांडी** : करारोपण उपायों का निर्वहन लागत देशनांक पर क्या प्रभाव होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : करारोपण उपायों के बाद वर्तमान देशनांक १२९·९ है ।

†**श्री कासलीवाल** : पिछले वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद ने मूल्य नीति के समूचे मामले पर विचार करने के लिए एक उपसमिति बनाई थी । क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी नहीं ।

†**श्री हेम बरूआ** : करारोपन उपायों की घोषणा हो चुकने के पश्चात् मूल्यों के बढ़ने का ध्यान रखते हुए, क्या सरकार का ध्यान वित्त मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं ? यदि हां, तो वह व्यवस्था किस प्रकार की होगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

†**श्री हेम बरूआ** : मूल्यों में वृद्धि के कारण, विशेषकर अत्यावश्यक पदार्थों पर कर लगने के पश्चात्, क्या सरकार का ध्यान वित्त मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिए एक तंत्र बना रहे हैं ? यदि हां, तो उस तंत्र का स्वरूप क्या होगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मा० सदस्य ने मा० वित्त मंत्री का वक्तव्य सुना होगा जब वह सामान्य आयव्ययक का उत्तर दे रहे थे । उन्होंने कहा था कि करारोपण उपायों के कारण कुछ वस्तुओं के मल्य में वृद्धि अस्थाई तौर पर है और उन वस्तुओं के मूल्य कुछ समय के पश्चात् स्थिर हो जायेंगे ।

†**श्री प्रभात कार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ९९ से १२७ तक वृद्धि हो चकी है, जो अब १२९ हो गई है मा० मंत्री द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, और क्योंकि यह स्पष्ट है कि पदार्थों पर करारोपण के उपायों के कारण जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्यों में यह वृद्धि हुई है, योजना आयोग इस मूल्य स्तर को कायम रखने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैंने यह नहीं कहा कि करारोपण के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं । इस वृद्धि के अनेक कारण हैं । आर्थिक शक्तियों, बाह्य और आन्तरिक, का मूख्य हाथ है । मूल्य भी बढ़ रहे हैं क्योंकि मांग के अनुसार संभरण नहीं हो रहा है ।

†**श्री त्यागी** : औसत मूल्य २९·२ प्रतिशत या २८ प्रतिशत तक वृद्धि का मूख्य कारण क्या है ? क्या इसका कारण यह है कि चीजों की कमी है या धन की सप्लाई बहुतायत से है ?

†**श्री ल० ना०मिश्र** : जैसा कि मैंने कहा उत्पादन मांग की तुलना में कम है और विनियोजन तथा बढ़ा हुआ धन संभरण एवं देश की बढ़ी हुई सम्पत्ति के मकाबले में अधिक नहीं बढ़ा है । ये मुख्य कारण हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सच है कि कृषि जन्य माल और कृषि अतिरिक्त माल के बीच बड़ा अन्तर है ? यदि हां तो सरकार इस हालत को दबाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैंने यह नहीं कहा कि कृषि जन्य माल के मूल्य गिर रहे हैं । खाद्यान्नों के मूल्य गिर रहे हैं किन्तु कच्चे माल और तैयार माल का मूल्य बढ़ रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभातकार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरी योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में ६६ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, मूल्य में इस वृद्धि के लिये किन तत्वों ने योग दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः उपभोक्ता माल के उत्पादन की कमी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : प्रश्न के उत्तर में मा० उपमंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप समिति अभी इस मामले पर विचार कर रही है । हमें कब तक पता चलेगा कि उस समिति ने क्या फैसले किये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जैसा कि मैंने पहले बताया है, मूल्य समिति के विचारों पर तीसरी योजना को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पश्चिमी बंगाल में आसामी निष्क्रांत व्यक्तियों के शिविर

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३.** { **श्री स० मो० बनर्जी** : / **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : / **श्री तंगामणि** : / **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में आसामी निष्क्रान्त व्यक्तियों के शिविरों को बन्द करने का फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो शिविर कब तक बन्द किये जायेंगे ?

(ग) शिविरों में कितने लोग या परिवार हैं जिनका अभी पुनर्वास करना है ;

(घ) उन की संख्या कितनी है, जो शिविरों में नहीं हैं, किन्तु जो वास्तव मे दंगों के दौरान आसाम छोड़ कर आए थे ; और

(ङ) उनको क्या आराम पहुंचाया गया है और क्या राज्य सरकार ने उन की हानि की क्षति पूर्ति कर दी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल, १९६१ के अन्त तक शिविर बन्द करने की आशा है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, जनवरी १९६१ के मध्य तक शिविरों में ६०६२ परिवार थे, जिनमें से ५६१३ परिवारों को वास्तविक निष्क्रांत मान लिया गया है, जिनके संस्थापन फार्म आसाम सरकार से वापिस आ चुके हैं । शेष ४४९ फार्मों की शीघ्र ही आने की आशा की जाती है ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, उनके पास इस मामले में कोई सही सूचना नहीं है, किन्तु विश्वास किया जाता है कि उनमें से धीरे धीरे सब लोग आसाम वापिस चले गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि उल्लेख प्रश्न के (क) भाग का है, तो भारत सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है, और न ही आसाम सरकार द्वारा उन्हें कोई पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जायेगी। उनके बारे में यह धारणा बनाई गई है कि वे केवल डर के कारण आसाम छोड़ कर आये हैं और उन्हें कोई हानि नहीं हुई, ऐसा ख्याल किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पश्चिम बंगाल या केन्द्रीय सरकार ने यह पता लगा लिया है कि दंगों के बीच जो मकान जला दिये गये थे, उन्हें आसाम सरकार ने फिर से बना लिया है और यदि हां, तो क्या यह बात उन निष्क्रांतों को बता दी गई है जो अभी वहां हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : यह पहले प्रश्न से उत्पन्न होता है इस से नहीं। अनुमान है कि दंगों में लगभग १६,००० मकान, दुकानें और दूसरी सम्पत्ति की हानि हुई थी। इन में १४,००० से अधिक की मरम्मत हो चुकी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पश्चिम बंगाल या केन्द्रीय सरकार ने शिविरों को बन्द करने से पूर्व यह पता लगा लिया है कि आसाम में उनके हितों की रक्षा करने के जिन उपायों की जरूरत थी, आसाम सरकार ने वे सब उपाय कर लिये हैं और उन्हें पर्याप्त रक्षा दी गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : केवल दस दिन पहले मैं आसाम गया था। वहां के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री से लम्बी चौड़ी बातचीत हुई थी। मुझे राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो कुछ सम्भव है वह सब कुछ किया जा रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : पश्चिम बंगाल में आसामी निष्क्रांतों के शिविरों को चलाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई।

†**श्री तंगामणि** : इन शिविरों के बन्द किये जाने से पूर्व, सरकार उन परिवारों के पुनर्वास करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है, जो ऐसी घटनाओं के कारण आसाम से आये थे, जिन के लिये वे उत्तरदायी नहीं थे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इस प्रश्न का पहले पूरा उत्तर दे चुका हूं। इन ६००० परिवारों में से, लगभग १५०० से २००० तक परिवारों को पुनर्वास का हक है और शेष लोगों को सहायता का हक है जब वे वापिस जायेंगे। यह अप्रैल के अन्त से पहले होना चाहिये। उन्हें स योजना के अनुसार, जो मैंने अभी सभा के सामने रखी है, सहायता दी जायेगी।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि आसाम में स्वागत केन्द्र स्थापित करने के लिये राज्य सरकार का एक प्रस्ताव था ? यदि हां, तो क्या इन शरणार्थियों के लिये स्वागत केन्द्र बनाये जा रहे हैं और यदि हां, तो उनके क्या काम होंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं ने इस प्रश्न के बारे में जब मैं वहां था कभी चर्चा नहीं की। विचार यह दिखाई देता था कि जब ये लोग आयें तो उन्हें संबद्ध जिलों में भेजा जाएगा और उन्हें तुरन्त सहायता या पुनर्वास की सुविधा दी जायेगी ताकि यह सारा काम मई के अन्त तक अर्थात् मौनसून शुरू होने से पहले पूरा हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री ने बताया है कि उन्हें आसाम सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक संभव का किया जाएगा। क्या उन्हें संतोष है कि उनके पुनर्वास के लिए जो कुछ जरूरी है आसाम सरकार वह कर रही है ? क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को वह सब राशि वापिस देगी जो वे इतनी देर तक आसाम के विस्थापितों पर खर्च करते रहे हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मुझे आसाम सरकार की सद्भावना पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उनका रुख बड़ा सहानुभूतिपूर्ण दिखाई देता है। प्रश्न के दूसरे भाग के मामले में, यह वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किये जाने का मामला है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आइसोटोप्स का निर्यात

†*१२६०. **श्री कोडियान** :
श्री वारियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को आइसोटोप निर्यात करने की सम्भावनाओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां।

(ख) रेडियोऐक्टिव आइसोटोपों के संभरण के लिये जांच बहुत से देशों से प्राप्त हुई है जिन में थाईलैंड और जापान शामिल हैं और दो खेप थाईलैंड भेजे जा चुके हैं। विदेशों को दूसरे आइसोटोप भेजना सम्भव होगा और जब पक्के आर्डर आ जायेंगे तो ऐसा करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

यूगोस्लाविया से प्रतिनिधि मंडल

†*१२६५. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है यूगोस्लाविया से ३० उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने के लिए भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने (१) ऋण सम्बन्धी करारों के अन्तिम रूप दिये जाने, (२) गोस्लाविया सरकार के द्वारा भारत को पेशकश किये गये ४०० लाख डालर ऋण के अन्तर्गत दिये जाने वाली विभिन्न मशीनों और उपकरण के संभरण/असर्जन मूल्यों/विवरणों आदि का ब्योरा अन्तिम रूप में तैयार किये जाने, के बारे में विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चायें की हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों और व्यापार के विभिन्न पहलुओं के गैर सरकारी लोगों के साथ भी बात चीत की है ताकि व्यापार की गति को बढ़ाने के लिये तथा व्यापार सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन-क्रम

†*१२६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विद्यमान वेतनक्रमों का पुनरीक्षण कर रही है;

(ख) सरकार के ध्यान में क्या बातें लायी गयी थीं, जिन से प्रेरित हो कर सरकार ऐसा कर रही है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम से दूसरे उपक्रम में या सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों के बीच उच्च प्रविधिक कर्मचारियों के जाने की कुछ घटनायें हुई हैं। यद्यपि घटनायें कम थीं, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के छोटे वेतन क्रमों और कनिष्ठ अधीक्षण स्तरों में वेतन आदि के बारे में कर्मचारियों की स्थिति का अवलोकन करना वांछनीय समझा। भारत सार्वजनिक प्रशासन संस्था ने इसका अध्ययन करना तथा यह पता लगाना कि कर्मचारियों के जाने के लिये वेतन क्रम और अन्य सेवा की शर्तें उत्तरदायी हैं, स्वीकार कर लिया है। अध्ययन के स्वरूप और प्रकार के बारे में भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था के साथ बातचीत चल रही है।

थोरियम

†*१२६९. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में थोरियम के सब से बड़े निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत-उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करने के वास्ते क्या तरीके और साधन अपनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारत के मोनाज़ाइट रेत में, अत्यधिक थोरियम मिलता है। वर्तमान सूचना के अनुसार भारत के मोनाज़ाइट निक्षेप संसार में सब से बड़े हैं।

(ख) देश की अणु शक्ति कार्यक्रम को अन्ततोगत्वा थोरियम पर आधारित करने की योजना की गई है। तथापि इस उद्देश्य के लिये, कार्यक्रम के प्रथम प्रक्रम में रिएक्टर होंगे, जिन में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होगा, जिससे प्लूटोनियम उप-उत्पाद तैयार होता है। दूसरे प्रक्रम में यह प्लूटोनियम का उपयोग या तो अधिक प्लूटोनियम तैयार करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में यूरेनियम के साथ किया जायेगा या यूरेनियम २३३ तैयार करने के लिये थोरियम के साथ। कार्यक्रम का तीसरा प्रक्रम मुख्यतः थोरियम-यूरेनियम २३३ चक्कर पर चलने वाले रिएक्टरों पर आधारित होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लेखापालन और लागत आंकने की व्यवस्था

†*१२७३. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि प्रशासन ने सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों में लेखापालन और लागत आंकने की सुचारु व्यवस्था न होने की आलोचना की है ;

(ख) क्या प्रशासन ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे प्रबन्ध और लेखापालन विषयों के लिए वित्तीय सलाहकारों, लागत-विशेषज्ञों और समवाय-सचिवों से भिन्न मुख्य लेखापाल, वित्तीय नियंत्रक आदि विशेषोपयुक्त पदाधिकारियों की पदालियों का निर्माण करें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) संभवत : माननीय सदस्य का अभिप्राय 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों' से यह है सरकारी समवाय जो समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१७ के अर्थों के अन्दर आते हैं। यदि ऐसी बात है तो यह सच है कि समवाय विधि प्रशासन विभाग ने कई सरकारी समवायों में कुशल आन्तरिक लेखापालन और आंकने की व्यवस्था की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकारी समवायों में जिनमें से अधिकांश ने सूचना दी है, कि उपयुक्त लेखापालन और आंकने की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। ठोस आन्तरिक लेखापालन और आंकने की प्रणाली की आवश्यकता सामान्यतया मानी जाती है। सरकार ध्यानपूर्वक इस पर गौर कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में हथकरघा बुनकर

†*१२७४. { **श्री नरसिंहन् :**
श्री अब्दुल सलाम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नकली रेशम के धागे के आयात लाइसेंसों के बन्द किये जाने के फलस्वरूप मुख्यत: मद्रास राज्य में नकली रेशम के कपड़े की बुनाई करने वाले हथकरघा बुनकरों के बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाने का पता है ;

(ख) क्या सरकार को स्थिति में सुधार करने के लिए अभ्यावेदन भेजे गये हैं ; और

(ग) इन वस्त्रों की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता को देखते हुए क्या सरकार का विचार स्थिति में तत्काल सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार के पास नकली रेशम के धागे के आयात लाइसेंस स्थापित किये जाने के परिणाम-स्वरूप हथकरघा उद्योग में किसी बड़ी बेकारी के बारे में सूचना नहीं है। तथापि कुछ अभ्यावेदन हुए हैं कि वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस उद्योग की सहायता के लिये जारी किये जाने चाहियें। यह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठापित आयातकों के द्वारा नकली रेशम की समूचा आयात हथकरघा उद्योग को आवंटित किया जाता है। हथकरघा बुनकरों को देशी उत्पादन से भी पर्याप्त आवंटन मिलता है ।

चालू अर्ध वर्ष के आवंटन में से विलंब को रोकने के लिये, तुरन्त आधार पर आंशिक लाइसेंसों का आर्डर दिया गया है जब तक कि बाद में कुल मात्रा निश्चित न कर दी जाय ।

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

***१२७५. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ मार्च, १९६१ को नई दिल्ली में **फैक्टरी** रोड के सिविल कैम्प संख्या २ में कुछ झुग्गियां गिराई गई थीं।

(ख) यदि हां, तो क्या उन झुग्गियों के दरवाजे बंद थे और उनमें ताले लगे हुए थे ;

(ग) क्या यह सच है कि वे सारी झुग्गियां हरिजनों की थीं ; और

(घ) कितनी झुग्गियां गिराई गईं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह मालूम नहीं।

(घ) ११ (ग्यारह)।

---

†मूल अंग्रेजी में

छिद्रण यंत्रों के पुर्जों का निर्माण

†*१२७६. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छिद्रण यंत्रों के पुर्जों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) इस परियोजना को कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रांची में भारी मशीन निर्माण संयंत्र तथा दुर्गापुर में कोयला खनन मशीनरी संयंत्र में अन्य चीजों के साथ साथ ५५०० टन भारी तेल छिद्रण रिग और २५ टन हल्के छिद्रण रिग क्रमशः प्रयोगात्मक छिद्रण के लिये बनाने की योजना है। इन संयंत्रों में तेल छिद्रण के कुछ पुर्जों तथा अन्य उपकरण बनाने की भी गुंजाइश होगी ।

सारी मशीन निर्माण संयंत्र की पूंजी लागत का मोटा अनुमान लगभग ४८ करोड़ रुपये है । और कोयला खनन मशीनरी संयंत्र का ३५ करोड़ रुपये है ।

निर्यात संवर्धन परिषदें

†*१२७७. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों को अधिक प्रभावशाली बनाने और उनके काम में और अधिक तालमेल पैदा करने के उद्देश्य से इन परिषदों के कार्य संचालन का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** (क) और (ख). विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्यवाहियों पर समय समय पर उनके सभापतियों या सचिव या दोनों की बैठकों में, सामान्य सदस्यों की चर्चा करने तथा उन में उत्तम समन्वय लाने की दृष्टि से विचार किया जाता है । बहुत सी योजनाएं अर्थात् निर्यातकों के पंजीयन जैसी योजनाएं उन के सहयोग के साथ कार्यान्वित की जा रही हैं ।

दिल्ली के लिए तीसरी योजना

†*१२७८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए धनराशि का आवंटन अन्तिम रूप से किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन और दोनों नगर निकायों की मांगों को किस सीमा तक पूरा करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) और (ख). दिल्ली संघ राज्य क्षे के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित कुल परिव्यय ८१.७५ करोड़ रुपये है। इसमें दिल्ली प्रशासन के लिये २७.४९ करोड़ रुपये, दिल्ली नगरपालिका निकाय के लिये ५१.२१ करोड़ रुपये और नई दिल्ली नगरपालिका समिति के लिये ३.०५ करोड़ पये के उपबंध शामिल हैं।

एन्नोर में उर्वरक कारखाना

†*१२७९. **श्री तंगामणि**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन्नोर के उर्वरक कारखाने के लिए बनाये गये समवाय की हिस्सा-पूंजी कितनी है ;

(ख) इसमें कितने प्रतिशत पूंजी विदेशी है और भारतीय पूंजी, सरकारी और गैर-सरकारी, का हिस्सा कितना है ;

(ग) कारखाने में कब उत्पादन शुरू होने की संभावना है ; और

(घ) स कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १,३००,००० पौण्ड।

(ख) लगभग एक तिहाई विदेशी पूंजी और शेष भारतीय।

(ग) वर्ष १९६२-६३ में।

(घ) ५१४८० टन अमोनियम फोस्फेट प्रतिवर्ष।

बम्बई के अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्र द्वारा कागज की खरीद

†*१२८०. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस रजिस्ट्रार ने बम्बई के एक बड़े अंग्रेजी समाचारपत्र के मुख्य प्रबन्धक से पूछा है कि क्या उस समाचारपत्र ने एक लाख रुपये से अधिक मूल्य का अखबारी कागज चोरबाजार से खरीदा है ; और

( ) यदि हां, तो उस अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र का क्या नाम है और उसने अखबारी कागज कहां से प्राप्त किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार को ऐसी घटनाओं का पता चला है कि कुछ समाचारपत्रों ने सरकार द्वारा उनको मंजूर की गई मात्रा के इलावा बाजार से अखबारी कागज खरीदा है। इस मामले में आवश्यक जांच की जा रही है। जब तक यह जांच जो चल रही है पूरी नहीं हो जाती, संबद्ध अखबारों के नाम बताना संभव नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

फास्फोरस संयंत्र

†*१२८१. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक फास्फोरस संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में प्रारम्भिक जांच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तीन इंजनियरों का एक दल राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सीमित द्वारा नवम्बर, १९५९ में, विधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश में ऐलीमैंटल फासफोरस के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यताओं के बारे में प्रविधिक-आर्थिक अध्ययन करने के लिये, अमरीका भेजा गया था । दल ने अमरीका में कुछ फासफोर्स संयंत्र देखे और भारत लौटने पर एक प्रतिवेदन दिया, जिस पर इस समय राष्ट्रीय औद्योगिक निकाय निगम विचार कर रहा है । तिवेदन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रखी हैं ।

पटसन के कारखाने

†*१२८२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश पटसन कारखानों को बन्द हो जाने के खतरे का सामना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को संभालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केंद्रीय फिल्म संस्था, पूना

†*१२८३. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकर्षक शर्तों के बावजूद, केन्द्रीय फिल्म संस्था, पूना में विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले रहे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) १९६१-६२ के लिए कितने विद्यार्थी लिये गये हैं ; और

(घ) क्या संस्था के प्रधान के दौरे का कोई फल निकला है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). जी, नहीं । यह सच नहीं है । तीन विषयों के रिफरेशर कोर्स के लिये, जो मार्च १९६१ में आरंभ हुआ था, ३० स्थानों के लिये ८९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जुलाई १९६१ में आरंभ होने वाले स्थायी कोर्सों के लिये प्रार्थना-पत्र शीघ्र ही आमंत्रित किये जायेंगे ।

(घ) संस्था के प्रासपल का बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के लिये दौरे का उद्देश्य फिल्म उद्योग को फिल्म संस्था के क्षेत्र और कार्यों से अवगत कराना था और यह फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं को समझने में उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हुआ ।

कूच-बिहार में पाकिस्तानियों द्वारा छापा

†*१२८४. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ मार्च, १९६१ को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा कूच-बिहार जिले के हल्दीबाड़ी थाने के अधीन एक भारतीय सीमावर्ती गांव में एक भारतीय गांववासी मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, हां । घातक शस्त्रों से लैस कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने १४-१५ मार्च १९६१ की रात्रि को हिमकुमारी गांव की सीमा पर श्री महेशचन्द्र बर्मन के मकान पर धावा किया और उसे मार दिया । किन्तु हमारी सूचना यह है कि उन्हें यह अपराध करने के लिये कुछ भारतीय राष्ट्रजनों ने बुलाया था, जिनका श्री बर्मन के साथ भूमि के संबंध में झगड़ा था और यह केवल हत्या का मामला था तथा इस में कोई राजनीतिक प्रयोजन निहित नहीं था ।

नई दिल्ली के लिए पुनर्विकास योजनाएं

†२६४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रीडिंग रोड, पंचकुइयां रोड, कनाट प्लेस और इर्विन रोड के बीच पड़े क्षेत्रों के लिये पुनर्विकास योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पंचकुइयां रोड, बेयर्ड रोड, लेडी हार्डिंग रोड, पेशवा रोड, और रीडिंग रोड द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के पुनर्विकास के पहले प्रक्रम के लिये प्लान और प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं । ये सरकार के विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महात्मा गांधी का जीवन

†२६४८. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री २५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड बनाने के लिये आकाशवाणी की योजना को कार्यान्वित करने के बारे में अब तक की क्या स्थिति है; और

(ख) क्या 'भारत छोड़ो' आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं के भी रिकार्ड बनाये गये हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हिन्दी में छटा रेडियो प्रलेखीय फीचर 'भागवत पुरुष' ३० जनवरी १९६१ को प्रसारित किया गया था ।

(ख) अभी तक नहीं ।

जम्मू तथा काश्मीर युद्ध विराम रखा का अतिक्रमण

†२६४९. { श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा ।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९६० से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कितनी बार जम्म तथा काश्मीर युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण किया है; और

(ख) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरु) : (क) ६९ बार (२०-३-१९६१ तक)

(ख) ३० मामलों में शिकायतें संयुक्त राष्ट्र मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक से की गई थीं ।

लंका से भारतीयों का प्रव्रजन

†२६५०. श्री पांगरकर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछल तीन महीनों में लंका से कितने भारतीय राष्ट्रजन लंका से भारत चले गये ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरु): ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान १७८४ भारतीय राजष्ट्रजन लंका से आये— १०७५ स्वेच्छा से और ७०८ छोड़ देने के नोटिस प्राप्त होने पर । बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

महाराष्ट्र में खेती बाड़ी के औजार संबंधी उद्योग

†२६५१. श्री पांगरकर: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० के दौरान खेती बाड़ी के औजार उद्योग के विकास के लिये महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): क्योंकि राज्य सरकारों को प्रविधिक अनुमोदन के लिये केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की योजनाएं मंजूर करने का अधिकार दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार को १९६० में किसी विशिष्ट उद्योग के लिये अनुदान देने की मंजूरी देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†२६५२. { श्री पांगरकर:
श्री कुन्हन :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इन सम्पदाओं से प्रत्येक में कुल कितना वार्षिक अनुमानित उत्पादन होता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५४]

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†२६५३. श्री पांगरकर: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५५]

पंजाब में मधु-मक्खी पालन केन्द्र

†२६५४. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में पंजाब में जिलावार कितने मधु-मक्खी पालन केन्द्र खोले गये, और

(ख) इस अवधि में इस काम के लिये राज्य में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) खादी आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत, ४५ लोगों को जनवरी १९६१ के अन्त तक प्रशिक्षण दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

खादी आयोग की सहायता से पंजाब में खोले गये मधु-मक्खी पालन केन्द्रों का वर्षवार और जिला-वार ब्यौरा :—

स्थान	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१ (३१-१-६१ तक)	जोड़
१. कांगड़ा	१०	१५	—	२५
२. डलहौजी .	—	५	५	१०
३. होशियारपुर . .	—	—	५	५
जोड़	१०	२०	१०	४०

मेले और प्रदर्शनियां

†२६५५. **श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ से १९६० के दौरान विदेशों में भारत सरकार ने कितने मेले और प्रदर्शनियां लगाईं, अथवा विदेशों के कितने मेलों और प्रदर्शनियों में भारत सरकार ने भाग लिया तथा उन स्थानों और देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) प्रदर्शनियों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के निदेशकों द्वारा विदेशों में आयोजित पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियों के बारे में, जिनमें भारत ने १९५६–६० वर्षों के दौरान भाग लिया, सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५६]**

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है। और पांच सालों में लगे प्रत्येक मेलों और प्रदर्शनियों के बारे में सूचना एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह सम्भवतः प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगा।

कांगड़ा में चाय उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं

†२६५६. **श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिला तथा हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिला में चाय बागान की उचित वृद्धि और विकास के लिय छोट चाय उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : जबकि पंजाब सरकार ने छोटे उत्पादकों के हरे पत्तों को तैयार करने के लिय पालमपुर में एक चाय फैक्टरी स्थापित करने के लिये एक सहकारी संस्था बनाने की एक मसौदा योजना बनाई थी और उस चाय बोर्ड को नवम्बर १९५९ में भेजा था, राज्य सरकार प्रस्तावित सहकारी संस्था का संगठन करने में अभी तक सफल नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश प्रशासन के मंडी क्षेत्र में छोटें उत्पादकों की एक सहकारी संस्था बनाने के बारे में कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

†मूल अंग्रेजी में

फरीदाबाद उद्योगों में काम करन वाले विस्थापित व्यक्ति

†२६५७. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक फरीदाबाद के उद्योगों में काम करने वाले कितने विस्थापित लोगों ने केन्द्रीय सरकार से ऋण लिये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: १९६०–६१ में फरीदाबाद के किसी उद्योग को ऋण नहीं दिया गया। जिन उद्योगों को १९५९–६० में ऋण दिये गये थ, उनमें काम करने वाले विस्थापित लोगों की संख्या फरवरी, १९६० के मध्य तक १७५ थी।

दिल्ली की विस्थापित लोगों की बस्तियों में नागरिक सेवाएं

†२६५८. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री नवल प्रभाकर:

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की विस्थापित लोगों की बस्तियों की नागरिक सेवाओं को दिल्ली नगरपालिका निगम को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५७]

अणुशक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे

†२६५९. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **प्रधान मन्त्री** ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अणु शक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्ब में, इलैक्ट्रोनिक उपकरण के बारे में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव में क्या अग्रतर प्रगति हुई है ताकि यह प्रतिष्ठान न केवल अपनी मांग पूरी कर सके किन्तु समुचे देश की वैज्ञानिक औद्योगिक, चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की आवश्यकता भी पूरी करने में समर्थ हो सके ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (जैसे कि पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिये अणु शक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे के इलैक्ट्रोनिक्स डिवीजन के विस्तार के कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों और अतिरिक्त उपकरण की खरीद की मंजूरी दी जा चुकी है। १९६० में १४८३ और १९६१ में अब तक २०० और औजार तैयार किये गये हैं।

उत्प्रवास पारपत्र[1]

†२६६०. **श्री श्रीनारयण दास:**
श्री राधारमण

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में उत्प्रवास पारपत्रों के लिये कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं;
(ख) कितने लोगों को ये पारपत्र दिये गये थे;
(ग) कितने लोग देश से गय; और
(घ) ऐसे कितने व्यक्ति लौट आये ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Emigration Passports

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) उत्प्रवास के पारपत्रों के लिये ५७५३ प्रार्थना पत्र विभिन्न प्रादेशिक पारपत्र दफ्तरों में वर्ष १९६० में प्राप्त हुए।

(ख) ५४९२ लोगों को ये पारपत्र दिये गये।

(ग) और (घ). खेद है कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है और उन लोगों के जाने और आने के बारे में पारपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी ऐसे कोई अभिलेख नहीं रखते।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

†२६६१. श्री राम कृष्ण गुप्त:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री अजित सिंह सरहदी:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सितम्बर, १९६० में रांची में हुए दस्तकारी सहकारी संस्थाओं की प्रादेशिक गोष्ठी द्वारा किये गये सुझावों के बारे में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की सिफारिशें आई हैं और उन पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने दस्तकारी सहकारी सस्थाओं के सम्बन्ध में चार प्रादेशिक गोष्ठियां पहली फरवरी, १९६० में जयपुर में, दूसरी मार्च, १९६० में हैदराबाद में, तीसरी सितम्बर, १९६० में रांची में और चौथी मार्च १९६१ में बड़ौदा में आयोजित की गई थीं। चारों गोष्ठियों के प्रतिवेदन दस्तकारी बोर्ड के पास आ गये हैं और वे विचाराधीन हैं। दस्तकारी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय आगले तीन महीनों में मालूम हो जायेंगे।

संयुक्त प्रबंध परिषदें

†२६६२. श्री रामकृष्ण गुप्त:
श्री अजित सिंह सरहदी:
श्री पांगरकर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या ३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना करने के लिये अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रेरित करने के लिये किये गये अपने प्रयत्नों के परिणाम का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). कार्मिक संघों द्वारा बताये गये प्रतिष्ठानों के नामों के आधार पर सरकार यह देख रही है कि क्या वे संयुक्त प्रबंध परिषदें स्थापित करने के योग्य हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका को प्लाईवुड उत्पादों का निर्यात

†२६६३. **श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारतीय प्लाईवुड निर्माता संघ, कालीकट के प्रतिनिधि-मंडल के लोगों के अपने लंका दौरे से सम्बन्धित विचारों को बताने वाला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो लंका को प्लाईवुड उत्पादों का निर्यात करने की क्या गुंजाइश है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). इसके सम्बन्ध में २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । उसके भाग (क) में, उल्लिखित संघ का दूसरा प्रतिवेदन, जिस में लंका को प्लाईवुड के निर्यात को बढ़ाने के बारे में ठोस प्रस्ताव हों, अभी प्राप्त नहीं हुआ है । उस प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर मामले पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

२६६४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दिल्ली व नई दिल्ली में जो सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं उन में से किन-किन क्वार्टरों में अभी तक भी बिजली, पानी और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो पाई है;

(ख) अभी तक भी उन में यह व्यवस्था न हो सकने का क्या कारण है; और

(ग) देर से देर कब तक उन सब को ये सुविधायें उपलब्ध हो जाने की आशा की जाती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० ट० रेड्डी):** (क) से (ग). चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बनाये गये सब क्वार्टरों में पानी और स्वच्छता की व्यवस्था कर दी गई है । पहले इस प्रकार के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी । बाद में सरकार ने इन में बिजली लगाने का निश्चय किया । इस पर होने वाले भारी व्यय को दृष्टि में रखते हुए पुराने क्वार्टरों में बिजली लगाने का काम प्रावस्थाओं (फेज़) में बांट कर किया जा रहा है । इस श्रेणी के सब नये क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था की गई है । पुराने क्वार्टरों में से अधिकांश में यह काम पूरा हो चुका है । एक वक्तव्य सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें उन क्वार्टरों की संख्या और स्थान बताया गया है, जिन में इस समय काम हो रहा है । आशा है कि यह काम १९६१–६२ के वित्त वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

क्रमांक	दिल्ली/नई दिल्ली में स्थान का नाम	क्वार्टरों की संख्या
१.	नर्सिंग कालेज का होस्टल	२८
२.	अलीगंज	५५
३.	भूली भटियारी का तालाब	१८
४.	दिल्ली दरवाजे पर पम्प घर	६
५.	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	२०३
६.	वैस्टर्न हाउस	११६
७.	पृथ्वीराज लेन	४६
८.	सुन्दर पौधशाला (नर्सरी)	३७
९.	जामनगर हाउस	५७
१०.	मानसिंह रोड	३२
११.	औरंगज़ेब रोड	८
१२.	राजघाट	६
१३.	मार्केट लेन	२० (काम पूरा होने वाला है)
१४.	ब्लौक संख्या ८० (चित्रगुप्त रोड के पीछे की ओर)	१३६

कनाडा के साथ व्यापार

†२६६५. **श्री पांगरकर: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच व्यापार के मामले में पिछले दो वर्षों में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों में इन दोनों देशों में हुए आयात और निर्यात का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). १९६० के दौरान कनाडा से कुल आयात १४.११ करोड़ रुपये का था जब कि १९५९ में २७.८७ करोड़ रुपये का था।

१९६० में निर्यात का कुल मूल्य १६.९४ करोड़ रुपये था जब कि १९५९ में १५.१९ करोड़ रुपये था।

इसलिये पिछले वर्ष में समूची व्यापार स्थिति में उन्नति हुई है।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान से लोहा अयस्क का निर्यात

†२६६६. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से लोहा अयस्क का कुल कितना निर्यात हुआ है;

(ख) निक्षेपों की अनुमानित मात्रा क्या है और उन की किस्म क्या है; और

(ग) यह किस मूल्य पर निर्यात किया जाता है और यह किन देशों को भेजा जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) राजस्थान से १९५८, १९५९ और १९६० के दौरान लोहा अयस्क का निर्यात क्रमश: ८५९४८, १४४६७३ और १६८२६० टन रहा है ।

(ख) लगभग ३० लाख टन खोदे जाने योग्य निक्षेप हैं जिन की किस्में ५८–६० से ६५–६६ तक हैं ।

(ग) मुख्य जापान को उस दर पर निर्यात किया जाता है जिस का फैसला जापानी क्रेताओं और राजकीय व्यापार निगम के बीच बातचीत द्वारा हुआ है । मूल्यों सम्बन्धी अधिक ब्योरा बताने से राजकीय व्यापार निगम द्वारा किये जाने लोहा अयस्क के व्यापार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य

२६६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसमें कि महात्माजी द्वारा बताये हुए रचनात्मक कामों का गांवों में अच्छी तरह से प्रचार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और कब तक उसके कार्यान्वित होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

प्रतिनिधिमंडलों के चुनाव का आधार

२६६८. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार भेजती है उनमें सदस्यों का चुनाव कौन से आधार पर किया जाता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सरकार जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजती है, उसके सदस्यों का चुनाव इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन-से लोग उपर्युक्त होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीनों के सहायक पुर्जों का निर्माण

†२६६९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्तियों में मशीनों के सहायक पुर्जों का निर्माण करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्राय: सभी औद्योगिक बस्तियों में मशीनों के सहायक पुर्जे बनाने के लिये बहुत सी इकाइयां हैं । उन में से प्रसिद्ध हैं बंगलौर की (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से संलग्न) हि० म० टू० संपदा, जयपुर बस्ती (राजस्थान) राजकोट बस्ती, ओखला बस्ती, गिंडी बस्ती और अन्य ।

(१) 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' बस्ती: औद्योगिक बस्ती बंगलौर की मुख्य फैक्टरी के लिये सहायक पुर्जे बनाने के लिये स्थापित की जा रही है । इन बस्तियों में लगभग १८ एकड़ क्षेत्र आयेगा और ५० वर्कशापें होंगी, जिन में सुविधा सम्बन्धी इमारतों आदि के इलावा २४ क टाइप की और २६ ख टाइप की होंगी । ३ वर्ष की अवधि में परियोजना को पूर्ण करने की योजना की गई है । औद्योगिक बस्ती की कुल पूंजी लागत १७ लाख रुपये के लगभग है । अब तक मंजूर की गई ३१ इकाइयों में कुल विनियोजन अनुमानत: ४७.८५ लाख रुपये होगा जिस में पूंजी लागत शामिल होगी । पूरा उत्पादन होने पर इन इकाइयों का उत्पादन ७१.५ लाख रुपये के लगभग होने की संभावना है । अनुमान है कि इस योजना में ४१४ लोग काम पर लगेंगे । यह बस्ती स्थापित करने के लिये हि० म० टू० को ८.१२ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है ।

(२) जयपुर की औद्योगिक बस्ती: खरादें, बरमे, विभिन्न आकार के चक्के आदि बनाने के लिये इस बस्ती की योजना बनाई गई है । सहायक इकाइयों में फाउन्डरी, प्लैनिंग ऐंड शेपिंग, गियर कटिंग, लैंड स्क्रू और दूसरे स्क्वेयर थ्रैड कटिंग तथा हल्का मशीन का काम की इकाइयां होंगी । आशा की जाती है कि इस योजना में लगभग ६३६ लोग काम पर लगाये जायेंगे । अन्य बस्तियों में बहुत सी इकाइयां हैं ।

पश्चिम पाकिस्तान में न्यासों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्तियां

†२६७०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि पश्चिम पाकिस्तान में विस्थापित न्यासों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्तियों के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है क्या सरकार का यह विचार है कि भारत म निस्क्राम्य न्यास सम्पति मे ऐसे न्यासों की क्षति-पूर्ति की जाए; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह क्षतिपूर्ति किस प्रकार दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं। विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों के अधीन इसके लिए अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

माधोपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२६७१. **श्री तंगामणि**: क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माधोपुर में केन्दीय लोक निर्माण विभाग के कितने कितने कर्मचारी नियमित और कार्यभारित हैं;

(ख) माधोपुर में केन्दीय लोक निर्माण विभाग के कितने क्वार्टर हैं;

(ग) क्या कार्यभारित कर्मचारियों को कोई क्वार्टर दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) क्रमशः ८३ और ४८।

(ख) और (ग). नियमित कर्मचारियों के लिए ३९ क्वार्टर हैं। कार्यभारित कर्मचारियों को देने के लिए कोई क्वार्टर नियत नहीं हैं। परिणामतः कार्यभारित कर्मचारियों को कोई क्वार्टर नहीं दिया गया है।

(घ) अब कार्यभारित कर्मचारियों के लिए अलग क्वार्टर बनाना उचित नहीं समझा जाता क्योंकि धर-उधमपुर सड़क पूरी हो जाने के बाद कर्मचारियों की संख्या कम हो जायेगी।

साबुन निर्माताओं के लिए चर्बी[1]

†२६७२. **श्री कालिका सिंह**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन निर्माताओं को मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों के जरिये काफी मात्रा में चर्बी (मटन टैलो) आयात की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछली दो छमाहियों में कितनी मात्रा के लिए लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ग) कौन-कौन से अनुसूचित साबुन निर्माता साबुन बनाने के लिए मटन टैलो का आयात करते रहे हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित साबुन निर्माताओं के लाइसेंसों के अधीन चर्बी (मटन टैलो) की अधिकृत मात्रा गैर-अनुसूचित साबुन निर्माताओं को इस प्रकार अधिकृत मात्रा से अधिक है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी मे

[1] Tallow.

(ख) किसी अवधि में लाइसेंस के अधीन चर्बी (मटन टैलो) की मात्रा के आंकड़े अलग अलग उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में कई वस्तुएं जैसे खोपरा, खजूर तेल आदि, आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंसों को कुल मूल्य में यह शामिल होता है। पिछली दो लाइसेंस-अवधियों में आयात की गयी मात्रा इस प्रकार है :—

अक्टूबर १९५९ से मार्च १९६० . . .	७५,००० हंडरवेट
अप्रैल से सितम्बर, १९६० . . .	८९,००० हंडरवेट

(ग) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५८]**

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित साबुन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग आंकडे निर्धारित करना संभव नहीं है।

औद्योगीकरण लक्ष्य

†२६७३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने औद्योगीकरण के अपने वे लक्ष्य पूरे कर लिये हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नियत किये गये थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** विवरण संलग्न है।

विवरण

इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करना कठिन है। फिर, औद्योगीकरण के लक्ष्यों की गणना राज्य-वार नहीं की जाती। फिर भी यदि माननीय सदस्य छोटे, मंझले और बड़े उद्योगों के लिए प्रत्येक राज्य की योजना में नियतन, व्यवस्था और उपयोग के बारे में जानकारी चाहें तो मुझे वह देने में प्रसन्नता होगी।

बर्मा में बन्दी भारतीय

†२६७४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **बर्मा** की सरकार द्वारा आप्रवास विधि के अन्तर्गत अब तक नजरबन्द किये गये कितने भारतीय बर्मा के जेलों में हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** सरकार को यह सूचना दी गयी है कि विदेशी पंजीयन प्रमाण पत्रों की फीस के अदा न करने पर जो भारतीय गिरफ्तार किये थे, बर्मा की सरकार द्वारा अभी हाल में उनके मामलों पर पुनर्विचार किये जाने के परिणाम-स्वरूप उन्हें रिहा कर दिया गया है। जो व्यक्ति अभी भी नजरबन्द हैं उन्हें विदेशी पंजीयन अधिनियम के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट अपराधों के लिए दोषी पाया गया था, अथवा ये ऐसे लोग हैं जिन्हें बर्मा के कानूनों का उल्लंघन करने पर अवांछनीय विदेशियों के रूप में निर्वासित किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्ति

†२६७५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कालिका सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने की प्रस्थापना को समर्थन प्राप्त हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को मूर्ण रूप देने के लिए सहायता देने में भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा गांधी का एक स्मारक स्थापित करने के बारे में चर्चा हो रही है। किन्तु अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ कि यह स्मारक किस प्रकार का हो। धन इकट्ठा करने और इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गयी है।

(ख) इस प्रस्थापना की शुरुआत ब्रिटेन के लोगों ने की है। किन्तु भारतीय उच्च-आयोग इस सम्बन्ध में हो रही प्रगति से अपना सम्पर्क बनाये हुए है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों म भारतीय

†२६७६. श्री हामानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न संगठनों में कितने भारतीय काम करते हैं और क्या उनकी संख्या में वृद्धि होने की कोई गुंजाइश है; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में भरती अथवा नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे सम्बद्ध संगठनों में व्यवसायिक स्तर और उससे उच्च स्तर पर कार्य करने वाले भारतीयों की संख्या की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

२. सामान्यतः, संयुक्त राष्ट्र संघ का कर्मचारी-कार्यालय विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का रिकार्ड रखता है और ऐसा अनुमान है कि स्थान खाली होने पर उनको भरने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते समय उन आवेदन पत्रों पर विचार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में इनके चुनाव के लिए जो कसौटी निर्धारित की गयी है, वह यह है : "कार्यक्षमता, योग्यता और प्रमाणिकता के उच्चतम को प्राप्त करने की आवश्यकता और कर्मचारियों को यथासम्भव व्यापक भौगोलिक आधार पर भरती करने का महत्व।" संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे सम्बद्ध संगठनों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो जाने से यह अनिवार्य हो गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि तमाम सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और प्रत्येक देश के राष्ट्रजनों की संख्या सीमित हो। भारतीय कर्मचारियों की वर्तमान कुल संख्या सन्तोषजनक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भविष्य में भारतीयों की नियुक्ति की गुंजाइश सीमित है, हालांकि हमें स्वाभाविक रूप से यह आशा है कि हमारे देश के कर्मचारियों ने कार्य-क्षमता, योग्यता और प्रमाणिकता के जिस उच्च स्तर को कायम रखा है, उसको देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में उनकी नियुक्तियों की गुंजाइश बनी रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

क्रम संख्या	संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों का नाम	भारतीय कर्मचारियों की संख्या
१.	संयुक्त राष्ट्र संघ	६१
२.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	१५
३.	पुनर्निर्माण और विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक	८
४.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	९
५.	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	१
६.	खाद्य तथा कृषि संगठन	१७
७.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	१६
८.	संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्था	१०
९.	प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता	१
१०.	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन	५
११.	अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ	३
१२.	विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन	२
१३.	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण	६
१४.	अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ	कोई नहीं
१५.	अन्तर्सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन	कोई नहीं

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन[1]

†२६७७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की एक समिति की बैठक फरवरी, १९६१ में नई दिल्ली में हुई थी जिसमें दुनिया के ३० राष्ट्रों ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की कौन सी सिफारिशें सरकार ने मंजूर कर ली हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र): (क) १५ से २४ फरवरी, १९६१ के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की दो तकनीकी समितियों, दो उपसमितियों और दो कार्यकारी दलों की बैठकें नई दिल्ली में हुई थीं। इन बैठकों में छः समुद्रपार देशों ने भाग लिया था।

(ख) इन समितियों की सिफारिशें अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के ४४ सदस्य देशों के जरिये परिचालन द्वारा और अधिक परिष्करण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की सिफारिशों के प्रारूप के रूप में है। एक बार ये प्रारूप अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की सिफारिशों के तौर पर मान लिये जाने के बाद उनका उद्देश्य यह होगा कि वे दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में राष्ट्रीय प्रतिमान तैयार करने के लिए आधार के तौर पर काम मे लायें जायें। भारतीय मानक संस्था भारतीय प्रतिमान तैयार करने में यथासंभव उनका अनुसरण करती है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]International organisation for standardisation

फिल्मों का निर्यात

†२६७८. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्में विदेशों में अधिकाधिक लोकप्रिय हो रही हैं और इस प्रकार बड़ी विदेशी मुद्रा कमा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह सब कमाई हुई राशि भारत में नहीं लाई जाती क्योंकि निर्यात व्यापार का एकाधिकार है और व्यापार चलाने वाले कुछ एक निर्यातकों का दोहरा स्वार्थ होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियोजकों द्वारा विदेशों में कमाई गई अधिकांश राशि उनके द्वारा विदेशों में उनके अपने सार्थों में ही लगा दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई करने का विचार किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी हां । भारतीय फिल्मों के निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हो रही है ।

(ख) से (घ). सरकार को इस प्रश्न के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

ट्रैक्टरों और खेतीबाड़ी के औजारों का निर्माण

†२६७९. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं में ट्रैक्टर और खेती बाड़ी के औजार बनाने की कोई फैक्टरी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). इस समय तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों और खेती बाड़ी के औजारों के निर्माण के लिये बड़ी या मध्यम दर्जे की फैक्टरी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत ५ लाख रुपये की लागत से ट्रैक्टर पुर्जे और उपकरण बनाने के लिये कानपुर में एक फैक्टरी स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया है ।

२५ लाख रुपये की कुल लागत से ट्रैक्टर बनाने के लिये गाजियाबाद में एक फैक्टरी स्थापित करने के लिये औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस के लिये एक प्रार्थनापत्र सरकार के विचाराधीन है ।

वेस्पा स्कूटर पर सड़क कर

†२६८०. **श्री तंगामणि :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्पा स्कूटर पर सड़क कर अब दिल्ली में अब अन्य पर १५ रुपये से बढ़ कर ३० रुपये प्रतिवर्ष हो गया है यद्यपि इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). दिल्ली से स्कूटरों पर सड़क कर मोटर गाड़ी करारोपण अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार गाड़ी के बिना लदे भार के आधार पर निम्न दरों से लगाया जाता है :—

(क) बिन लदे २०० पौण्ड भार तक की गाड़ियां १५ रुपये वार्षिक ।

(ख) बिन लदे २०० पौण्ड भार से अधिक वाली गाड़ियां ३० रुपये वार्षिक ।

टिप्पण : बिन लदे भार का यह अर्थ है कि गाड़ी का भार जिसमें गाड़ी के चलते समय उसमें साधारणतया उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण शामिल हैं, किन्तु उसमें गाड़ी चलाने वाले या उसके नौकर का भार शामिल नहीं है ।

एक वेस्पा स्कूटर जिसमें एक फालतू पहिया लगा होता है जो इसको उपयोग में लाते समय साधारणतया इसके साथ रखा रहता है, उसका दिल्ली परिवहन प्राधिकार ने भार आंक लिया था और यह देखा गया कि इसका बिनलदे भार २०० पौण्ड से अधिक था । तदनुसार दिल्ली में सड़क कर अब ३० रुपये वार्षिक की दर से लगाया जाता है । अन्य स्थानों के बारे में यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बर्मा के नजरबन्द भारतीय

†२६८१. { श्री आसर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री मु० सिं० मुसाफिर : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ भारतीय राष्ट्रजन बिना मुकद्दमा चलाये बर्मा की जेलों में नजरबन्द पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). १६ भारतीय राष्ट्रजनों का उल्लेख उन भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में प्रतीत होता है जो आप्रवास अपराधों और विदेशी पंजीयन अधिनियम के उल्लंघन के लिये रंगून जेल में नजरबन्द किये गये थे और जिन्होंने अपनी नजरबन्दी के विरुद्ध प्रदर्शन किया था । सरकार को सूचना मिली है कि बर्मा के प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के परिणाम स्वरूप उन सब को जिन्हें विदेशी पंजीयन प्रमाणपत्रों का शुल्क न देने के लिये नजरबन्द किया गया था रिहा कर दिया गया है । अभी भी जो लोग नजरबन्द हैं, उन्हें विदेशी पंजीयन अधिनियम से भिन्न विशिष्ट अपराधों के लिये दंड दिया गया है और उनमें वे लोग शामिल हैं, जिन्हें बर्मा की विधियों के उल्लंघन के कारण अवांछनीय विदेशी के नाते देश निष्कासन किया जाना है ।

इम्फाल में जल-संभरण

†२६८२. श्री ले० अचौ० सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री इम्फाल में जल संभरण के बारे में वर्ष १९५९–६० के मनीपुर प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या ५६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह्यूम इस्पात पाइपों के निर्माण के लिये मनीपुर में एक कारखाना बनाया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना की कुल लागत कितनी है ; और

(ग) क्या कारखाने के लिये सामान और उपकरण प्राप्त कर लिये गये हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). इम्फाल में ह्यूम इस्पात पाइपों के निर्माण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा मनीपुर प्रशासन द्वारा कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जा रहा है । संभरण तथा निपटान महानिदेशालय ने ३०.१३ लाख रुपये के मूल्य के ह्यम पाइपों के संभरण के लिये बम्बई की एक फर्म को ठेका दिया है । भंडारों की स्थिति को देखते हुए, जिनमें अधिक परिवहन लागत अन्तर्ग्रस्त है और रास्ते में सामान के टूटने की आशंका है, यह खरीद इस शर्त पर की गई है कि संभरणकर्ता इम्फाल में एक छोटा निर्माण कारखाना लगा कर इन पाइपों का निर्माण करेंगे । ठेके की लागत में निर्माण कारखाना लगाने की लागत शामिल है ।

(ग) आवश्यक उपकरण और कच्चा माल प्राप्त करना संभरणकर्ता की जिम्मेवारी है । संभरणकर्ताओं से यह पता लगा है कि उन्होंने सभी अपेक्षित उपकरण कलकत्ता से इम्फाल भेज दिये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में रेशम कारखाना

†२६८३. श्री रामी रेड्डी: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक रेशम विधायन कारखाना[1] स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये अपनी वार्षिक योजना में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ३०,००० रुपये की लागत से हिन्दूपुर में एक रेशम न्युद्वेष्टन कारखाना[2] लगाने और लगभग २०,००० रुपये की लागत से हिन्दूपुर और पालमनेर क्षेत्रों में एक रेशम लपेटने का कारखाना[3] लगाने के लिये योजनाओं को शामिल किया है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने, जिसने इन योजनाओं की जांच की, इस समय आन्ध्र प्रदेश में कच्चे रेशम के बहुत कम उत्पादन के कारण रेशम बटने का कारखाना[4] स्थापित करने पर स्वीकृति नहीं दी है । जहां तक रेशम लपेटने के कारखाने का सम्बन्ध है, बोर्ड ने राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि एक पृथक कारखाना स्थापित करने के बजाय हिन्दूपुर और पालमनेर में ५ कुटीर बेसिन और लगा कर उनकी रील चढ़ाने की क्षमता बढ़ायी जाये ।

स्नेप फासनर्स उद्योग[5]

†२६८४. श्री धर्मलिंगम् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८ से १९६० तक राज्यवार स्नेप फासनर्स उद्योग चालू करने के लिये कितनी प्रार्थनायें प्राप्त हुईं और राज्यवार उनको चालू करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Silk Processing Factory.
[2] Silk Twisting Plant.
[3] Filature Unit.
[4] Throwing Plant.
[5] Snap Fasteners Industries.

विवरण

स्नेपफ़ास्तनर्ं का निर्माण गैर-अनुसूचित उद्योग है और इसलिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसैंस की आवश्यकता नहीं है।

बड़े पैमाने के क्षेत्र में प्राप्त और अनुमोदित योजनाओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :

राज्य	प्राप्त योजनाओं की संख्या	अनुमोदित योजनाओं की संख्या
मद्रास	४	४
महाराष्ट्र	२	१
पश्चिम बंगाल	२	२
पंजाब	१	शून्य
कुल . .	९	७

छोटे पैमाने के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। कई एककों ने स्नेप फ़ास्तनर्ं के निर्माण के लिये मशीनों का आयात कर लिया है अथवा कर रहे हैं। इन एककों का राज्य वार वितरण निम्न प्रकार हैं:

मद्रास	५
दिल्ली	४
महाराष्ट्र	२
पंजाब	२
उत्तर प्रदेश	१
पश्चिम बंगाल	१
मैसूर	१
जम्मू	१
कुल .	१७

अखबारी कागज का आयात

†२६८५. श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० की दूसरी छमाही में वर्ष १९५९ की इसी अवधि की अपेक्षा अधिक अखबारी कागज का आयात किया गया ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया और उसकी कुल लागत क्या है ;

(ग) इस अवधि में नेपा में कितने कागज का उत्पादन किया गया ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो निम्नलिखित समाचार-पत्रों के समूह को आयातित और देशी अखबारी कागज की कितनी कितनी मात्रा दी गयी :

(१) इण्डियन एक्सप्रैस समूह ;

(२) टाइम्स आफ़ इण्डिया समूह ;

(३) हिन्दुस्तान टाइम्स समूह ;

(४) स्टेट्समेन समूह ; और

(५) हिन्दू ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग)

जुलाई-दिसम्बर, १९५९	जुलाई-दिसम्बर, १९६०
११०२१.९७ टन	१११६४.०२ टन

(घ) इन समाचारपत्रों को दी गयी विदेशी मुद्रा और वर्ष १९६०–६१ के लिये नेपा अखबारी कागज के आवंटन के बारे में जानकारी ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५९ के उत्तर में दी जा चुकी है ।

पृथक पृथक समाचारपत्रों द्वारा वास्तविक आयात और सरकारी आवंटन के विरुद्ध उनको नेपा मिल से प्राप्त वास्तविक संभरण के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सस्ते रेडियो का निर्माण

†२६८६. श्री तगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाड में एक उद्योगपति द्वारा कोयम्बटूर में अपने कारखाने में छोटे और सस्ते रेडियो बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महीने कितने सेट बनाये गये और प्रत्येक का क्या मूल्य है ; और

(ग) क्या इस उपक्रम के लिये सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कोयम्बटूर में यू० एम० एस० कारखाने में जून, १९५८ से कम मूल्य वाले रेडियो सेट बन रहे हैं ।

(ख) उत्पादन के महीने-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । जून, १९५६ के बाद से बिक्री के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

मूल्य	बेची गयी मात्रा
१०० रुपये	११०० नग
१३५ रुपये	९८७ नग
१५५ रुपये	१३५० नग
१७५ रुपये	१७८० नग
२२५ रुपये	२७०० नग

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन दिसम्बर, १९५७ में इस फर्म को मद्रास सरकार ने १ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास में चमड़ा उद्योग

†२६ ७. **श्री तंगामणि :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में मद्रास राज्य में चमड़ा उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाही की जावेगी ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन आवंटन किया गया है ; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ के लिये इस धन राशि में से अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). वर्ष १९६१–६२ में पेराम्बूर, मद्रास में चमड़े के सामान और जूतों के लिये एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की जावेगी। इसकी लागत का अनुमान ११,८४,९३० रुपये लगाया गया है। विलुप्पुरम, अम्बूर उत्तरी अर्काट जिले में चमड़े को रंगने और साफ करने के लिये सेवा-एवं प्रशिक्षण केन्द्र का १०,०१,९५० रुपये की लागत से विस्तार किया जावेगा।

(ग) वर्ष १९६०–६१ में मद्रास राज्य में चमड़ा उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गयी विभिन्न योजनाओं के लिये ९.१२ लाख रुपये के उपबन्ध में से अब तक ६.७३ लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

ट्रकों और बसों के लिये टायरों का आवंटन

†२६८८. **श्री धर्मलिंगम् :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों और बसों के लिये टायरों का आवंटन किन सिद्धान्तों पर किया जाता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि छोटे संचालकों को अपने इस्तेमाल के लिये टायरों प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सामान्यतः देश में निर्मित टायरों के वितरण का काम सरकार नहीं करती।

(ख) देश में टायरों की कमी के कारण कुछ विशेष साइजों के टायरों के संभरण न किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वास्तविक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर टायर देने के बारे में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) मांग और देशी उत्पादन के बीच के अन्तर को राज्य व्यापार निगम के जरिये आयात करके पूरा किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) देश में टायरों के निर्माण की अधिक क्षमता को लाइसेंस देकर देशी उत्पादन को बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(३) टायरों के वास्तविक उपभोक्ताओं से मांग दर्ज करने और उन्हें ऊंची मूल्य पर नियमित अवधि के बाद टायरों का संभरण करने के लिये देश भर में टायर व्यापारी संघ बनाये गये है ।

मद्रास में नमक का कारखाना

†२६८९. **श्री उस्मान अली खां :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मद्रास राज्य में एक नमक का कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) इस कारखाने की क्षमता और लागत क्या है ; और

(ग) यह कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सरकार एक योजना बना रही है ताकि तंजौर जिले में वेदारण्यम में एक नमक का कारखाना स्थापित किया जा सके । । इस कारखाने पर अनुमानतः २ करोड़ रुपये लागत आयेगी और इसकी क्षमता लगभग २ लाख मीटरिक टन होगी ।

ऋण प्रत्याभूति योजना[1]

†२६९०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक के अधीन वाणिज्यिक बैंको से ऋण के बारे में ऋण प्रत्याभूति योजना के अधीन छोटे पैमाने के एककों से अब तक कितने आवेदन-पत्र मिले हैं और वे किन राज्यों से मिले हैं ;

(ख) अब तक कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं और कितना धन बांटा गया है ; और

(ग) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें उन आवेदन कर्ताओं के नाम दिये गये हों जिनको यह प्रत्याभूति मंजूर की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) २० मार्च, १९६१ तक निम्नलिखित राज्यों से १,९४,८८,८०० रुपये के लिये ५६८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए :

१. आन्ध्र प्रदेश
२. बिहार
३. दिल्ली
४. गुजरात
५. केरल
६. मद्रास

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Credit Guarantee Scheme.

७. महाराष्ट्र
८. मैसूर
९. उड़ीसा
१०. पंजाब
११. राजस्थान
१२. उत्तर प्रदेश
१३. पश्चिम बंगाल

(ख) २० मार्च, १९६१ तक १,६६,४७,३०० रुपये के लिये ४८४ आवेदन पत्रों के बारे में ५२७ प्रत्याभूति प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं ।

(ग) यह जानकारी गोपनीय है ।

भारत-चीन मैत्री संघ

†२६९१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन मैत्री संघ नामक संस्था को अपने कार्यालय के लिये सरकारी जगह दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह जगह कब से दी गयी है;

(ग) इससे प्रति मास कितना किराया लिया जाता है और अब तक कितना किराया लिया जा चुका है; और

(घ) ऐसी और किस किस संस्था को अपने कार्यालय के लिये सरकारी जगह दी गयी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां !

(ख) ७-१२-१९५५ से ।

(ग) वर्तमान मासिक किराया सर्विस चार्ज (६४-६९ रुपये) समेत १७१·४७ रुपये है ७ दिसम्बर, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि के लिये ९,२८२.८८ रुपये वसूल किये गये हैं ।

(घ) एक सूची संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९]

चाय के मूल्य में वृद्धि

†२६९२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष के लिये आय-व्ययक-प्रस्तावों में चाय पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाये जाने की घोषणा के बाद चाय के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) चाय के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). चाय के मूल्यों पर उत्पादन-शुल्क के बारे में आय-व्ययक प्रस्तावों के प्रभावों के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता । पूर्वोत्तर प्रदेश में सीज़न मन्दा है और मई-जून में नया मौसम आरम्भ होने पर ही उचित रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय और सेना प्रधान कार्यालय के लिये इमारत

†२६९३. **श्री राधा मोहन सिंह** :क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय और सेना प्रधान कार्यालय के लिये एक 'इण्डियन पेंटागन' के निर्माण को मंजूरी दे दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या होगी और यह इमारत कब और कहां बनायी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख).प्रतिरक्षा मंत्रालय और सेना प्रधान कार्यालय के लिये एक कार्यालय भवन साउथ ब्लाक के पीछे प्लाट संख्या ३५ और ३६ पर बनाया जायेगा । अभी इस इमारत के नक्शे और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पटसन की वस्तुओं का उत्पादन

†२६९४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९६१ में भारत में जूट की वस्तुओं के कुल उत्पादन में काफ़ी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) फरवरी, १९६१ में ७७,४०० टन का उत्पादन हुआ जबकि फरवरी, १९६० में यह उत्पादन ८६,००० टन था ।

(ख) और (ग). उत्पादन में कमी अधिक करघे बन्द करने और कच्चे पटसन की कमी के कारण आवश्यक कार्य के घंटों में कमी के कारण है। जूट के भारतीय उत्पादन में सुधार के साथ, जिसके लिये अथक प्रयत्न किया जा रहा है, स्थिति में सुधार की आशा है ।

पटसन में वायदा व्यापार

†२६९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के वायदा व्यापार पर काफ़ी समय से रोक लगा दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस निलम्बन के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको पुनः चालू करने की क्या संभावनायें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां, ३० नवम्बर, १९६० से ।

(ख) कच्चे पटसन की कमी के कारण पटसन बाजार में असामान्य स्थिति है । पटसन बाजार में कृत्रिम रूप से मूल्यों के बढ़ने से रोकने के लिये ३० नवम्बर, १९६० के बाद से नये वायदा व्यापार की अनुमति नहीं दी गयी है ।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक का संयुक्त अरब गणराज्य का दौरा

†२६९६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य नियंत्रित उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कब जा रहे हैं ; और

(ग) उनके दौरे का क्या प्रयोजन है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति के नंगल उर्वरक कारखाने के दौरे के बाद पिछले अप्रैल में श्री बी० सी० मुकर्जी को आसवान आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ जहां केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिये एक ऐसा ही कारखाना लगाया जा रहा है । यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया और श्री मुकर्जी, मंगलवार, २८ मार्च, १९६१ की रात्रि को काहिरा चले गये । यह दौरा लगभग एक सप्ताह का होगा । ऐसे दौरों से दोनों देशों और सामान्य रूप से अफ्रीका-एशियाई देशों के बीच सहयोग की भावना बढ़ेगी ।

सिलाई की मशीन बनाने वाले कारखाने

†२६९७. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार सिलाई की मशीन बनाने के कुल कितने कारखाने हैं और राज्य-वार पृथक्-पृथक् उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष १९५९ की तुलना में वर्ष १९६० में प्रत्येक राज्य से कितनी सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात में कुल वृद्धि और कमी के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]

शीशे की सिरिंज[1]

†२६९८. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीशे के सिरिंज निर्माताओं से संरक्षण के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Glass Syringes.

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जांच कर ली गई है ;

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया; और

(घ) जापान से सिरिंज के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) २ से ३० सी० सी० तक के साइज की शीशे की सभी सिरिंजों का आयात अप्रैल—सितम्बर, १९६१ की अवधि के लिये आयात नीति के अधीन सभी प्रकार से रोक दिया गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्यात संवर्द्धन

†२६९९. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री उस्मान अली खां :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्यात संवर्द्धन का कार्य प्रमुख व्यापारियों को सौंपने की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार निर्यात संवर्द्धन के लिये इनको अधिक कार्यकारी बनाने के लिये संस्था विषयक व्यवस्था कर रही है। इस समय व्यापारी लोक विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों से सम्बद्ध हैं। जब परिवर्तन किया जायेगा, तो वाणिज्य मण्डल और निर्यात संवर्द्धन संस्थाओं से परामर्श लिया जायेगा।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागाओं द्वारा आक्रमण

†२७००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागाओं द्वारा वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक पृथक् पृथक् कितने आक्रमण किये गये हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि में नागा आक्रमण से कितने व्यक्तियों की जानें गयीं ;

(ग) नागाओं ने कितनी सम्पत्ति लूटी; और

(घ) उसी अवधि में नागाओं से कितने हथियार बरामद किये गये और कितने हथियार वे उठा ले गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पति का निर्यात

†२७०१. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति और जमाये हुए वनस्पति तेलों के निर्यात के लिये एक प्रोत्साहन योजना चलायी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) १७ मार्च, १९६१ की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संलग्न है जिसमें वनस्पति और जमाये हुए वनस्पति तेलों के निर्यात के लिये प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

न्यूटन–चिकली कोयला खान दुर्घटना में जांच

†२७०२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूटनचिकली कोयला खानों के मैनेजर के विरुद्ध, जिसको दिसम्बर, १९५४ में हुई दुर्घटना के लिये जिम्मेवार ठहराया गया है, अभियोग किस प्रक्रम पर है; और

(ख) क्या उसमें शीघ्रता करने के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). १० फरवरी, १९६१ को उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मैनेजर की अपील पर निर्णय दिया और उनकी अपील खारिज कर दी । आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मद्रास राज्य में मध्य आय-वर्ग आवास योजना

†२७०३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य आयवर्ग आवास योजना के अधीन मद्रास राज्य को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १०१ लाख रुपये ।

(ख) २८-२-१९६१ तक ६८.१७ लाख रुपये ।

मद्रास राज्य में निम्न आय-वर्ग आवास योजना

†२७०४. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य को निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अधीन कितनी धनराशि दी गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह धन पूरा खर्च कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अवधि में जिलेवार वास्तव में कितना खर्च किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्रास सरकार को निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अधीन दी गयी २४६.१० लाख रुपये की राशि में से, उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने १ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक २२६ लाख रुपये खर्च किये हैं।

(ग) इस योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा जिलावार व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

मुगले-आजम

२७०५. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महारानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा के अवसर पर उन्हें दिखाने के लिये मुगले-आजम फिल्म का अंग्रेजी रूपान्तर तैयार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना समय और कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) क्या उक्त फिल्म महारानी को लन्दन में दिखाने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव

बस्तर की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझको निम्नलिखित विषय पर तीन स्थगन प्रस्तावों तथा दो अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना प्रस्तावों की सूचना मिली है। "मध्यप्रदेश में विधि और व्यवस्था का ठप्प होना, जैसा कि बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हत्याओं तथा अभी हाल ही में पूर्ण आदिवासी प्रदर्शन पर निर्दय प्रहार से स्पष्ट है।" विधि और व्यवस्था का मामला होने से यह राज्य का विषय है तथापि इस मामले में आदिवासी भी अन्तर्ग्रस्त हैं अतः मैं इसे अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। यदि गृहमन्त्री इस विषय में कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पिछले कुछ दिनों से बस्तर के आदिवासी, बस्तर के भूतपूर्व महाराजा को मुक्त करने तथा उन्हें पुनः पदस्थ करने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। महाराजा आजकल निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नरसिंहगढ़ जेल में नजरबन्द हैं। महाराज के कुछ सहयोगियों के द्वारा किये गये प्रचार के कारण कुछ आदिवासियों में उत्तेजना फैल गयी। २७ तारीख को टोकवाल बाजार में, जो स्थान जगदलपुर से १२ मील दूर है, आदिवासियों ने दो गिरफ्तार बन्दियों को छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारियों पर पत्थर फेंके, जिसके फलस्वरूप पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिये आंसू लाने वाली गैस छोड़नी पड़ी। उसी

---

†मूल अंग्रेजी में

रात को आदिवासियों की एक भीड़ ने एक शराब भट्टी पर हमला किया और सारी शराब पी गये। आदिवासियों द्वारा उत्तेजना फैलाये जाने पर भी जिला अधिकारी उनको समझा बुझा कर शान्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

३१ मार्च, को, जो कि लोहानडिगुड़ा में पेंठ का दिन था, आदिवासियों की एक बहुत बड़ी भीड़ तीर कमान बर्छे भालों से लैस होकर बाजार में जमा हो गयी। उपद्रव की आशंका से वहां अधिकारियों ने पुलिस दल तैनात कर दिया। १२.३० बजे दिन तक वहां पुलिस के उप-महानिदेशक (डिप्टी इन्सपेक्टर जर्नरल), कलक्टर, तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट भी पहुंच गये, आदिवासियों के जलूस को पुलिस स्टेशन से आधे मील पर रोक दिया गया। जलूस नेता रहित था तथा बहुत उत्तेजित ज्ञात होता था। उन्होंने यह मांग की कि बस्तर के भूतपूर्व राजा को कल प्रातः तक बस्तर पहुंचाया जाय। जिन २५ आदिवासियों से कलक्टर और पुलिस के उप-महानिदेशक ने बातचीत की उन्होंने कहा कि वे भीड़ का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को एक गांव से एक प्रतिनिधि चुन कर उससे सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। वे इस बात पर सहमत हो गये। पुलिस सुपरिन्टेंडेंट कलक्टर और डी० आई० जी० ने उनके साथ ४० मिनट तक बातचीत की लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। बस्तर के नये शासक से भीड़ को सम्बोधित करने को कहा गया।

आदिवासियों को समझाने के सारे प्रयत्न असफल रहे। आदिवासियों की भीड़ से पुलिस अधिकारियों को खतरा पैदा हो गया। जिला मजिस्ट्रेट ने भीड़ को उत्तेजित देख कर उसे गैर-कानूनी करार दिया और अतिरिक्त जिलाधीश ने लाउड स्पीकर से भीड़ को तितर बितर हो जाने को कहा। इस पर सीटियों की आवाजें आने लगीं जो कि आक्रमण करने का परम्परागत संकेत है। कुछ तीर भी छोड़े गय। इस पर आंसू लाने वाली गैस छोड़ी गयी तथापि भीड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत उन्होंने पुलिस के सहायक सुपरिन्टेंडेंट पर आक्रमण किया। अतः उन्होंने अपनी रक्षा के लिये रिवाल्वर से पांच गोलियां चलाईं। पुलिस स्टेशन तथा पुलिस अधिकारियों के जीवन को खतरा देख कर विशेष सशस्त्र पुलिस ने ४० गोलियां चलाईं। यद्यपि मैं नवीनतम आंकड़े नहीं जानता हूं तथापि इसके फलस्वरूप १० व्यक्ति मारे गये और ६ घायल हुए। घायल व्यक्तियों में से दो बाद में मर गये।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : क्या किसी व्यक्ति को तीरों से चोट पहुंची ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह भीड़ बहुत बड़ी थी, जैसा कि समाचार पत्रों में भी आया है उसमें लगभग १० हजार व्यक्ति थे। पुलिस का यह कहना है कि जब उन्होंने थाने पर खतरा देखा और पुलिस के अधिकारियों के जीवन को खतरा पैदा हुआ, तभी उन्होंने यह कार्यवाही की। वस्तुतः भूतपूर्व महाराजा के सहायक इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और आदिवासियों को थाने में हमला करने और अधिकारियों पर हमला करने के लिये उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम महाराजा को मुक्त करने के लिये सभी कुछ करने को तैयार हैं। अतः यदि जनता हिंसा करने पर आमादा हो गयी तो पुलिस को कुछ कार्यवाही करनी ही थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला विधि और व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है अतः यह राज्य सरकार का मामला है। माननीय मन्त्री का कथन है कि इस काण्ड की सारी जिम्मेदारी उस भीड़ पर है जो बस्तर के भूतपूर्व महाराजा को मुक्त करना और उन्हें पुनः पदस्थ करना चाहती थी। जब भीड़ एकत्र हो गयी तो महाराजा के छोटे भाई को जो कि वर्तमान महाराजा हैं, बुलाया गया तथापि वे भी भीड़ को समझाने में असफल रहे। इस पर आंसू लाने वाली गैस छोड़ी गयी लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। अतः अन्य कोई मार्ग नहीं रह गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

अतः माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के पश्चात् इस सम्बन्ध में अग्रेतर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या यह संसद् का संवैधानिक दायित्व नहीं है कि किसी राज्य में विधि और व्यवस्था का उल्लंघन न होने पावे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उस राज्य में विधि और व्यवस्था को धक्का लगा है, इसके विपरीत हमें राज्य सरकार को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने वहां विधि और व्यवस्था बनाये रखी है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस घटना में १२ व्यक्तियों की जानें गई हैं, तथापि मन्त्री महोदय ने अपना वक्तव्य देते समय उनके प्रति शोक भी प्रगट नहीं किया । क्या ऐसे अवसर पर सरकार को बधाई देना उचित है ? हमें इस बात पर अत्यन्त दुःख हुआ कि जब आपने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को बधाई दी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा सुझाव है कि आपको ऐसे मामलों में निष्पक्ष रहना चाहिये ।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : मेरा निवेदन है कि वस्तुतः कांग्रेस विरोधी कुछ दल इस आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और वह इस स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं । अतः वहां प्रत्येक बाजार के दिन सभाओं का कार्यक्रम रखा जाता है ।

डा० गोविंद दास(जबलपुर): अध्यक्ष जी, मैं भी उसी प्रदेश से आता हूं, जहां पर यह बात हुई । जो लोग अभी बोल रहे थे, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोग बस्तर गये हैं,कितने लोगों ने बस्तर की स्थिति देखी है और कितने लोग वहां की स्थिति से वाकिफ हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर के आदिवासी जिस स्थिति में हैं, जैसा कि मेरे मित्र, श्री राधेलाल व्यास ने कहा है, विरोध की जितनी पार्टियां हैं, दल हैं, उन को भड़का सकते हैं और वे भड़काए जा रहे हैं.....

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : * * * * *

डा० गोविन्द दास : .....और अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही न की होती और अगर वह आगे इस प्रकार की कायवाही नहीं करेगी, तो बस्तर में और वहां चारों तरफ बड़ा भारी उपद्रव हो सकता है । इसलिये हम को इस प्रश्न पर मध्य प्रदेश की सरकार को हृदय से बधाई देनी चाहिये और हृदय से धन्यवाद करना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे दुःख है कि इस विषय को लेकर सभा में इतनी उत्तेजना पैदा हो गयी है । वस्तुतः किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के काण्ड से जिसमें १२ व्यक्तियों की जाने गयीं खुशी नहीं हो सकती है । तथापि प्रश्न यह है कि क्या इनकी जानें बचाने के लिये हम देश में ऐसी स्थिति पैदा होने देते जिससे कि हजारों व्यक्तियों की जानें जातीं । इस सम्बन्ध में मुझे दो स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । आदिवासियों का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होने के कारण मैंने सरकार से अनुरोध किया कि वे सभा को इस सम्बन्ध में जानकारी देवें ।

जहां तक राज्य की विधि और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति का प्रश्न है वह बिल्कुल ठीक है, केवल राज्य के एक भाग में एक घटना हुई थी वह भी तत्काल दबा दी गयी । अतः सभा को इस सम्बन्ध में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द निकाल दिये गये । **देखिये वाद विवाद दिनांक ४-४-६१

निस्सन्देह सभा चाहती है कि राज्य में विधि और व्यवस्था बनी रहे। अतः मैंने राज्य को विधि और व्यवस्था पुनः कायम करने पर धन्यवाद दिया था। मैंने उन्हें इन बारह व्यक्तियों की जान लेने पर बधाई नहीं दीं थी। निस्सन्देह इस काण्ड से हम सभी दुखी हैं। यदि सरकार की ओर से कोई ज्यादती की गयी है तो उसकी जांच की जा सकती है।

मैं स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"लिस्बन से १६०० पुर्तगाली सैनिकों का गोआ भेजा जाना।"

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: सरकार ने समाचार पत्रों में इस प्रकार का सम्वाद देखा है कि नेशनल कम्पनी आफ लिस्बन के एक वाणिज्यिक जहाज स्टीम शिप न्यासा को, पुर्तगाल से १६०० सैनिक गोआ भेजने के लिये रक्षित किया गया है। यह जहाज ८ मार्च को लिस्बन से चला। यह सैनिक उनके स्थान पर भेजे जा रहे हैं जो कि गोआ और दमन में अपनी पदावधि समाप्त कर चुके हैं।

सरकार को ज्ञात है कि अभी पुर्तगाल अधीकृत गोआ, दमन और दीव में पुर्तगाली सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है। तथापि वह सैनिकों के इस आगमन को विशेष महत्व नहीं देती है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या सरकार के पास इस बात की पुष्टि के अन्य साधन हैं कि ये १६०० सैनिक वतमान पुर्तगाली सैनिकों का ही स्थान लेंगे ?

क्या वहां की जनता को भी असैनिक प्रतिरक्षा संगठन के नाम पर सेना में बलात् भरती किया जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: पुर्तगाल के कार्यों के सम्बन्ध में सीधी जानकारी मालूम करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। अन्य जानकारी भी हमें विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती है। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये दूसरे विषय के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम के अधीन अधिसूचना

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची ६ में कुछ परिवर्तन करने वाली दिनांक २२ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७९७/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तृतीय संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७९८/६१]**

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा ३० मार्च, १९६१ की बैठक में पारित किये गये उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक १९६१ की एक प्रति संलग्न की है।

उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

†**सचिव** : श्रीमन्, मैं उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक १९६१ राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २७ मार्च १९६१ को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक को सभा पटल पर रखता हूं :—

उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१

लोक लेखा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन (कूच बिहार रक्षित अनुसूचित जातियां)**: मैं विनियोग लेखा (प्रतिरक्षा सेवायें) १९५८–५९ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) १९६० के बारे में लोक लेखा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (तिपतुर) : मैं प्रयोगात्मक नलकूप संगठन के विषय में खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनूदानों की मांगें—जारी

वैदेशिक कार्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी । इसके लिये ६ घंटों का समय निश्चित किया गया है । आज सभा ६।। बजे तक बैठेगी ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : आलोच्य वर्ष में हमें सीमा सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में भारतीय अधिकारियों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह सरासर आक्रमण है और इस प्रकार एक मित्र देश को धोका दिया गया है । इस पर दो प्रश्न पैदा होते हैं पहिला यह कि चीनियों के द्वारा अधीकृत क्षेत्रों को पर पुन कब्जा करने के लिय क्या किया गया है ?

अधिकृत क्षेत्रों को खाली करवाने के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसमें १० या २० वर्षों का समय लग सकता है । प्रधान मन्त्री का यह भी कहना है कि सम्भव है वे सही रास्ते पर आ जायं । यह बातें सम्भव प्रतीत नहीं होती हैं ।

यह कहा गया है कि सीमाओं की प्रतिरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर ली गयी है । तथापि हमें उनसे सतर्क रहना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में तीसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि साम्यवादी चीन के साथ हमारी नीति क्या रहनी चाहिये । यह इस बात पर निर्भर है कि वहां किस प्रकार की सरकार है । इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य के दौरान प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि चीन की केन्द्रीय सरकार सदैव से ही विस्तार वादी रही है । उनकी यह प्रवृत्ति उन्हें उनके वाद तथा धर्मांधता का समर्थन पाकर और भी बढ़ गयी है । तथापि यह निश्चित नहीं है कि इसके आधार पर प्रधान मन्त्री सही कार्यवाही करेंगे । वस्तुत: वह किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि विशेषत: दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की क्या स्थिति है ।

हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से एशिया के अन्य देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त करवाने तथा एशियाई देशों में एकता स्थापित कर एशिया की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मजबूत बनाने में काफी प्रयत्न किया । हमने विश्व के समक्ष भी यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि चीन एक प्रगतिशील और लोकतन्त्रात्मक देश है । तथापि इसका यह फल हुआ कि चीन ने हमारे साथ दगा की और हमारे नैतिक प्रभाव को आघात पहुंचाया । चीन ने एशियाई देशों के साथ हमारी मैत्री तथा हमारी प्रतिष्ठा की भावना को भी धक्का पहुंचाया है । अब चीन हमारे पड़ौसी देशों से अनाक्रमक संधियां कर रहा है । सम्भव है भविष्य में पाकिस्तान के साथ भी यह सन्धि की जाय । चीन के विदेश मन्त्री चैन यी इस समय इण्डोनेशिया में हैं और उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि चीन ने केवल उस प्रदेश पर कब्जा किया है जहां केवल पशु ही रहते हैं । मेरा अनुमान है उन्हें ऐसा कहने का संकेत उन भाषणों से मिला है जो सभा में दिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन ने हमारे पड़ोसियों और हमारे बीच एक खाई पैदा कर दी है। चीन के भारत-विरोधी प्रचार और कार्यवाहियों के कारण, हमारे पड़ोसी देश और पाश्चात्य देश भी भारत-चीन विवाद के बारे में तटस्थ रुख अपना रहे हैं। एक अमरीकी पत्रिका "लुक" के सम्वाददाता से मुलाकात के दौरान चाउ-एन-लाई ने भारत को समाजवाद का दुश्मन बताया है। उनका कहना है कि पाश्चात्य देशों से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये ही भारत समाजवाद का विरोध कर रहा है।

हमारी सरकार ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। हमारे प्रधान मंत्री के पास इतना समय ही नहीं कि वह वैदेशिक मंत्रालय का काम ठीक से देख सकें। नतीजा यह हुआ है कि चीन ने हमारा १२,००० वर्ग मील का क्षेत्र दबा लिया है। अन्य किसी देश में ऐसी सरकार चल नहीं सकती थी। चीन ने हमारे प्रदेश में सड़कें तक बना ली हैं।

चीनी आक्रमण के खतरे के बारे में हमारी कोई निश्चित नीति ही नही है। मेरा सुझाव यह है कि प्रधान मंत्री को अपने काम का बोझ हल्का करने के लिये वैदेशिक मंत्रालय में एक और कोई अनुभवी मंत्री लेना चाहिये। इस मामले में उनको विरोधी दलों और सार्वजनिक नेताओं से विचार-विमर्श करते रहना चाहिये। हमें दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्ध और नजदीकी बनाने चाहिये।

अब यह सिद्ध हो गया है कि तिब्बत आन्तरिक, बाह्य और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक सर्वथा स्वतंत्र देश था। इसलिये हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी तिब्बत सम्बन्धी नीति बदलनी चाहिये हमें थाईलैण्ड आदि देशों द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये।

अभी कुछ ही दिन पहिले हमें बताया गया था कि हमारे देश में स्थित तीन राजदूतावासों के गुप्तचर पिछले दस साल से सक्रिय हैं। उसे यह कह कर टालने की कोशिश की गई है कि उन राजदूतावासों के केवल निचली श्रेणी के कुछ कर्मचारी गुप्तचरी करते हैं। यह कैसे हो सकता है? राजदूतावास के उच्च अधिकारियों के जाने बगैर निचली श्रेणी के कर्मचारी हमारे देश में गुप्तचर के रूप में काम नहीं कर सकते। राजदूत स्वयं तो जासूसी करते नहीं।

लेकिन सब से आश्चर्य की बात यह है कि पता लगने के बाद भी गुप्तचरी करने वाले देशों का भंडाफोड़ नहीं किया गया है। कम से कम उन देशों के नाम तो हमें बताये जाने चाहिये। नहीं तो देश की जनता सभी देशों के राजदूतावासों पर संदेह करेगी और वह बुरा होगा।

हमारे देश में हर विदेशी देश के साथ मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ़ करने के लिये संघ बनते जा रहे हैं। उनमें भारतीय लोग शामिल होते हैं। उनको आगाही होनी चाहिये जिससे कि वे ऐसे देशों के ऐजेन्टों से सावधान रह सकें।

हमने अभी कुछ दिन हुये कांगो में अपनी फौजें भेजी हैं। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमारी फौजें स्वर्गीय श्री लुमुम्बा की जन-निर्वाचित सरकार के राजनीतिक नेतृत्व में काम करेंगी या संयुक्त राष्ट्र संघ के। यदि उन दोनों में मतभेद हो तो किस की बात सुनी जायेगी?

हमें अपनी फौजें भेजने से पहिले इसका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये था। क्या कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक शक्ति इतनी है कि वह कासाबुबू के नियंत्रण से महत्वपूर्ण पत्तनों और हवाई अड्डों को छीन सके? इन सभी बातों का स्पष्टीकरण न होने से एक परिस्थिति ऐसी भी पैदा हो सकती है कि कांगो की जनता में हमारी सेना के प्रति कटुता पैदा हो जाये। यह भी हो सकता है कि कांगो में दोनों ही पक्षों के लोग हम से नाराज हो जायें।

तब हमारा हाल वही होगा जो मिया-बीबी के आपसी झगड़े में पड़ने वाले का होता है।

अफ्रीका में बसे हुये भारतीयों को अफ्रीकी जनता पहले ही ज्यादा पसंद नहीं करती। कांगो में फौजें भेजने से तो शायद वह और ज्यादा चिढ़ जायेगी।

हमने अपने सैनिकों को भेजने में जल्दबाजी की है। यदि भारत में कभी गृह-युद्ध हो तो क्या पसंद करेंगे कि विदेशी फौजें आकर उसका निबटारा करें? इस पर मुझे एक शेर याद आता है—

"खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर,
सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है।"

इस मामले में हमारी नीतियां परस्पर विरोधी हैं। एक तरफ तो हम चीख कर कहते हैं कि युद्ध से समस्याओं का हल नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से छोटे पैमाने पर युद्ध छेड़ते हैं। क्या हमने भी मार्क्सवाद की द्वन्दात्मक विचार-पद्धति अपना ली है? भावी पीढ़ियां हम को पाखंडी कहेंगी।

श्री अशोक मेहता ने बिल्कुल सही कहा था कि संसद् की अनुमति के बिना विदेशों में सेनायें नहीं भेजी जानी चाहियें। वैसे अभी तो हमें पूरा विश्वास है हमारे प्रधान मंत्री नेहरू कभी भी किसी गलत प्रयोजन के लिये फौजों को बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन कल कोई दूसरा प्रधान मंत्री भी इस प्रथा का दुरुपयोग भी तो कर सकता है।

हमने अभी कुछ ही दिन पहिले संसद् की राय लिये बगैर बेरुबाड़ी का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया है। स्वयं प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस समस्या के मानवीय पक्ष पर विचार नहीं किया था। यदि संसद् के सामने यह संधि रखी जाती तो अवश्य ही मानवीय पक्ष पर भी विचार होता।

ऐसे मामलों में कोई भी निर्णय करने से पहले संसद् से परामर्श किया जाना चाहिये। यदि संविधान में इसकी व्याख्या न भी हो, तो सरकार को ऐसी स्वस्थ परम्परायें बनानी चाहियें। और यदि आवश्यकता हो, तो संविधान को भी संशोधित किया जा सकता है।

नेपाल की घटनाओं से भी हमें धक्का लगा है। नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री हमारे साथ स्वतंत्रता-संग्राम में कंधे से कंधा मिला कर चले हैं। अच्छा यही होगा कि हमारे प्रधान मंत्री नेपाल के महाराजा को दोस्ताना सलाह दें कि नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के जीवन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट)**: देश की समूची जनता ने वैदेशिक नीति का समर्थन किया है। हमारी वैदेशिक नीति को इतनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इसी लिये मिली कि हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों का समर्थन किया है और पूर्ण निःशस्त्रीकरण का पक्ष लिया है।

इसी लिये रूस और अमरीका दोनों ही हमारी वैदेशिक नीति को पसंद करते हैं।

लेकिन अफ्रीकी और एशियायी राज्यों के साथ हमारे सम्बन्ध ज्यादा अच्छे होते हुये भी, उनको हमारी नीति के सम्बन्ध में कुछ शंकायें हैं। अफ्रीकी जनता जानती है कि श्री हैमरशोल्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की फौजों के जरिये लुमुम्बा सरकार को खत्म करने की चालें चली हैं। और चूंकि हमारे प्रधान मंत्री ने श्री हैमरशोल्ड की प्रशंसा की है, इस लिये अफ्रीकी जनता हमारी ओर से आशंकित हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुचक्रवर्ती]

राष्ट्र संघ एक विश्व संगठन है। सब से दुःखपूर्ण बात यही हुई है कि कांगो की गड़बड़ी के कारण राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। हमने वहां अपने सैनिक तो भेज दिये हैं, पर उसके सम्बन्ध में हमारी एक स्पष्ट नीति भी तो होनी चाहिये। हमारे सैनिकों का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिये।

भारतीय सैनिकों को कांगो से बेल्जियनों को निकाल बाहर कर देना चाहिये। इतनी शक्ति उनके पास होनी चाहिये।

राष्ट्रसंघ की बागडोर अब ऐसे लोगों के हाथ में नहीं रहनी चाहिये जिन्होंने कांगो की जनता के प्रति हर अपराध किया है; जिन लोगों ने कांगो की आजादी को धूल में मिलाने की हर कोशिश की है।

अब 'सीयटो' का प्रश्न लीजिये। 'सीयटो' के रहते, लाओस राज्य गुटबाजी से अलग कैसे रह सकता है। जब एक गुट 'सीयटो' के रूप में मौजूद है, तो दूसरा भी पहुंचेगा ही।

लाओस में आवश्यकता इस बात की है कि फूमा की सरकार को मान्यता दी जाये।

वियत नाम के एकीकरण की बात 'जिनेवा करार' में स्वीकार की गयी थी। लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। एकीकरण के लिये काम नहीं किया गया है।

इसी तरह, समूचे हिन्द चीन की समस्यायें उलझी पड़ी हैं। यदि हिन्द चीन की समस्याओं को सचमुच हल करना है तो दुबारा जिनेवा सम्मेलन जैसा एक सम्मेलन एक बड़े पैमाने पर बुलाया जाना चाहिये।

चीन के साथ हमारा सीमा-विवाद है। उसे हल करना आवश्यक है। उसे हल करने के लिये राजनीतिक आधार पर समझौता किया जाना चाहिये।

यह सोचना ग़लत है कि विश्वशांति परिषद् की बैठकों में भारत-चीन विवाद पर भी चर्चा हुई होगी। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। इसीलिये कि इन समस्याओं को सम्बंधित देश ही सबसे अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। इसीलिये परिषद् की बैठकों में काश्मीर का मसला भी नहीं लिया गया था।

इसमें संदेह नहीं कि हमारी वैदेशिक नीति बड़ी अच्छी है। लेकिन यह अवश्य है कि उसके प्रचार-विभाग के काम के ढंग में सुधार की गुंजाइश है। उसका प्रचार ऐसा होना चाहिये कि बाहरी देशों की जनता पर उसका प्रभाव पड़े।

प्रचार-विभाग को चाहिये कि हमारे देश की ओर से राष्ट्रसंघ के लिये जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उनके कार्यकलाप का पूरा ब्यौरा प्रचारित किया जाये। तभी हमारी जनता तय कर सकेगी कि उन्होंने हमारे देश की वैदेशिक नीति का सही प्रतिनिधित्व भी किया है या नहीं।

हमें यह याद रखना चाहिये कि अब हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक काफी प्रभावशाली पार्ट अदा करने लगा है। इसलिये सभी बाहरी देशों में हमारी वैदेशिक नीति भली प्रकार समझी जानी चाहिये।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्र मंडल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रमंडल में बने रहने की हमारी नीति बिल्कुल सही थी। स्पष्ट है कि राष्ट्र मंडल जाति भेद और रंग-भेद की नीति के विरुद्ध है।

हमारी गुटबाजी से दूर रहने की नीति को अधिकांश देशों ने पसंद किया है।

मैं मानती हूं कि कांगों और लाओस की समस्यायें बड़ी टेढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर हमारे देश के लिये तो अपनी सीमा सम्बन्धी समस्यायें अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे वैदेशिक प्रचार-विभाग को अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करना चाहिये।

मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं और वह यह है कि वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टियों से प्रचार संबंधी कामों की देखभाल एक ही मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। विदेशों सम्बन्धी प्रचार का काम ऐसा होने पर भी प्रधान मंत्री स्वयं देख सकते हैं।

चीन ने हमारा १२,००० वर्ग मील का क्षेत्र हड़प लिया है और वह देश हठधर्मी से उस क्षेत्र को वापस करने के लिए तैयार नहीं। इस समय उस देश ने एक और चाल चलनी शुरू की है। हमारे पड़ौसियों के साथ उसने समझौते करने शुरू किये हैं और वह लोग अपने झूठे दावे को सच्चा बनाने का यत्न कर रहे हैं। इस कारण इस सम्बन्ध में भारत को काफी प्रयास करने चाहिऐ और सब को सही हालत बता देनी चाहिए।

जहां तक शांति सम्मेलन का संबंध है, मैं उसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहती थी पर बात यह है कि उस सम्मेलन में बहुत ही विचित्र बातें कहीं गयी हैं। उस सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा था कि उनके विचार में न तो शांति परिषद् और न ही चीन सीमा संबंधी विवाद का जिम्मेदार है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

शांति परिषद् को वैसे सभी प्रकार की गुटबंदियों से ऊपर बताया जाता है मगर ऐसी बातों को सुनकर तो यही लगता है कि वे कुछ और ही हैं।

हमारी सरकार को उत्तरी सीमा की पूरी निगरानी रखनी चाहिए। हम तिब्बती विस्थापितों को अपने यहां शरण दे रहे हैं परन्तु उन्हीं के भेष में अनेक जासूस भी देश में घुस रहे हैं। वास्तविक विस्थापितों तथा विस्थापितों के रूप में आने वाले जासूसों में हमें फर्क करना चाहिए। इस देश में बाहरी जासूसों के अलावा अंदर भी अनेक ऐसे ही लोग हैं जो हर चीज पर अपना दृष्टिकोण दूसरों को देखकर ही बनाते हैं। वे लोग विदेशों के वफादार हैं। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।

जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, एक न एक दिन वह भी हमारे ही देश का अभिन्न अंग बनेगा। कांगों के बारे में, जैसा कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा, कि हमारे देश को गलत समझा जा रहा है, उसका जवाब यही है कि जो हमें गलत समझते हैं, वे सदा ही गलत समझेंगे। हम अपनी तरफ से ठीक चल रहे हैं। इसी प्रकार लाओस सरकार भी भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। युद्ध विराम हो जाने पर समस्या स्वयमेव सुलझ जायगी। अमरीका की नीति में भी नये प्रशासन ने काफी परिवर्तन किया है। यदि उसे ठीक प्रकार लिया गया तो दोनों गुट काफी निकट आ जायेंगे इस आणविक युग में युद्ध का विचार करना भी ठीक नहीं। अतः शांति की वास्तविक स्थापना के लिए पूर्ण निश्शस्त्रीकरण होना चाहिए। आज वैज्ञानिक प्रगति का युग है। हो सकता है अगले दशाब्द में हमारी पृथ्वी के लोगों का सम्बन्ध चंद्र आदि ग्रहों के लोगों से हो जाय। इस कारण ऐसे महत्वपूर्ण युग में हमें एकता स्थापित करनी चाहिए।

डा० गोविन्द दास(जबलपुर) : सभापति जी, जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, हमारी स्वतंत्रता के पहले यद्यपि हमारी कोई वैदेशिक नीति नहीं हो सकती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारी वैदेशिक नीति के जिन सिद्धान्तों पर हम चले, स्वतंत्रता के पूर्व भी वही सिद्धान्त हमें मान्य थे। उस समय भी मैं उन सिद्धान्तों का समर्थक था और स्वराज्य के बाद भी जब जब यह विषय इस सदन में आता है, मैं अपनी वैदेशिक नीति के सिद्धान्तों का हमेशा समर्थन करता रहा हूं। इसका कारण है। हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धान्त इस प्राचीन देश की संस्कृति के अनुरूप हैं। उस संस्कृति का मैं एक उपासक रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या अब नहीं हैं ?

डा० गोविन्द दास : गांधी जी उस संस्कृति के मूर्तिमन्त रूप थे। उस संस्कृति पर आधुनिक समय में किस प्रकार चला जाये, यह रास्ता उन्होंने हमें बताया था और हमारी वैदेशिक नीति के समस्त सिद्धान्त उस रास्ते के अनुकूल हैं। यदि आप यथार्थ में देखें, तो आप को मालूम होगा कि पंचशील, जो अब सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है, के समस्त सिद्धान्त गांधी जी के और हमारी संस्कृति के सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।

मैं आप को याद दिलाता हूं उस समय का अभी श्रीमती रेणुका राय ने भी इसी सम्बन्ध में कुछ कहा—जिस समय हमारे ये सिद्धान्त अमरीका और रूस दोनों ही देश नहीं समझते थे। कभी अमरीका हमारे खिलाफ़ कुछ कहता था, कभी रूस हमारे खिलाफ़ कुछ कहता था। लेकिन अब, जैसा कि कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा, वे दोनों ही देश, और उन दोनों देशों के अनुयायी, इन सिद्धान्तों को समझने लगे हैं। इतना ही नहीं, जिस समय हमने इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं था। कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने बताया कि आज दुनिया के बीस देश हमारी वैदेशिक नीति के अनुसार ही चलते हैं।

प्रधान मंत्री जी ने जो कल एक घोषणा की कि हमारे उत्तर-पूर्व की सीमा की रक्षा के लिये हम हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं, इस घोषणा से सारे देश को संतोष होगा। हां, शायद एक दल को न हो, जो दल सदा देश के बाहर से ही प्रेरणा प्राप्त करता रहा है और आज भी जिस का वही हाल है। मेरा मतलब है साम्यवादी दल से। मैंने अभी श्रीमती चक्रवर्ती का भाषण सुना, बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने इस घोषणा के समर्थन में अपने इस भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा। यही नहीं कि नहीं कहा, चीन के आक्रमण को इतना समय बीत गया, लेकिन आज तक भी साम्यवादी दल की इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस देश के सारे दल, सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ है, लेकिन यह बात साम्यवादी दल को स्वीकृत नहीं है। ऐसे दल को तो मैं भारतीय दल ही कहने के लिये तैयार नहीं हूं। जो लोग इस दल में सम्मिलित हैं, वे कहां तक भारतीय हैं, यह एक प्रश्न-सूचक चिह्न है। मैं सदा कहता रहा हूं और आज फिर कहता हूं कि भगवान न करे, हमारे देश पर कोई आक्रमण हो, लेकिन यदि ऐसी स्थिति भी आई, तो यह दल क्या करेगा, आज नहीं कहा जा सकता।

सीमा-निर्धारण सम्बन्धी खोजें करने के लिये जो समिति नियुक्त हुई थी, उस में हमारे सदस्यों ने जो कुछ किया, उस पर उन्हें सब ओर से बधाई मिली है। प्रधान मंत्री जी ने

कल यह आशा व्यक्त की कि शायद आगे चल कर चीन की भी इस सम्बन्ध में कुछ आंखें खुलें। हम लोग, जो शान्ति चाहते हैं, हम लोग, जो सब देशों को अपना मित्र समझते हैं, हम लोग, जो सब देशों के मित्र हैं, चीन के इस आक्रमण के बावजूद भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चीन की आंखें खुलें, चीन सही रास्ते पर चले और लगभग दो हजार वर्षों से चीन की और हमारी जो मैत्री चली आ रही है, उस मैत्री की फिर से स्थापना हो सके।

हर्ष की बात है कि कांगों में राष्ट्र संघ की सहायता के लिये हमारे सैनिक गये हैं अभी आचार्य कृपालानी जी ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यों के लिये सैनिकों को भेजना, यह केवल इस देश में ही नहीं, संसार के सब देशों में मंत्रि-मंडल के अधिकार में है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में संसद् से आज्ञा लेने की आवश्यकता है और इस विषय में यदि हम को अपने संविधान को परिवर्तित करना पड़े, तो वह भी करना चाहिए। मैं इस बात को बड़ी विवादग्रस्त बात मानता हूं। उनका भय कि किसी वक्त हम इस सम्बन्ध में कोई ग़लती न कर बैठें, चाहे सही हो, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां कुछ इतनी जल्दी-जल्दी घटित हो जाती हैं कि उस समय यदि संसद् की आज्ञा लेने के लिये इस प्रकार के कामों को रोका जाये, तो बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। हमने कोरिया भी अपने सैनिक भेजे थे और वे वहां यशस्वी हुए। मुझे विश्वास है कि कांगो में भी हमारे सैनिकों को उसी प्रकार से यश मिलेगा इससे एक और बहुत बड़ी बात सिद्ध होती है और वह ऐतिहासिक बात है कि ये सैनिक केवल युद्ध के लिए ही नहीं पर युद्ध के साथ शान्ति की स्थापना के लिए भी हैं। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना नहीं है पर उसी के साथ शान्ति की स्थापना करने का प्रयत्न करना भी है। कोरिया में हम ने यही सिद्ध किया, कांगो में भी हम इसी बात को सिद्ध कर सकेंगे।

गोआ के सम्बन्ध में हमारी चिन्ता अभी भी बरकरार है यद्यपि वह धीरे-धीरे कम होती जाती है क्योंकि इस काले बादल के चारों ओर कई बार हमें श्वेत प्रकाश भी दृष्टिकोचर होता है। हमारी नीति शान्ति की नीति है। यदि हम गोआ में उस नीति का अनुसरण न करें और अपनी फौजें गोआ भेज दें तब हम एक कहावत सिद्ध करेंगे—यह गंवारी कहावत है लेकिन हिन्दी में बहुत कही जाती है "मीठा मीठा गप और कड़ुवा कड़ुवा थू", जहां शान्ति की नीति के अनुसरण से हमारा लाभ है वहां हम शान्ति की नीति के अनुयायी हैं और जहां वह नीति हमारे मार्ग में बाधक है वहां उसके विरोधी गोआ के सम्बन्ध में हमें धैर्य रखना पड़ेगा। एक बड़े सिद्धान्त की दृष्टि से जिस सिद्धान्त पर हम चल रहे हैं, हमें शान्ति रखनी ही पड़ेगी हम संसार की राय अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और बन भी रही है वह। आज गोआ के सम्बन्ध में संसार के भिन्न-भिन्न देश, भिन्न-भिन्न विचारक हमारा जिस प्रकार से समर्थन करने लगे हैं, कुछ समय पूर्व उस प्रकार का समर्थन नहीं करते थे। इसलिए हमारा विश्वास है कि वह समय आयेगा जब न्याय की विजय हो कर रहेगी। यदि हम शान्तिपूर्ण उपायों से, हृदय परिवर्तन द्वारा अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं तो देश का एक टुकड़ा जो यथार्थ में हमारा ही हिस्सा है, उसको लेने में कैसे सफलता नहीं होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है इसलिए गोआ का विषय यद्यपि चिन्ता का कारण अभी भी बना हुआ है लेकिन हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हमारी शान्तिपूर्ण नीति पर चलते हुए गोआ हमारे देश का हिस्सा हो सकेगा।

[डा० गोविन्द दास]

दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में अभी एक बहुत बड़ी बात हुई है 'कामनवेल्थ से दक्षिण अफ्रीका निकल गया . . .

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : बहुत अच्छा हुआ।

डा० गोविन्द दास : अभी शायद आचार्य कृपालानी जी ने कहा, मैं पूरे तौर पर तो उनको नहीं समझ सका हूं लेकिन शायद उनका यह अभिप्राय था कि अफ्रीका में जो भारतीय गये हैं वे अफ्रीका में रहने वाले मूल निवासियों के साथ समरस नहीं हो सके मेरा उन से मतभेद है। मैं नहीं जानता कि वह अफ्रीका गये हैं या नहीं गये हैं। मैं अफ्रीका गया हूं और यह बहुत पुरानी बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं . . .

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : कब ?

डा० गोविन्द दास : १९३७ की बात है। उस समय वहां पर भारतीय अफ्रीका के निवासियों के साथ एक संयुक्त मोर्चा, एक कामन फ्रंट बना रहे थे और यह प्रयत्न उनका बराबर चलता रहा। आज अफ्रीका के सम्बन्ध में हम जो संवाद पढ़ते या सुनते हैं उन से स्पष्ट मालूम होता है कि वहां के भारतीय अपने हकों के लिए पृथक् रूप से लड़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां के जो श्वेत हैं जिन्होंने वहां पर अल्पमत में रहते हुए भी वहां के लोगों के सब राजनीतिक और सामाजिक हकों को हड़प लिया है, उनके खिलाफ सब मिल कर जो श्वेत नहीं हैं, अपने हकों के लिए लड़े रहे हैं मुझे आशा है कि कामनवेल्थ में से दक्षिण अफ्रीका के निकल जाने के बाद, उसके अकेले रहने के बाद उसके विरुद्ध जो संसार में लोकमत बन रहा है, उसको देखते हुए अफ्रीका के श्वेतांग बहुत देर तक अपनी इस वर्णभेद की नीति को नहीं चला सकेंगे मुझे इस बात का विश्वास है कि एक न एक दिन जिस प्रकार मैंने गोआ के लिए कहा कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, गोआ भारत का एक अंग बनेगा, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी श्वेतांगों का जो अन्याय है, उसकी इतिश्री होगी।

एक बात अब मैं निश्शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जहां तक शान्ति का सम्बन्ध है, निश्शस्त्रीकरण पर बहुत दूर तक वह अवलम्बित है। हम सदा निश्शस्त्रीकरण के पक्ष में रहे हैं और आज भी हैं। इस सम्बन्ध में बात होती है, छोटी मोटी कमेटियां भी बनती हैं लेकिन इस बात का मुझे दुःख है कि अभी तक निश्शस्त्रीकरण का प्रश्न जिस प्रकार से हल होना चाहिये, उस प्रकार से हल नहीं हुआ। इतना ही नहीं उस प्रकार से उस पर सोचा भी नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि शान्ति चाहने वाले समस्त देश अमरीका और रूस दोनों पर इस बात का दबाव लायें ताकि निश्शस्त्रीकरण का प्रश्न हल हो सके।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को उनकी वैदेशिक नीति पर बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आज तो बीस देश ही उस नीति के अनुसार चल रहे हैं लेकिन वह समय दूर नहीं है जबकि समस्त संसार उस नीति को समझेगा, समस्त संसार उस नीति पर चलेगा और युद्ध की जो बात है जिससे हम अनेकों बार कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं, थर्रा उठते हैं, उस युद्ध की सम्भावनायें समाप्त हो कर सच्ची शान्ति की स्थापना हो सकेगी।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	११७८	श्री अरविन्द घोषाल	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सड़कें बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	११७९	श्री अरविन्द घोषाल	आदिम जाति क्षेत्रों को अनाज का संभरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	११८०	श्री अरविन्द घोषाल	पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती का विकास करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	११८१	श्री अरविन्द घोषाल	आदिम जाति क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	११८२	श्री अरविन्द घोषाल	आदिम जाति क्षेत्रों में पीने के पानी के संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	१२२८	श्री अरविन्द घोषाल	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में दासों को स्वतंत्र कराने के लिए अदायगियों को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१७	१२१७	श्री अरविन्द घोषाल	नागा पहाड़ियों में धर्म प्रचारकों से स्कूलों और हस्पतालों का प्रबन्ध लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
१७	१२१८	श्री अरविन्द घोषाल	नागाओं के विद्रोह को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१७	१२१९	श्री अरविन्द घोषाल	नागाओं को शस्त्र मिलने के स्रोतों को पता लगाने की जरूरत	१०० रुपये
१८	११७५	श्री अरविन्द घोषाल	विदेशों में भारतीय योद्धा भेजने की नीति पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१८	११७६	श्री अरविन्द घोषाल	तटस्थता की नीति	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	११७७	श्री अरविन्द घोषाल	. पंचशील की नीति पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता	मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय
१८	२१७	श्री मो० ब० ठाकुर	. उत्तर गुजरात में भारत-पाक सीमा पर चौकियां बढ़ाने की जरूरत	१०० रुपये
१८	९९१	श्री अरविन्द घोषाल	. नेता जी द्वारा सिंगापुर में स्थापित युद्ध स्मारक के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	११६३	श्री मो० ब० ठाकुर	. इसराइल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
१८	११६४	श्री मो० ब० ठाकुर	. चीनी आक्रमण को हटाने में असफलता	१०० रुपये
१८	११६५	श्री मो० ब० ठाकुर	. काश्मीर और गोआ की समस्याओं को हल करने में असफलता	१०० रुपये
१८	११६६	श्री मो० ब० ठाकुर	. भारतीय शिष्ट मंडलों पर भारी व्यय कम करने में असफलता	१०० रुपये
१८	११६७	श्री मो० ब० ठाकुर	. नगर हवेली और दादरा को भारतीय संघ में शामिल कराने की असफलता	१०० रुपये
१८	११६८	श्री मो० ब० ठाकुर	. लंका तिब्बत और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्या को हल कराने की असफलता	१०० रुपये
१८	११६९	श्री मो० ब० ठाकुर	. तिब्बत के प्रश्न का यू० एन० ओ० में पूरा समर्थन करने में असफलता	१०० रुपये
१८	११७०	श्री मो० ब० ठाकुर	. तिब्बत से आए कश्मीरी मुसलमानों को बसाने की असफलता	१०० रुपये
१८	११७१	श्री मो० ब० ठाकुर	. आये तीन साल के बाद राजदूतों को बदलने की जरूरत	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	११७२	श्री मो० ब० ठाकुर	. जद्दा और दक्षिणी अफरीका के अन्य स्थानों में भारतीय यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	११७३	श्री मो० ब० ठाकुर	. हज्ज समिति के अधीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	११७४	श्री मो० ब० ठाकुर	. पारपत्र नियमों के नियंत्रण को कड़ा करने की जरूरत	१०० रुपये
१८	११८३	श्री अरविंद घोषाल	. लंका में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं को हल करने में असफलता	१०० रुपये
१८	११९८	श्री अरविंद घोषाल	. भारतीय राजदूतावासों में कम व्यय की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	११९९	श्री अरविन्द घोषाल	. विदेशों में भारतीय राजदूतावासों के लिए नियमित समाचार जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२००	श्री अरविन्द घोषाल	. इंग्लैंड में उच्चायुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक ढांचे को पुन: गठित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२०१	श्री अरविंद घोषाल	. बेरुबाड़ी का समझौता करने से पहले जनता की असुविधाओं का अनुमान न लगाना	१०० रुपये
१८	१२०२	श्री अरविंद घोषाल	. बेरुबाड़ी को समझौते के अनुसार आधा बांटने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२०३	श्री अरविंद घोषाल	. बेरुबाड़ी के विस्थापितों को पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२०४	श्री अरविन्द घोषाल	. बेरुबाड़ी के विस्थापितों को बसाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२०५	श्री अरविन्द घोषाल	. पाकिस्तान के पूर्वी वर्ग में भारतीय सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	१२०६	श्री अरविंद घोषाल	. भारत, भूटान और सिक्किम के बीच परिवहन के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२०७	श्री अरविंद घोषाल	. तिब्बतियों के सतत आगमन को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२०८	श्री अरविंद घोषाल	. काश्मीर समस्या को हल करने में असफलता	१०० रुपये
१८	१२२०	श्री अरविन्द घोषाल	. कांगों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत	१०० रुपये
१८	१२२१	श्री अरविंद घोषाल	. चीनी आक्रमण को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१८	१२२२	श्री अरविंद घोषाल	. चीनियों के कब्जों में जो भारतीय इलाका है उसे वापस लेने में असफलता	१०० रुपये
१८	१२२३	श्री अरविंद घोषाल	. समाजवादी देशों की चीनी आक्रमण की निंदा के लिए अपने साथ मिलाने में असफलता	१०० रुपये
१८	१२२४	श्री अरविंद घोषाल	. भारतीय क्षेत्र में गोआ के विलय में असफलता	१०० रुपये
१८	१२२५	श्री अरविंद घोषाल	. नॉन आफ्सीशियल सम्मेलनों में चीनी शिष्ट मंडलों को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१२२६	श्री अरविंद घोषाल	. भारतीय सीमा के नक्शों को प्रचारित करने की जरूरत	१०० रुपये
१८	१२२९	श्री अरविंद घोषाल	. उत्तर और उत्तर-पूर्व में भारतीय सीमा की रक्षा में असफलता	१०० रुपये
१८	१२३०	श्री अरविंद घोषाल	. कामन्वेल्थ प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में चीनी आक्रमण की निंदा करने का संकल्प पेश करने की असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	१२३१	श्री अरविंद घोषाल	. पाकिस्तान से व्यवहार करने में दृढ़ता की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१३११	श्री इंद्रजीत गुप्त .	. कांगों में भारतीय सेनाओं का सही काम बताने की जरूरत	१०० रुपये
१८	१३१२	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. गोआ को आजाद कराने की असफलता	१०० रुपये
१८	१३१३	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दादरा और नगर हवेली को भारत में मिलाने की असफलता	१०० रुपये
१८	१३१४	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता देने की असफलता	१०० रुपये
१८	१३१५	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कराने में असफलता	१०० रुपये
१८	१३१६	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. कुवैत में एक दूतावास खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१३१७	श्री इन्द्रजीत गुप्त	राज्य सरकारों की राय के आधार पर पारपत्रों के आवेदन रद्द करना	१०० रुपये
१८	१३१८	श्री इन्द्रजीत गुप्त	महारानी एलिजाबेथ को भूतपूर्व राजाओं ने जो दावतें दीं उन्हें रोकने की असफलता	१०० रुपये
१८	१३१९	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भारत में विदेशों के लिए दूतों के रूप में नियुक्त भारतीयों की अवांछनीयता का प्रश्न	१०० रुपये
१८	१३२०	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भारत में दलाई लामा की राजनैतिक गति विधि पर रोक लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१३२१	श्री इन्द्रजीत गुप्त	बाहर रहने वाले डाक्टर, वैज्ञानिक आदि भारत लौट आएं इस कारण उन्हें प्रेरणा देने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	१३२२	श्री इन्द्रजीत गुप्त	नेपाल में भारत विरोधी प्रचार को रोकने की असफलता	१०० रुपये
१९	११८४	श्री अरविन्द घोषाल	पांडीचेरी पत्तन के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
१९	११८५	श्री अरविन्द घोषाल	पांडीचेरी को मद्रास के साथ मिलाने की जरूरत	१०० रुपये
१९	१३२३	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पांडीचेरी के विलय की संधि की पुष्टि कराने में असफलता	१०० रुपये
१९	१३२४	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भारतीय अदालतों में अपील के बारे में, पांडीचेरी के पूर्ण विलय तक अस्थायी उपाय करने की असफलता	१०० रुपये
१९	१३२५	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पांडीचेरी के अन्तिम विलय तक वहां पर फ्रेंच श्रम संहिता के स्थान पर भारतीय श्रम कानून लागू करने की जरूरत	१०० रुपये

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : श्रीमान्, किसी देश की विदेश नीति बदल जाने से ही संसार में सुख और शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। अमेरिका और रूस कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन रहना स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे समझने लगे हैं कि आणविक युद्ध में उन्हें ज्यादा क्षति न होगी और वे बच सकेंगे। वास्तविक नुकसान तो तटस्थ देशों का होगा। क्या युद्ध और क्या शान्ति छोटे देशों को हर हालत में नुकसान पहुंचेगा। वह तभी बच सकते हैं जब राष्ट्र संघ ही की विश्व सरकार बने।

यदि पुर्तगाल और पाकिस्तान को अमरीकी सहायता न होती तो गोआ और काश्मीर कब के आजाद हो गये होते। चीनी आक्रमण में रूस हमारा साथ इस कारण दे रहा है क्योंकि चीन अक्साई-चिन का काफी क्षेत्र मांग रहा है।

वस्तुतः दूसरे युद्ध के बाद से किसी देश की विदेश नीति सफल नहीं हुई। न रूस और न ही अमरीका संसार पर अपना प्रभुत्व कायम कर सके हैं। अभी भी शीत युद्ध जारी है। स्थानीय युद्ध तो सदा चलते हैं। अब भी लाओस और कांगो की स्थिति भयानक है। इस कारण यह देखने की बात होगी कि अमरीका की नयी नीति कहां तक सफल होती है। अमरीका की नीति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक सीटो और नाटो जैसे समझौते कायम हैं।

जब हम कहते हैं कि अमरीका की विदेश नीति बदली है तो इसका मतलब यह है कि हमारा वह विचार कि अमरीका स्वस्थ बातों में साथ नहीं देगा, गलत है।

यदि हम विश्व शान्ति चाहते हैं तो हमें संसार भर के राष्ट्रों की एक सरकार बनानी चाहिए। और इस सरकार की देखरेख संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत होनी चाहिए। इसके बिना निस्शस्त्रीकरण कभी सफल नहीं हो सकता। बिना संगठित हुए कोई सरकार अपने देश की प्रतिरक्षा में सफल नहीं हो सकी। नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसे लोकतंत्रीय शक्तियों को हानि पहुंचेगी और महाराजा के कार्य देश में असन्तोष का कारण बनेंगे और देश को ले डूबेंगे। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि श्री कोइराला को मुक्त कर दिया जाय।

मेरा निवेदन है कि नेपाल में लोकतंत्रात्मक शक्तियों को दबाये जाने के फलस्वरूप वहां की आन्तरिक स्थिति खराब हो गयी है। चूंकि नेपाल की रक्षा का उत्तरदायित्व भारत और नेपाल का सामान्य है तो हमें नेपाल को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। यह भी सम्भव है कि राष्ट्रमंडल से दक्षिण अफ्रीका के अलग हो जाने से अब दक्षिण अफ्रीका में जर्मन का प्रभाव बढ़ जाये, चाहे यह प्रभाव समस्त अफ्रीका में न फैले।

श्रीमती मैमूना सुल्तान (भोपाल): हमारे प्रधान मंत्री प्रायः बदले हुए समय का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे समय में नये परिवर्तन और नयी जागृति पैदा हो रही है। उससे हमें उन दिशाओं का संकेत मिलता है जो हमें व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्र के रूप में अपनानी चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि हमें अपने सिद्धान्त से नहीं हटना चाहिए परन्तु समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ बदल जरूर जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि कांगो में भारतीय सेना भेजने का जो निर्णय प्रधान मंत्री ने किया है, उसमें उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, यद्यपि इसमें खतरा भी है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना हमारी नैतिक विजय है। परन्तु हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के देश राष्ट्रमंडल से अलग हो कर ऐसी स्थिति पैदा न कर दें कि अलग होने का प्रभाव ही नष्ट हो जाय। हम घाना की सहायता कर सकते हैं। वह एक ऐसा ढंग तलाश करने में प्रयत्नशील है जिससे दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाला जा सकता है।

गोआ की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। इस काम में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भी सहायता मांग सकते हैं। उपनिवेशवाद को समाप्त करना ही चाहिए और उसके लिए यदि हमें राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय ११ में जिन शक्तियों का उल्लेख है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इल्जीरिया का मामला भी हमें काफी चिन्तित कर रहा है। उसके पक्ष को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी भी चाहिए। मैं तो इस बात पर भी जोर दूंगी कि हमे अस्थायी तौर स्थापित हुये इलजीरिया की सरकार को मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं पैट्रिक लुमुम्बा की आत्मा को नमस्कार करता हूं, क्योंकि वह रंगीन दुनिया का पहला आदमी था, जिन ने अपने देश की एकता, मानवता, समानता और आजादी के लिये इस धरती पर सम्भव सब से बड़ा बलिदान दिया। लुमुम्बा ने अपनी जान दे कर गोरे लोगों को चाहे थोड़े समय के लिये ही अपनी सभ्यता पर विचार करने के लिये मजबूर किया। गोरे लोग अपने उपनिवेश को छोड़ने पर मजबूर होते ही उस के विभाजन के लिये सर्व-विख्यात हैं। जब वे इस बात के

[श्री राम सेवक यादव]

लिये मजबूर हो जाते हैं कि उन को अपना उपनिवेश छोड़ना पड़ेगा, तो वे वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि उस देश का बंटवारा हो जाये । इस सिलसिले में मैं इजरायल, भारत, कोरिया, लाओस और कांगो आदि की मिसाल आप के सामने रखूंगा, जो कि इस सिद्धांत के ज्वलंत उदाहरण हैं। जब कोई बस नहीं चलता, तो गोरे लोग उस देश का बंटवारा कर देते हैं ।

हम को इस बात का भी दुख है कि लुमुम्बा की हत्या में किसी हद तक हम भी भागीदार रहे हैं, क्योंकि राजेश्वर दयाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वहां गृह युद्ध के नाम पर उस देश की कानूनन चुनी हुई सरकार के आन्तरिक मामलों में दखल दिया । अगर वहां पर पियर्सन, स्टीवनसन और हैमरशोल्ड आदि कोई दखल दें और कानूनी सरकार के खिलाफ कुछ दस्त-अन्दाजी करें, तो वह तो समझ में आता है, क्योंकि वे लोग सारी दुनिया में किसी न किसी प्रकार गोरी सभ्यता का या गोरे लोगों का वर्चस्व और एकाधिपत्य कायम रखना चाहते हैं, लेकिन दुख है कि भारत के राजेश्वर दयाल ने वहां पर एक दलाल का ही रौल अदा किया और इस प्रकार कांगों की जन-प्रिय सरकार के अभ्यन्तरिक मामलों में गृह-युद्ध के नाम पर हस्तक्षेप किया गया। वहां पर लुमुम्बा को एक जगह से दूसरी जगह और एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा था, उस के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा था और अन्त में उस का वध भी कर दिया गया, लेकिन राजेश्वर दयाल ने विरोध में एक सख्त पत्र लिख कर ही अपनी जिम्मेदारी और अपने उत्तरदायित्व की इतिश्री समझ ली ? ।

इस सदन को ज्ञात है कि किस प्रकार लुमुम्बा और उस के साथियों को इधर से उधर ले जाया जा रहा था, और जब वह जिन्दगी और मौत से खेल रहा था, तो राजेश्वर दयाल और हैमरशोल्ड तमाशा देख रहे थे। फलस्वरूप उस महान मानव की हत्या साम्राज्यवादियों और बैलजियम और उसके दलाल, कासावुबू, शोम्बे, और कलौंजी द्वारा कर दी गई और अब मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, अब जांच-पड़ताल की बात की जाती है, गोल-मेज वार्ता की चर्चा होती है और फेडरेल गवर्नमेंट की स्थापना की बात की जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सर्वविदित नहीं है कि लुमुम्बा के हत्यारे कौन लोग हैं । इस में जांच करने की क्या आवश्यकता है? क्या उन को अभी तक इस का पता नहीं चला है?

पियर्सन ने कांगो को संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्ट टेरीटरी बनाने और उस की व्यवस्था के लिये भारत के नाम का सुझाव दिया है । हमारे प्रधान मंत्री और हमारे देश के लोग इस से समझेंगे कि यह भारत का सम्मान है, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को सम्मान दिया जा रहा है।

लेकिन मेरा निवेदन है कि यह वे लोग समझेंगे जिन की आत्मा मर गई हो और गृह-युद्ध के मुकाबले में वे गुलामी को अच्छा समझते हों । इस चीज को जब हम देखते हैं और भारत के प्रधान मंत्री जी की तरफ देखते हैं तो उनको अपनी जगह पर ही बैठे पाते हैं क्योंकि उन्होंने चीन से न लड़ कर, सीमा की रक्षा न कर के चीनी आक्रमण को भारत चीन की एक कंट्रोवर्सी कहना ही उचित समझा । जब वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि हमारी चीन से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है । कंट्रोवर्सी का अर्थ जहां तक मैं समझता हूं यह है कि कुछ बहस चल रही है । बारह हजार वर्गमील क्षेत्र पर चीन ने

अधिकार कर लिया और हमारा कैलाश और मानसरोवर हम से छिन गया और इसको भारत के प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कंट्रोवर्सी ही कहते हैं और कहते हैं कि कोई बहस चल रही है और कोई सिद्धांत की ऐसी बात चल रही है कि जिसके बारे में एक दूसरे के दृष्टि-कोणों में मतभेद है ।

सभापति महोदय, भारत की उपरोक्त नीति का कारण मैं उसकी विदेश नीति ही समझता हूं । स्वतंत्रता के बाद अफ्रीका के तथा एशिया के दबे पिसे गुलाम लोगों को स्वतंत्र कराने की अगुवाई का उत्तरदायित्व भारत पर था । परन्तु दुःख की बात है कि इस ऐतिहासिक उत्तरदायित्व को, इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को न निभा कर उसने केवल कभी अंग्रेज की, कभी रूस की और कभी अमरीका की गुलामी करना पसन्द किया। आज विश्व दो गुटों में बंटा हुआ है, एक रूसी गुट है और दूसरा अमरीकि गुट और दोनों में कोई भी अन्तर नहीं है। दोनों ही गोरी सभ्यता का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं । परन्तु दुःख की बात है कि कोई तृतीय शक्ति का निर्माण न करके हमने अंग्रेजों का ही पिछलग्गू बनना पसन्द किया। जाहिरा तौर पर भारत की नीति ऐसा मालूम होता है कि तटस्थता की नीति है और इसको प्रदर्शित करने के लिए भारत कभी रूस की तरफ झुकता है और कभी अमरीका की तरफ। वास्तव में हिन्दुस्तान की विदेश नीति अंग्रेजों के साथ जुड़ी हुई है । जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधान मंत्रियों के तथा और बड़े बड़े अफसरों के भाग लेने का सवाल उठा था तो बराबर हमारे प्रधान मंत्री जी से जब सवाल किये गए तो वह इस चीज से इन्कार करते रहे और कहते रहे कि जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। लेकिन जैसे ही इग्लैंड के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि वह भाग लेने के लिए जायेंगे तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा कर दी कि वह भी जायेंगे और इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री की भी घोषणा हो गई कि वह भी जायेंगे । इससे साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति अंग्रेजों की नीति के साथ जुड़ी हुई है । भारत को चाहिये था कि रूस और अमरीका, दोनों से अलग एक तीसरी शक्ति का वह निर्माण करता और इस तीसरे खेमे में जो दबे पिसे मुल्क हैं और जो नए आजाद हुए मुल्क हैं चाहे वे एशिया के हों या अफ्रीका के, उनको शामिल करता । इस खेमे के मुल्कों को अफ्रीका और एशिया तथा अन्य लोगों को आजाद कराने में तथा अर्न्तराष्ट्रीय साम्राज्य-वाद तथा गुटों की गुलामी से मुक्त कराने में सहायक बनना चाहिये था।

दूसरा इसका उद्देश्य यह होता कि अटलांटिक और रूसी रक्षा संधि तथा शान्ति प्रयास, जो वास्तव में लड़ाई की तैयारी ही है, उनको समाप्त कराने में सहायक होता।

तीसरे एक विश्व की सरकार की स्थापना द्वारा सारे संसार के राष्ट्रों का वर्गीकरण और इस प्रकार लोगों को दोनों शक्तियों और उनके झगड़ों से अलग रखना । इसकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि तृतीय खेमा सिद्धांत तथा आर्थिक रूप में और जरूरत पड़ने पर फौजी शक्ति में बढ़े ताकि उपरोक्त मकसद को हासिल कर सके । हिन्दुस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, लंका तथा अफ्रीका के नव-जागृत देशों में आपसी सहायता और सहयोग का समझौता हो ताकि एक दूसरे की हमले की हालत में मदद हो सके और भूख, गुलामी और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो सके। इनके उपाय इसको करने चाहिये थ ।

अब मैं आपका ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की ओर दिलाना चाहता हूं । इसके गठन में अनेकों दोष हैं। जब तक उन्हें दूर नहीं किया जाता उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह असम्भव है । इसमें दोष जो हैं वह समानता और व्यापकता की कमी के कारण हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उसके द्वारा किए गए फैसलों को कदम कदम पर ठुकराया जाता है जिसे हम अभी कांगो में ही देख रहे हैं। विश्व के इस संगठन को प्रभावशाली

[श्री राम सेवक यादव]

बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। एक विश्व पंचायत कायम हो जिसमें विश्व के सभी देशों से बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा आबादी के अनुसार प्रतिनिधि चुन कर आएं। एक छोटी सभा हो जिसमें हर देश से एक प्रतिनिधि चुन कर आये और इस तरह बनी पंचायत के पीछे फौजी शक्ति भी हो जो अपने फैसलों को लागू कर सके। यदि निकट भविष्य में विश्व पंचायत की स्थापना न हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दोषों को दूर किया जाए। किसी भी देश को यदि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है, किसी प्रकार की भी कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिये। बिना रोकटोक के उसको सदस्य बना लिया जाना चाहिये। यह परमानेंट सीट्स की जो व्यवस्था है, इसका अन्त होना चाहिये। कुछ देशों को मिले हुए विशेषाधिकार का अन्त होना चाहिये। वीटो का अन्त होना चाहिये। साथ ही विश्व निर्माण कोष बने जिस में हर सरकार अपनी क्षमता के अनुसार धन दे और यह धन पिछड़े हुए देशों को उठाने में खर्च किया जाए। यह भी हो सकता है कि हर देश अपने फौजी खर्च का एक अंश विश्व निर्माण कोष में दे। बतलाने की आवश्यकता नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण भी कितना आवश्यक है? उपरोक्त बातों के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ अपंग है और यह केवल रूस और अमरीका की कठपुतली ही बना रहेगा और भारत जैसे देश इसकी दलाली ही करते रहेंगे, इसकी गुलामी ही करते रहेंगे।

अब मैं सदन का ध्यान भारत की उत्तरी सीमा के अतिक्रमण जैसे दुःखद ड्रामा की ओर दिलाना चाहता हूं और इसके नायक प्रधान मंत्री के परम मित्र श्री चाऊ एन लाई हैं जिससे प्रधान मंत्री के कथनानुसार उनकी बहस चल रही है और वह चीन को आक्रमणकारी नहीं मानते। चीन ने भारत की बारह हजार वर्ग मील भूमि पर से प्रधान मंत्री के अनुनय विनय, विरोध पत्रों, वार्तालाप तथा सोमनाथ मन्दिर पर हुए हमले का मुकाबला करने के बजाय मंत्र उच्चारण की भांति ही पंचशील मंत्र के उच्चारण के बावजूद भी, कब्जा नहीं हटाया। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है जो स्थिति पहले थी वही आज भी बनी हुई है। गोआ में नागर हवेली और दादरा का हिन्दुस्तान के साथ इंटेग्रेशन नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ पांडीचरी का विवाद चल रहा है और उसका निपटारा नहीं हुआ है। आज भी हमको गोआ के बारे में मुकदमे की अपील करने के लिये जाना पड़ता है। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि गोआ आजाद होकर रहेगा और हिन्दुस्तान का अंग बन कर रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कितने दिन इसके लिये चाहियें, इसके लिये भी क्या कोई योजना चल रही है, पहली, द्वितीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है या इसमें कई हजार साला योजनायें चलेंगी। प्रधान मंत्री जी स्वीकार करते हैं और रिपोर्ट में भी यह दर्ज है कि चीन के साथ हिन्दुस्तान के संबंध ज्यादा बिगड़े हैं और जब से अधिकारियों की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद से तो हालत ज्यादा ही खतरनाक हो गई है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी को शेख अब्दुला और श्री चाऊ एन लाई जैसे लोगों को मित्र बनाने में खास महारत हासिल है। चीन का दावा भारत की लाखों वर्ग मील भूमि के लिये है और अब तो वह भारत के एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिलाने जा रहा है। पंचशील को वह मानता था लेकिन उसके बावजूद भी उसने कैलाश और मानसरोवर को हमसे छीन लिया। मानसरोवर और कैलाश से हमारे कितने गहरे संबंध हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त हंस रहे हैं क्योंकि चीन का मामला इसमें आ गया है। उनके साथ उनका जजबाती ताल्लुक नहीं है। ये दोनों हमारे किस तरह से हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे इन्द्रजीत गुप्त जी को मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तान की भावना के साथ, हिन्दुस्तान के धर्म के साथ इन दोनों स्थानों का कितना गहरा संबंध है। अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा कि मैकमेहन

रेखा के ६०–७० मील उत्तर में मंसर नाम का एक गांव है। १६८४ ई० में लद्दाख और तिब्बत के बीच एक संधि के फलस्वरूप लद्दाख का मन्सर गांव पर सार्वभौमिक अधिकार माना गया। १८४१ में लद्दाख काश्मीर के आधीन आया और तब से बराबर इस गांव की मालगुजारी काश्मीर सरकार वसूलती रही। पर दुःख है कि भारत सरकार तथा उसकी स्तुति करने वाले कम्युनिस्ट जैसे राजनीतिक दल आज भी मैकमेहन रेखा की ही रट लगाते हैं। मैकमेहन तभी सीमा रेखा हो सकती है कि जब तिब्बत स्वतंत्र रहे, नहीं तो भारत और चीन की सीमा रेखा पूर्व वाहिनी ब्रह्मपुत्र ही हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि भारत को मैकमेहन रेखा ही नहीं मिल रही है तो ये कैलाश और मानसरोवर कैसे मिलेंगे। यह जो शंका उठाई जाती है यह जो आज सत्ताधारी हैं, उनकी तरफ से उठाई जाती है और वे महसूस करते होंगे कि यह तो बड़ी लम्बी चौड़ी बात है। कम्युनिस्ट दोस्त भी ऐसी बात ही कह सकते हैं। इसके जवाब में मैं कहूंगा कि दिल्ली की गद्दी पर हमेशा नपुंसक चाणक्य ही नहीं बैठा रहेगा। उसमें परिवर्तन तो होगा।

मैं प्रधान मंत्री को चीन के इरादों से अवगत कराना चाहता हूं, और वह यह कि चीन फैलना चाहता है दो कारणों से। एक तो जमीन के लिये, दूसरे वह चाहता है कि उसके चारों तरफ साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो जाये। पहला प्रयास उसने कोरिया में किया पर असफल रहा, दूसरा प्रयास तिब्बत में किया, और उस तिब्बत के मामले में वह सफल रहा। उस सफलता में हाथ बटाया हमारे प्रधान मंत्री ने चीन का और उसके धन्यवाद और शुक्राने में जो मिलना चाहिये था वह मिल भी रहा है। फारमोसा में दूर दूर छेड़ छाड़ और किमोय और मकाऊ द्वीपों पर गोलाबारी करता रहा। हांगकांग चीन के दिल में बसा है, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं पड़ती, उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। पर वह लद्दाख और लोंगजू पर चढ़ आया है और कब्जा कर लिया क्योंकि वह समझता है कि नेहरू राज्य में गरीबी और भूख बढ़ी है और हिन्दुस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, केवल चिट्ठी-पत्री ही विरोध में लिखता रहेगा और इसीसे काम चलायेगा। कल प्रधान मंत्रीने कहा कि दस साल भी लग सकते हैं। पिछले वर्ष मैंने कहा था कि वह समझते हैं कि चाऊ एन लाई से चिट्ठी पत्री कर के काम चल जायेगा लेकिन चाऊ एन लाई भली प्रकार समझते हैं कि जहां काश्मीर का मामला इतने दिन से अटका है, यह चीन का मामला भी दस पांच साल चल सकता है तब तक वह अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे। वह समझते हैं कि चिट्ठी पत्री से ही अपने को मजबूत कर लेंगे।

श्री त्यागी (देहरादून) : हम भी अपने को मजबूत कर लेंगे।

श्री राम सेवक यादव : मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन त्यागी जी मजबूत हो जायेंगे, लेकिन इन बहसों से ही काम नहीं चलेगा। मैंने दो कारण कमजोरी के बतलाये उनमें से एक कारण हमारे बीच बैठे हुये कम्युनिस्ट मित्र हैं जो देश के पंचमांगी हैं, विभीषण हैं, जो चीन और रूसको राम समझते हैं।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : आप लोहिया साहब को कमान्डर इन चीफ बना कर वहां चलिये, नेहरू जी पर विश्वास मत रखिये।

श्री राम सेवक यादव जब यह दूसरे देशों के मामलेमें दखल देते हैं तो मुक्ति सेना की बात करते हैं, लेकिन जहां उनका अपना कोई सवाल आता है वहां कहते हैं कि वह उनके आंतरिक मामलों में दखल है। यह सब देखते हुये आज की बहस से साफ हो जाता है कि उनमें कितना देशप्रेम है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप में कितनी देशभक्ति है, सब कोई जानते हैं।

श्री रामसेवक यादव : अब मैं दो शब्द नेपाल के बारेमें कहूंगा। नेपाल हमारा पड़ोसी है और सब जानते हैं कि किस तरह से वहां के भतपूर्व प्रधान मंत्रीने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा

[श्री रामसेवक यादव]

लिया था । आज वह जेल में हैं, उनके अनशन की बात भी चलती है । हम लोगों की एक तरह से जिम्मेदारी भी है, खास कर भारत सरकार की, कि वहां की स्थिति जो बिगड़ती जा रही है वह किसी तरह से सम्भले । मैं नहीं चाहता कि वह वहां के आंतरिक मामलों में दखल दे, लेकिन फिर भी दोस्ताना तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिये । इसी तरह से सिक्किम और भूटान के लिये भारत सरकार को काम करना चाहिये । सलाह मश्विरे से काम लेकर वह ऐसा कर सकती है ।

यह जो बड़ी अच्छी चर्चा यहां चल रही है, माननीय सदस्य जो हैं उसमें वे सरकार की निन्दा ही करते हैं वैदेशिक नीति के संबंध में । किन्तु मैं भारत सरकार की वैदेशिक नीति की तारीफ भी करूंगा । एक माने में भारत की वैदेशिक नीति बहुत सफल रही है और इस मामले में मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं । वे यह कि विदेशों से जो बड़े बड़े लोग यहां आते हैं, उनके स्वागत में इस गरीब मुल्क का हजारों और करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाने में वे जरूर सफल रहे । जब विलायत की महारानी आई थीं तब इस तरह से इस गरीब मुल्क का पैसा खर्च किया गया कि शायद कोई विलायत का वाइसराय भी मात हो जाता । अभी मैं बम्बई गया था, जब वहां पर रानी की विजिट हो रही थी तब एक अखबार में निकला कि वहां पर करोड़ों रुपये रानी का स्वागत करने में खर्च हो रहे हैं । उसी अखबार में निकला कि :

"जनता कहे पानी पानी, नेहरू कहे रानी रानी"

फिर एक समाचारपत्र "जनमुख" कलकत्ता से निकलता है, जहां पर हमारे इलियास सांहब रहते हैं । उसमें लिखा था :

"आओ हम सब ढोयें पालकी
यही राय हुई है जवाहरलाल की ।"

फिर मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जयपुर और बनारस में रानी का स्वागत हुआ उसकी जिम्मेदारी भी हमारे विदेश मंत्रालय पर है । जयपुर महाराज तो इस हद तक बढ़ गये कि उन्होंने आशा व्यक्त की कि जो उस स्वागत के अन्दर आये वह एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहन कर आये । मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, और उसका विरोध भी किया । वह तो एक नंगा नृत्य था । ऐसा लगता था कि इस देश में कोई दूसरे की सरकार है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो घटनायें देश में घटती हैं वे न घटें, इस तरह की चीजें और न बढ़ें ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): प्रधान मंत्री की बातों से मुझे आश्चर्य हुआ । समझ में नहीं आया कि प्रधान मंत्री की इस आशा का आधार क्या है कि थोड़े समय बाद चीन की समझ में यह बात आ जायेगी कि भारतीय पक्ष सही और मजबूत है । मुझे इस आशावाद का कोई औचित्य और आधार दिखाई नहीं देता । यह बात तो स्वयंसिद्ध ही है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा के मामले में जागरूक रहना चाहिये । और इस बात के लिये काफी प्रमाण भी विद्यमान है । हमें वास्तविकता के प्रति जागरूक और सचेत रहना चाहिये और गम्भीरतापूर्वक स्थिति पर विचार करना चाहिये । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि हमारे अधिकारी दल ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें बहुत मूल्यवान सामग्री और प्रमाण हैं । उस रिपोट से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि चीन ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का नितांत उल्लंघन किया है और वह अपने वादों और करारों को पूरा नहीं करना चाहता । वह

†मूल अंग्रेजी में

आरम्भ से ही विस्तारवादी रहा है, आज उसकी जनसंख्या ६७ करोड़ है और उसे इस जनशक्ति तथा अपने विकसित साधनों का काफी मद है। वह ५०,००० वर्ग मील का दावा कर रहा है।

परम्परा से जो सीमा चली आ रही है उसके बारे में चीन का विचार है कि इसका निर्णय तो चीन की शक्ति के अनुसार होगा। और इसी आधार पर चीन मैकमेहन लाइन को अवैध घोषित कर रहा है। इस दिशा में एक विचित्र बात यह है कि दलाई लामा के साथ चीन के जो करार है, चीन ने उन मामलों का ही उसमें उल्लेख किया है, जो मामलें उनके पक्ष में पड़ते हैं। जो मामलें उनके पक्ष में नहीं जाते, उनकी उन्होंने उपेक्षा की है। कितने आश्चर्य की बात है। इसके अतिरिक्त वैसे भी चीन अपनी सैनिक तैयारियों में लगा हुआ है और हम केवल पंचशील के मंत्र जपते जा रहे हैं।

आरम्भ से ही चीन की यह भी चाल रही है कि सभी देशों को, जोकि चीन के आसपास हैं, परस्पर झगड़ों में उलझाये रखे जायें, और स्वयं उसका लाभ उठाये। उसकी यह भी नीति है कि सामान्य शत्रु के समाप्त करने के लिये अस्थायी से अस्थायी समझौता भी कर लिया जाय। उनका यह भी विचार है कि मतभेदों का निर्णय केवल शक्ति द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार की मूलभूत विचारधारा का प्रचार आजकल चीन में हो रहा है। चीन अपने समाचार पत्रों तथा रेडियो द्वारा भारत के विरुद्ध अपमानजनक तथा गन्दा प्रचार करता रहा है। वह संसार को यही बताने का प्रयत्न करता रहा है कि भारत साम्राज्यवादियों के प्रभाव में है और उसे साम्यवाद का विरोध करने के लिये मुख्य अड्डा बनाया जा रहा है। संसार को चीन यही दिखाने का यत्न कर रहा है कि वह सह अस्तित्व और पंचशील के दस सिद्धांतों का पूर्ण समर्थक और प्रचारक है। भारत ही इस मामले में दुष्टता कर रहा है। उसकी पूरी शक्ति इस बात के लिये लग रही है कि भारत को एशियाई रंगमंच से हर सम्भव उपाय से नीचे उतारा जाये।

चीन की क्या स्थिति है? चीन को एशियाई रंगमंच पर लाने का श्रेय हमारे प्रधान को है। जब चीन अकेला और दुर्बल था तब हमारे प्रधान मंत्री ने मैत्री का हाथ बढ़ा कर उसे एशियाई रंगमंच पर खड़ा किया था। परन्तु खेद है कि आज वही चीन भारत को लांछित करने के लिए सब प्रकार के अच्छे व बुरे साधन अपना रहा है। चीनी यहां तक कहते हैं कि वे तो सह अस्तित्व शांति और पंचशील में विश्वास करते हैं और भारत तथा कुछ पागल व्यक्ति संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह समस्या अवास्तविक है और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। खेद है कि हमारी सरकार की निष्क्रियता के कारण चीन का इस प्रकार का प्रचार जड़ पकड़ता जा रहा है।

जब श्री चाऊ एन लाई बर्मा गए तो उन्हें शांति का रक्षक कहा गया। यह बहुत महत्व पूर्ण बात है। इतना ही नहीं, कल इंडोनेशिया के विदेश मंत्री श्री सुबनद्रियो ने कहा कि चीन संघर्ष नहीं चाहता वरन् शांति चाहता है। वे इस प्रश्न को शांति पूर्वक हल करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि यह जाली पंचशील जो आजकल एशियाई देशों में प्रचलित है, पेकिंग में गढ़ा गया है तथा उसके सामने हमारा वास्तविक पंचशील फीका पड़ गया है। इसका कारण यह है कि चीनी अपना कार्य बड़ी चतुराई और निपुणता से करते हैं।

चीन ने अपनी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हथकंडों को अपना कर प्राप्त की है। इनमें से पहली बात है शांति संधियों की घोषणा। जैसे ही भारत के साथ विवाद उत्पन्न हुआ चीन ने एशियाई राजधानियों में जा कर उन देशों के साथ अनाक्रमण और मित्रता की संधियां कर ली। इतना ही नहीं वरन् उस ने यह भी प्रचार करना शुरू कर किया कि भारत शांति संधि नहीं करना चाहता है?

[श्री नाथ पाई]

दूसरा तरीका है व्यापार का। इस क्षेत्र में १९५२ से १९५७ तक चीन का व्यापार प्रायः दुगना हो गया है। हम यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना व्यापार बढ़ाने का अधिकार है। परन्तु चीन के व्यापार के संबंध में एक विशेष ढंग अपनाया गया है। वे अपने मूल्य इतने कम रखते हैं कि उन्हीं का माल बिके और विभिन्न देश चीन से ही माल खरीदें। यही कारण है कि जब चीन ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना कपड़ा भेजा तो भारत का कपड़े का व्यापार तुरन्त ठप्प हो गया।

तीसरा तरीका सहायता देने का है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि ६०० चीनी प्रविधिकज्ञ यमन जैसे देश की सहायता कर रहे हैं। इस के पीछे विशेष अर्थ छिपा हुआ है।

चौथा साधन रेडियो है। चीन से दक्षिण -पूर्व एशिया को ३८४ घण्टों का प्रसारण किया जाता है जिसका मुख्य विषय शांति प्रिय चीन की साम्राज्यवादियों से प्रभावित भारत से रक्षा करना है। चीन द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है कि, वह तो शांति चाहता है परन्तु भारत उस के पक्ष में नहीं है। यही नहीं चीन अपना प्रसारण मीडियम वेव पर करता है और हम शार्ट वेव पर कर रहे हैं जब कि चीनी सरकार ने शार्ट वेव के समस्त रिसीवर खत्म कर दिए हैं और अब वहां समस्त रिसीवर मीडियम वेव के हैं। इस प्रकार हम जो प्रसारण करते हैं उसे चीनी नागरिक सुन ही नहीं सकते हैं।

फिर एक बात और भी है। चीनी नागरिकों से भेदियों का काम लिया जाता है। मुझे अपने पड़ोसियों के संबंध में यह कहते हुए दुःख अवश्य हो रहा है परन्तु यह तथ्य है। यदि चीन के राष्ट्रीय बैंक की कार्यवाहियों को देखा जाए तो ज्ञात होगा कि वह उन लोगों की सहायता करता है जो चीनी विचारधारा के अनुसार छोटे दुकानदार, बैंकर या व्यापारी हैं। परन्तु कहां ? चीन में नहीं वरन् बर्मा, इंडोनेशिया और भारत में। उन्हें सहायता देकर अपनी ओर मिलाया जा रहा है।

इस प्रकार की चालों से बचाव के लिए हम क्या कर रहे हैं ? क्या भारत सरकार अपना वर्तमान रवैया ही कायम रखेगी ? जब वे कोई मीठी बात कह देते हैं तो हम कहते हैं कि यह पंचशील की विजय है और जब वे कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हम क्षणिक क्रोध दिखा कर शांत हो जाते हैं। स्वयं प्रधान मंत्री ने एक बार यह विचार प्रकट किया था कि यह एक दीर्घकालीन समस्या है और उस के लिए दीर्घकालीन नीति होनी चाहिए। खेद है कि इस के संबंध में भी दलीय दृष्टि से विचार किया जाता है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाए। यदि हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो उसका सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक से होता है, किसी दल विशेष से नहीं रह जाता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है मैं आशा करता हूं कि सरकार अब भी अपनी निद्रा त्याग कर जनता को अपने साथ लेने का प्रयत्न करेगी।

प्रधान मंत्री उन लोगों की खिल्ली उड़ाया करते हैं जो उन के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है :

न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा।
तस्मान्नित्यं क्षमा तात पंडितैरपवादिता ॥

हर समय शांति की बात करना अच्छा नहीं है क्योंकि किसी समय दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है । मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री अपने से असहमत होने वालों की खिल्ली उड़ाने के लिए जो बातें कह देते हैं उन से चीन को बल मिलता है ।

उदाहरण के लिए प्रधान मंत्री ने सभा में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री रंगा को यह बताया था कि काराकोरम का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । मुझे दुख है कि हमारे दल ने यह सवाल उठाने का प्रयत्न किया था और चीनी पक्ष ने यह कहा था कि यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री की ओर से इस प्रकार के वक्तव्य आयें।

फिर लद्दाख में भारत के अधिकारों के संबंध में प्रधान मंत्री ने कुछ आलोचनाओं का उत्तर देते हुए यह कहा था कि "जहां तक मैं जानता हूं ब्रिटिश शासन काल में इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता था और न वहां कोई चौकियां ही थीं।" उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उस पर किस का अधिकार था । ये बातें कहीं तो गई थीं हमारी खिल्ली उड़ाने की दृष्टि से परन्तु चीनी इनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं । इसलिए मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह नाराजगी में इस प्रकार की बातें न कह जाया करें जिन से हमारे "साथियों" का पक्ष मजबूत हो। मैं अभी भी चीन के लिए "शत्रु" शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम इस प्रकार के नियंत्रण के अभ्यस्त हैं। प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। मेरा निवेदन है कि क्या आत्मसमर्पण और युद्ध के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता है ?

मेरा तर्क यह है कि हम न लड़ाई करना चाहते हैं और न ही किसी तरह आत्म-समर्पण करना चाहते हैं। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने देशवासियों को इस खतरे से सचेत करने के लिये क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार की असावधानी तथा आत्मतुष्टि की भावना के कारण चीन का भारत विरोधी प्रचार बढ़ रहा है । मेरा निवेदन यह है कि अब ऐसा समय आ गया है कि हम दृढ़ नीति अपनायें और इस समस्या का जो कि हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा बन गयी है, शक्तिशाली ढंग से सामना करें। मुझे इस बात का खेद है कि इतने बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को दलीय प्रश्न माना जा रहा है। मैं इस मामले में सरकार पर जोर देना चाहता हूं कि उन्हें जनता को विश्वास में लेना चाहिये। हम विरोधी पक्ष वाले क्योंकि प्रधान मंत्री से सहमत नहीं हैं, अतः उन्हें इसी बात से उत्तेजित हो कर ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जो कि शत्रु के पक्ष को मजबूत बना जाये । भारत सरकार को ही इस दिशा में पहल करनी होगी ।

चीन हमारे विरूद्ध राजनीतिक मोर्चा खड़ा करना चाहता है और इस दिशा में बराबर आगे बढ़ रहा है। इसका सामना करने के लिये हमें समुचित कार्यवाही करनी चाहिये। हमें यह याद रखना चाहिये कि इस विषय के सभी तथ्य और सबूत निश्चित रूप में हमारे पक्ष में जाते हैं। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र मंडल से अलग हो गया, यह काफी नहीं है। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा कर जातीय भेद भाव की नीति को परास्त करने के लिये प्रयत्न करना है ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुये]

कांगो के प्रश्न को लीजिये, यह स्पष्ट ही है कि कांगो की खतरनाक स्थिति को हल करने मे भारत ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आशा करनी चाहिये कि राष्ट्र संघ के प्राधिकार तथा विधि

[श्री नाथपाई]

सम्मत शासन की हम रक्षा करते रहेंगे। इसके साथ ही हमें श्री शोम्बे तथा अन्य लोगों को बता देना चाहिये कि भारतीय सैनिकों के विरुद्ध उन्होंने जो रवैया अपनाया है, उसे भारत सहन नहीं कर सकेगा। हमारे जो भी सैनिक वहां गये हुये हैं, उनके कल्याण तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में हम सावधानी-पूर्वक ध्यान रखेंगे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के आस पास के देशों में लोकतंत्र को खतरा बराबर बढ़ रहा है। यह हमारा कर्तव्य है और हमारा हित भी इसी में हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति हम पूर्ण रूप से जागरूक रहें।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलदुग) : संसार की समस्यायें दिन प्रति दिन जटिल होती जा रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सुधर नहीं रही है। श्री लुमुम्बा की हत्या के बाद कांगो में बड़ी शोचनीय स्थिति पैदा हो गयी है। भारत ने अपनी सेनायें वहां भेज कर बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इसी प्रकार लाओस की स्थिति भी संकट पूर्ण है। वहां के गृह युद्ध में एक पक्ष को साम्यवादी देश सहायता दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वहां की स्थिति और भी खराब हो गयी है। साम्यवादी देशों ने इस मामले में जनेवा करार का बहुत बुरी तरह उल्लंघन किया है। चीन ने हमारी उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर रखा है। मेरा मत यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रख कर ही हमें इस दिशा में कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये। चीन इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों को अपने साथ गांठ ले। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि यदि साम्यवादियों का लाओस पर अधिकार हो गया, तो इस से हमारी अखंडता के लिये एक खतरा पैदा हो जायेगा। चीन ने जो हमारे क्षेत्र में घुसपेट कर रखा है उस बारे में शायद हमारी सरकार यह सोचने लगी है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता। चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण करके देश के लिये भारी खतरा पैदा कर दिया है। यह सोचना तो भारी भूल है कि चीन को अपनी भूल समझ में आ जायेगी और वह हमारे उन क्षेत्रों को वापिस कर देगा, जिस पर कि उसका कब्जा हो चुका है। हमें बड़ी गम्भीरता से विचार कर यह निर्णय करना चाहिये कि चीन ने जिन भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया है, आखिर उन्हें वापिस लेने का हमारा इरादा है अथवा नहीं। हमें यह बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिये कि यह मामला सरल नहीं है। केवल ठोस तथा प्रभावशाली कदम उठाने से ही यह समस्या हल हो पायेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि हम इस समस्या पर भी विचार करें कि हमारी किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की नीति कहां तक सफल रही है। मेरा मत यह है कि हम सभी लोकतंत्रीय तथा स्वतन्त्रता प्रेमी देशों के साथ हमारा एक समझौता होना चाहिये ताकि हम लोकतंत्रीय देशों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। चीन के साथ बात चीत कर के हम देख चुके। उसका कोई इच्छा तथा लाभदयाक परिणाम नहीं निकला। इसलिये वर्तमान स्थिति में हमारे समक्ष केवल दो मार्ग रह गये हैं। एक यह कि हम अपना वादा करते हुए चीन को प्रसन्न करने में लगे रहें और दूसरा यह कि अपने आप को शक्तिशाली बनायें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार चीन को प्रसन्न करने की नीति के पक्ष में है। यह मार्ग सफलता की ओर ले जाने वाला नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें अब अपने प्रयत्न इस बात की ओर लगाने चाहिये जिस से कि देश की शक्ति का पूर्ण रूप से संचार हो। खुश करने की नीति से कभी

†मूल अंग्रेजी में

भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। आन्तरिक रूप से संगठन करके और लोकतंत्रीय देशों का संघ बना कर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये और साम्यवाद तथा तानाशाही को आगे बढ़ने से रोकना चाहिये।

श्री अ० मु० तारिक : जनाब चेयरमैन साहब, मैं वजारत खारजा के मुतालिबात की ताईद करता हूं और हिन्दुस्तान के वजीरे-आजम को उन की खारजा पालिसी पर मुबारकबाद देता हूं।

आचार्य कृपलानी ने तकरीर करते हुए कांगो में हिन्दुस्तानी फौजें भेजे जाने के मुताल्लिक जिक्र किया। बजाये इस के कि वह इस बात पर खुशी का इजहार करते और फख्र महसूस करते कि हम ने अपनी फौजों को कांगो भेजा है कि वे वहां पर मुसीबतजदा लोगों की खिदमत करें, हम ने अपनी फौजों को वहा जंग लड़ने के लिये नहीं, बल्कि वहां के लोगों की खिदमत करने और वहां पर अमन कायम करने के लिये भेजा है, कृपलानी सहाब ने यह मिसरा पढ़ कर सुनाया कि "सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है"। यकीनन सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में होना चाहिये, अगर हमारे दिल में इन्सानियत है और यकीनन हिन्दुस्तान के वजीरे-आजम का दिल हिन्दुस्तान के लोगों के जजबात की अक्कासी करता है और उस दिल में हमदर्दी है। मैं आचार्य साहब की खिदमत में एक और मिसरा अर्ज करना चाहता हूं—

दिल ही तो है न संगो खिश्त दर्द से भर न आये क्यों

आखिर यह दिल है, पत्थर तो नहीं है। अगर यकीनन यह दिल है, तो उस पर दुनिया के दुखों और मुसीबतों का असर होगा।

मैं इस ऐवान और खास तौर से अपने वजीरे-आजम की तवज्जह अमरीका के सदर के नुमायन्दे के उस बयान की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने अभी रावलपिंडी में दिया था। उन से पूछा गया था कि काश्मीर के मामले में उन की क्या राय है, तो उन्होंने फरमाया, कि विचार यह है कि श्री हैरीमन ने प्रधान आयूब खां को यह आश्वासन दे दिया है कि काश्मीर की समस्या पर अमरीका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक इस मसले का ताल्लुक है अगर हम इस स्टेटमेंट को इन लफ्जों में लें तो यकीनन यह हिन्दुस्तान को एक परेशानी में डालने वाली बात होगी। अगर हम बैकग्राउंड को देखें और इस को देखें कि काश्मीर के मसले पर हकूमत अमरीका ने क्या रुख अख्त्यार किया था तो यकीनन आपको मालूम हो जायेगा कि अमरीका और बरतानिया ने उस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया था जो कि १९५७ में अकवामे मुतहिदा में पेश हुआ था और जिस में हिन्दुस्तान के हक काश्मीरियों के हक को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि काश्मीर की आइन साज असैम्बली का फैसला अकवाम मुतहिदा न मानेगा। जब तक अमरीका की हुकूमत उस फैसले से पाबन्द है, तब तक यकीनन अमरीका हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हम अमरीका से भी दोस्ती चाहते हैं और दुनिया के लोगों से भी। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमारे एक हक को जोकि सही हक है, औरों को फायदा पहुंचाने के लिये तसलीम न किया जाये और हमारे साथ इस किस्म का सलूक कोई करे। हमारा एक छोटा सा नुक्ता अकवाम मुतहिदा के सामने था और वह यह था कि जब तक यह कहने की जुर्रत नहीं की जाती अमरीका और बरतानिया की तरफ से कि वाकई पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया है और वह एक हमलावर की हैसियत से काश्मीर में बैठा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि वजीरे आजम इस नुक्ते की वजाहत करें।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी जो बैंकाक में सीएटो मुल्कों की मीटिंग हुई उसमें फिर से काश्मीर के मसले को क्यों उठाया गया। आखिर वहां अकसरियत ऐसे मुल्कों की है जो कामनवैल्थ के मैम्बर हैं और कामनवैल्थ के लोग यकीनी तौर पर हमारी दोस्ती का एतराफ करते हैं और सब ऐसे है जो हमारे दोस्त हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर यकीनन वे हमारे दोस्त हैं और अगर वे हमारी

[श्री अ० मु० तारिक]

पीठ में छुरा घोंपना नहीं चाहते हैं तो उनको चाहिये था और शराफत का यह तकाजा था कि व इस मसले को आने ही न देते। एक तरफ वे यह कहते हैं कि काश्मीर का मसला यकीनन कोई मसला नहीं है, काश्मीर के मसले का फैसला हो चुका है और जब वे दिल्ली आते हैं तो कहते हैं कि यह मसला हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है, तो फिर इन तमाम मुल्कों को काश्मीर के मसले को जेर बहस लाने का क्या हक है? मैं वजीरे आजम की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। यह पब्लिसिटी डिवीजन के बारे में है। हमारे पब्लिसिटी डिवीजन के लोग नक्शों के बारे में और किताबों के बारे में यह बतलाने में नाकाम रहे हैं कि काश्मीर की सही हैसियत क्या है, उसकी सही पोजिशन क्या है। मैं वजीरे आजम से दरख्वास्त करता हूं कि अगर वह फंड्स की कमी की वजह से या रकम की कमी की वजह से ऐसा नहीं कर सका है तो उसकी रकम को बढ़ा दिया जाये लेकिन यह देखा जाये कि नक्शे चाहे जहां छपते हों, हिन्दुस्तान में छपते हों या बाहर, उनका ठीक जवाब वह दे। खास तौर पर हमारे दोस्त मुल्कों में, इंग्लैंड वगैरह में जब इस किस्म के नक्शे छपते हैं कि जिन में काश्मीर को हिन्दुस्तान का हिस्सा तसव्वुर नहीं किया जाता है तो क्या इसकी यह वजह है कि हमारे पब्लिसिटी डिवीजन का कसूर है या उन लोगों की और उन मुल्को की शरारत की वजह से ऐसा होता है। इस तरफ मैं वजीरे आजम की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि सही पोजिशन क्या है।

अभी चन्द दिन हुए मैं जापान गया था और वहां मैंने अपनी एम्बेसी को देखा और मैं वजीरे आजम के नोटिस में यह चीज लाना चाहता हूं कि वहा की एम्बैसी को देख कर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें और हिन्दुस्तान आने की दावत देने के पोस्टर इतने भद्दे तरीके से लगाये गये थे कि कुछ ठिकाना नहीं। हम उस पर काफी रकमें खर्च करते हैं लेकिन जो हालत है वह यकीनी तौर पर काबिले मातम है। मैं चाहता हूं कि वजीरे आजम इस तरफ भी तवज्जह दें।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं जरे मुतालबा की ताईद करता हूं।

†**श्री दिनेश सिंह** (जम्मू): गत १४ वर्षों से हम तटस्थता की नीति पर चलते आ रहे हैं। इसके मार्ग में कठिनाइयां और रूकावटें आईं परन्तु हम उनकी चिन्ता न करते हुए अपने रास्ते चलते गये। बदनामी और नेकनामी की हमने परवाह नहीं की। आज उसका परिणाम हमारे सामने है। इस नीति के परिणामस्वरूप ही यह कहा जा रहा है कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर रखा है और हम देश की प्रतिरक्षा के भी अयोग्य हो रहे हैं। आरोप लग रहे है कि हम चीन को प्रसन्न करने की नीति पर चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमें "जीओ और जीने दो" के सिद्धान्तों पर चलना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

हमारी यह बात सिद्ध हो गयी है कि गत १४ वर्षों से हम जिस नीति पर चल रहे थे वह ठीक ही हैं।

आज चीन यह अनुभव करने लगा है और उसके दिमाग में यह भय पैदा हो गया है कि किसी भी दल में सम्मिलित न होने वाले देशों की संख्या बढ़ गयी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी विचार से ही उसने भारत पर आक्रमण किया है। चीन की सीमा के साथ

---

†मूल अंग्रेजी में

जितने भी देश हैं, उनको वह भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। मेरा मत यह है कि उसके साथ युद्ध करना हमारी नीति के विपरीत होगा। हमें एक बार फिर अपनी नीति में विश्वास प्रकट करना है। हमें यह भी प्रयत्न करना है कि किसी भी गुट में न सम्मिलित होने वाले देशों की संख्या बढ़ाई जाय। इस बात का भी पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि चीन के आक्रमण के विरूद्ध विश्व में जनमत निर्माण किया जाय।

आज अफ्रीका में नयी जागृति आ रही है। नये नये देशों का अस्तित्व हमारे सामने आ रहा है। नये स्वतन्त्र देश इस बात को अनुभव करते हैं कि उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा का एक मात्र उपाय यही है कि वे संसार के दो गुटों से अलग ही रहे। इसके साथ ही हमें विदेशों में अपने हितों को भी देखना चाहिए। विदेशों में जो हमारे दूतावास है, उनमें हमें सावधानीपूर्वक कुछ लोगों को वहां भेजना चाहिए। उत्तरदायी पदों पर ऐसे ही लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो इस दायित्व को अच्छी प्रकार सफलता से पूरा कर सके। अन्त में मैं पुनः यह बात कहता हूं कि कुछ भी हो जाय यदि संसार में शांति स्थापित होगी तो श्री जाहवरलाल के रास्ते चल कर ही हो सकेगी।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट): श्री कृपालानी जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति में बहुत सी परस्पर विरोधी बातें है। हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट रही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम तिब्बत का मामला राष्ट्रसंघ में नहीं उठा सकते, क्योंकि हम तिब्बत पर चीन की अधिराज्यता को स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रसंघ के सदस्य होने के नाते हमारे कुछ दायित्व है। अतः राष्ट्रसंघ के पास किये गये एक संकल्प के पालन में हमारी सेनाएं कांगो भेजी गयी हैं। इस दिशा म भारत के जो दायित्व है उससे वह मूहं नहीं मोड़ सकता। मेरा मत यह है कि विदेशों में सेना भेजने के लिए संसद की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुःख की बात है कि विभिन्न दलों के लोग हमारी विदेश नीति के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। कांगों में जो हमारी सेनायें भेजी गयी है, उसका गलत अर्थ यह निकाला जा रहा है कि हमारी नीति में परिवर्तन हो गया है।

राजाजी ने पहली अप्रैल के स्वराज्य में एक लेख में बताया है कि श्री नेहरू की विदेशी नीति में वैभिन्नय है। उन्होंने बताया है कि एक ओर तो श्री नेहरू साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के इच्छुक हैं और दूसरी ओर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमंडल से बाहर निकाला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह दोनों बातें समान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र-संघ के चार्टर के अनुसार विश्व में शांति बनाये रखने का इच्छुक राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता है जब कि राष्ट्रमंडल का सदस्य वही देश हो सकता है जो जातीय भेदभाव की नीति नहीं अपना रहा हो। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि नेहरू की नीति में कोई वैभिन्नय नहीं है। यह तो केवल यही चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका अपनी जाति भेद की नीति बदल दें और राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे।

यह कहा जाता है कि कांगों में लड़ाकू सैनिकों को भेजकर और यह कह कर कि यदि आवश्यक हो तो भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती मटादी बन्दरगाह को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और कटंगा पर हमला करना चाहिये और प्रधान मंत्री ने अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह हस्तक्षेप नहीं हैं यह तो केवल संसार के बदले हुए हालात के अनुसार ही अपने को थोड़ा सा बदलना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

हमने १९५८ में ही बता दिया था कि लाओस के आयोग को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा शांति भंग हो सकती है।

इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी विदेश नीति ठीक है और मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में भी आवश्यक परिवर्तन कराने के प्रयत्न किए जाने चाहिए जिससे अफ्रेशियाई देशों को पश्चिमी देशों के समान ही वहां पर स्थान मिल सके। इसी प्रकार शांति स्थापित हो सकती है ऐसा मेरा विचार है।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट से मालूम होता है कि मंत्रालय काम के तरीकों का पुनर्गठन करने में लगा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इसके द्वारा उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई है।

मुझे श्री नाथपाई से यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि चीन से हमारी बातचीत के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी बात ठीक हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब चीन के प्रधान मंत्री भारत आये थे और एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाली गई थी उस समय उन्हीं के दल ने उसकी आलोचना की थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नीति ठीक रास्ते पर चल रही है। हम पहले यही चाहते हैं की बातचीत के द्वारा मामला हल हो जाय परन्तु यदि बातचीत के द्वारा मामला हल होता नजर नहीं आता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई और कार्यवाही करने में असमर्थ है।

कल हमें प्रधान मंत्री ने बताया कि समस्त संसार में हमारी नीति की प्रशंसा हो रही है। यदि हम स्वयं भी संसार के घटनाक्रम को देखें तो स्पष्टत: मालूम होता है कि हमारी किसी गुट में शामिल न होने की नीति पूर्णत: सफल हुई है। उदाहरण के लिए लाओस को लीजिए। हमारा यही कहना है कि वहां पर युद्ध विराम हो जाना चाहिए। लाओस के आयोग को पुन: बनाया जाना चाहिए। सभी शक्तियों ने अब मान लिया है कि हमारे सुझाव ठीक है और उनके अनुसार काम किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नीति ठीक है।

मैं प्रधान मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कांगों में लड़ाकू सैनिक भेजे। उनका इनको वहां भेजने में यही उद्देश्य था कि कांगों की स्वतंत्रता तथा एकता बनी रहे क्योंकि जिन राष्ट्रों ने पहले अपने सैनिक भेजना स्वीकार कर लिया था उन्होंने अपने सैनिक वहां नहीं भेजे थे। मैं बताना चाहता हूं कि कांगों में ऐसी स्थिति आ गई थी कि कई स्वतंत्र राज्य बन जाते और एकता नहीं बनी रह जाती। केवल लड़ाकू सैनिकों को भेजने के कारण ही कांगों की एकता बनाये रखने का उद्देश्य पूरा हो सकता था इसलिए हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक ही किया।

मुझे प्रसन्नता है कि अंगोला का प्रश्न राष्ट्र संघ में उठाया गया और वह संकल्प वहां पर पारित किया गया। मैं आशा करता हूं कि जब अंगोला का प्रश्न पूरी तरह तय हो जायेगा तब राष्ट्रसंघ में मोजम्बिक और गोआ का प्रश्न भी उठाया जायेगा।

राष्ट्रसंघ में जब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मामला उठाया गया था उस समय ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड वहां पर अनुपस्थित रहे। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है और पता

---

†मूल अंग्रेजी में

लगता है कि यह चाहते हैं कि दक्षिण अफ़्रीका दक्षिण पश्चिम अफ़्रीका को हड़प ले। इस प्रकार का रुख बड़ा गलत है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रसंघ में जब जाति भेद नीति का प्रश्न उठाया जायेगा तब यह तीनों देश वहां पर उपस्थित रहगे।

२१ मार्च से अणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगने के बारे में सम्मेलन हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसमें सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): अध्यक्ष महोदय हमारे प्रधान मंत्री अभी कुछ घंटे पहले फ़्रांस के विदेश मंत्री से मिले हैं और मैं आशा करता हूं कि पांडीचेरी, कराईकल, यानाम और माहे की फ्रांसीसी बस्तियां शीघ्र ही कानूनी तौर पर भारत में मिला दी जायेंगी।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में लिखा है कि दामन तथा दियु के निकट पुर्तगाली विमान भारत के अन्दर आगये थे। मेरा यही कहना है कि इस ओर ध्यान रखना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए जिससे पुर्तगाली किसी भी प्रकार से भारत में प्रवेश न कर पाये।

हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि प्रेजीडेंट केनेडी की विदेशी नीति में कुछ परिवर्तन आ गया है। अंगोला के मामले में उठाया गया कदम बड़ा ही अच्छा कदम है। परन्तु श्री हैरीमन ने दिल्ली में आ कर जो वाक्य गोवा के बारे कहे हैं उनसे हम कुछ हतोत्साह हुए हैं। हम अमरीका की गोवा के बारे कठिनाइयों को समझते हैं परन्तु फिर भी अच्छा यही होता कि श्री हैरीमन डलस द्वारा प्रतिपादित नीति का परिवर्तन करने के बारे कुछ कहते अथवा यही बताते कि वह उसी नीति पर चलेंगे। ऐसा होने से वह स्थिति का सही आभास रहता।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि इजरायल को मान्यता दी जानी चाहिए। मैं बतना चाहता हूं कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है जैसा कि समझा जाता है। हमें किसी भी प्रकार अपने मित्र अरबों को नाराज नहीं कर सकते हैं। अरबों अर्थात् मिस्र और अफ्रीका ने एशिया के लिए बहुत काम किया है। हमें यह बात नहीं भूल जानी चाहिए।

हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि कांगो में ब्रिटेन ने भारत का विरोध किया है। हमारे प्रतिनिधि राजेश्वर दयाल की उन्होंने भर्त्सना की है। हमें इसका बड़ा दुख है।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि विदेश मंत्री किसी और व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि यदि वह कांग्रेस में रहे होते तो संभवतया उनको विदेश मंत्री बना दिया गया होता। अब उनके लिए अच्छा यही है कि बार बार पार्टियों को न छोड़ कर एक पार्टी से संबद्ध रहें

आचार्य कृपालानी ने पेकिंग के हमारे दूत की बड़ी भर्त्सना की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पेकिंग में हमारे दूत बड़े ही योग्य युवक हैं और उन्होंने समस्त जीवन में बड़ा ही उत्तम काम कर के दिखाया है।

आज अंगोला में हजारों व्यक्ति मार डाले गये हैं। हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और मैं आशा करता हूं कि हमारा देश अंगोलावासियों की मदद करेगा और प्रधान मंत्री इन लोगों की ओर ध्यान देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदय हमारी इस चर्चा में सब से अधिक स्थान चीन ने लिया है । इसी के बारे में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने बताया है कि हमारे पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह एक थीसिस है जिस पर डाक्टरेट मिलना चाहिए । मैं समझता हूं कि इसके बारे में ऐसी बात कहना हमारे पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की अवहेलना करना है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हमारी चीन के सम्बन्ध में नीति सफल नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने भाषण में श्री भाओ त्से तुंग की इतनी प्रशंसा की है जिससे मैं आश्चर्य में पड़ गया । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि चीन के बारे में हमारी नीति आपसी व्यवहार ठीक रखने तथा एक दूसरे का आदर करने की है और हम अपनी इसी नीति के अनुसार काम भी कर रहे हैं । परन्तु चीन हमारी नीति के अनुसार काम न करके हमारे काम में, भूमि में हस्तक्षेप कर रहा है । हमें भी आखिर में लाचार हो कर उसकी धमकी का प्रत्युत्तर देना पड़ा और मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि प्रतीक्षा करें और देखें तो निश्चित रूप से हमारी नीति सफल होगी । मैं उन माननीय सदस्यों को जो हमारी नीति की असफलता की बातें यहां पर करते हैं, बताना चाहता हूं कि कृपया ऐसा न करा करें क्योंकि दूसरे हमारे रास्ते में बाधायें खड़ी होती हैं ।

हाल में ही गोवा के राष्ट्रीयों का एक सम्मेलन हुआ था । उसमें उन्होंने गोआ के छुटकारे की एक योजना बनाई है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पुर्तगाल की अन्य बस्तियां, अंगोला मोजाम्बिक आदि में भी स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन हो रहे हैं और उन्हें भी अपने यहां आन्दोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय उनके पीछे हैं और हम सब उनकी मदद करने को तैयार हैं ।

मैं समझता हूं कि विदेशों में प्रचार की ओर हमें जितना ध्यान देना चाहिए उतना हम नहीं दे रहे हैं । १९६०–६१ में प्रचार पर लगभग एक करोड़ आठ लाख रुपया व्यय किया गया । मैं बताना चाहता हूं कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रचार कार्य पर बहुत कम राशि व्यय की गई है । मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी, प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो के अलावा भारतीय समाचार अभिकरण बनाये जाने चाहिये जो अपने संवाददाताओं को विदेशों में भेजे और वहां से वह सीधे भारत को समाचार दें क्योंकि अब तक हमारे देश में समाचार विदेशी समाचार एजेंसियों के द्वारा ही आते हैं ।

मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री कृपा कर के इस ओर ध्यान दें और समाचारों की जानकारी के लिए अपने संवाददाताओं को विदेश में भेजने का प्रयत्न करें जिससे विदेशों से वास्तविक समाचार हमें मिल सकें ।

†**श्री थानू पिल्लै** (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी गांधी दर्शन शास्त्र की नीति से संयुक्त राष्ट्र संघ को बता दिया है कि हमारे अहिंसात्मक सिद्धान्त ही ऐसे सिद्धान्त हैं जिनसे संसार में शांति हो सकती है ।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि कांगो में हमने अपनी सेनायें भेज कर युद्ध को प्रोत्साहन ही दिया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कांगो में हमारी सेनायें युद्ध लड़ने नहीं गई हैं अपितु शांति स्थापित करने के लिए गई हैं । जब अन्य राष्ट्रों ने वहां पर शांति स्थापित

---

†मूल अंग्रेजी में

करने का काम करने से इन्कार कर दिया उस समय भारत की जिम्मेदारी थी कि सभी संभव उपायों से शांति स्थापित कराये । सच तो यह है कि हमें उसने अपने प्रधान मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इतना साहस दिखाया और अपने लड़ाकू सैनिक भेज दिए । मैं समझता हूं कि हमारी इसी नीति के कारण नई अमरीकी सरकार हमारे इतना निकट आ गई है ।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सम्बन्ध है, हम उसकी जातीय भेदभाव की नीति को खत्म करना चाहते थे । चूंकि वे उसके लिए तैयार नहीं थे इसलिए उन्हें राष्ट्रसंघ से अलग होना पड़ा। खेद है कि हमारे देश के कुछ लोगों ने दक्षिण अफ्रीका का समर्थन किया है । उदाहरण के लिए स्वतंत्रदल के प्रमुख पत्र कल्कि ने दक्षिण अफ्रीकी प्रधान मंत्री को उनके कार्य के लिए अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में बधाई दी है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने को जिम्मेदार कहने वाले लोग इस प्रकार की बातें करें ।

लंका भी राष्ट्र मंडल का ऐसा देश है जिसमें जातीय भेदभाव चल रहा है । यद्यपि वह दक्षिण अफ्रीका जितना भयंकर नहीं है। वहां पर भारतीय उत्पत्ति के १० लाख व्यक्ति जिन्हें दस वर्ष पूर्व मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, रह रहे हैं । खेद है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में उनके भविष्य के सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है क्या हमारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है ? खेद है कि माननीय सदस्यों ने कांगो और लाओस के बारे में तो चिन्ता प्रकट की परन्तु लंका को सर्वथा भुला दिया। इन लोगों में से ८० प्रतिशत दूसरी या तीसरी पीढ़ी में हैं। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह लंका से इन लोगों का फैसला करने के लिए कहें । मैं लंका के विरुद्ध कोई कदम उठाने के लिए नहीं कहता परन्तु इन लोगों की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। केवल भाषा के आधार पर उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाना ठीक नहीं है । उन लोगों ने वहां बाग लगाये हैं और वहां की खाद में उनकी हड्डियां मिली हुई हैं। अतः हम उनको वापस भले ही ले लें परन्तु इस प्रकार के भेदभाव को सहन नहीं किया जा सकता।

अन्त में मैं शांति परिषदों का उल्लेख करना चाहता हूं। खेद है कि हमारे सदस्यों ने सीमान्त का प्रश्न उठाना ठीक नहीं समझा। संभवतः उनमें साहस नहीं था। वास्तव में साम्यवादी दल की नीति दोहरी है और हमें अपने लोगों को सचेत कर देना चाहिए कि वे ऐसे संगठनों से बचे रहें । उनका नाम भले ही शांति का हो पर ये परिषदें युद्ध का प्रचार करती हैं।

श्री इमाम ने सरकार को प्रजातांत्रिक गुट का अनुसरण करने की सलाह दी उनके दल ने कभी भी तटस्थता की नीति का समर्थन नहीं किया क्योंकि विचारों की दृष्टि से वे पश्चिमी गुट की ओर हैं। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी तटस्थता की नीति कभी नहीं छोड़गी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूर्व-वक्ता के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें अपनी तटस्थता की नीति नहीं छोड़नी चाहिये। इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री का ध्यान जर्मन प्रजातंत्र संबंधी नीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तटस्थता की नीति के अनुसार हमें या तो जर्मनी के दोनों भागों को मान्यता देनी चाहिये अथवा एक को भी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कोरिया और वियतनाम के संबंध में ऐसी ही स्थिति है। हमने कोरिया के दोनों भागों को मान्यता नहीं दी है और वियतनाम के दोनों भागों को मान्यता दी है। फिर जर्मनी के संबंध में एसा क्यों है कि एक भाग को हमने मान्यता दे दी है और दूसरे को नहीं? मैं समझता हूं कि यह बात हमारी तटस्थता की नीति के संबंध में असंगत है।

जहां तक कांगो का संबंध है, हम चाहते हैं कि हमारी जो सेनायें वहां भेजी गई हैं वे सुरक्षा परिषद की शर्तों को पूरा कर सकें जिनम से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बल्जियनों तथा अन्य विदेशियों का निष्कासन। कांगो में भूतकाल में जो दुर्घटनायें हुई हैं उनकी दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन शर्तों की स्पष्ट व्याख्या हो जिनके अन्तर्गत हमारी सेनायें वहां कार्य करेंगी। इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। राष्ट्र संघ के अनुच्छेद ४३ के अनुसार जब किसी सदस्य देश से सेना भजने के लिये कहा जायेगा तो राष्ट्रसंघ और उस देश के बीच एक करार होगा। जिनमें सैनिकों की संख्या, सुविधाओं और सहायता आदि का उल्लेख होगा मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का करार हो चुका है या नहीं और यदि नहीं तो इस संबंध में शीघ्रता की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्र संघ के अनुच्छेद ४७ में यह कहा गया है कि सुरक्षा परिषद् की सैनिक समिति में समस्त सैनिक प्रश्नों के संबंध में परिषद् को परामर्श देगी। आजकल इस समिति का जो प्रधान है वह राष्ट्रवादी चीन का प्रतिनिधि है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सेनायें इस प्रकार की सैनिक समिति की सलाह के अन्तगत कार्य करेंगी?

फिर प्रधान मंत्री अनेक बार यह कह चुके हैं कि हम कांगो की किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देते हैं। यदि एसा है तो हमारा प्रतिनिधि लियोपोल्डविले में क्यों रखा गया है? उसको तुरन्त वापस बुला लिया जाना चाहिये। हमारा विचार है कि सरकार की यह नीति ठीक नहीं है और श्री गिज़ेंगा की सरकार को मान्यता दी जानी चाहिये क्योंकि वह श्री लुमुम्बा की उत्तराधिकारी है जिसके निमंत्रण पर राष्ट्रसंघ ने प्रथम बार हस्तक्षेप किया था। अतः सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं श्री नाथपाई की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने चीन के संबंध में भय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने जो तथ्य बताये हैं मैं उनमें एक गलती का सुधार करना चाहता हूं। उन्होंने माओ त्से तुंग का जो उद्धरण दिया वह हाल का नहीं है जैसाकि उनका दावा है, वरन् २० या २५ वर्ष पुराना है जिसमें श्री माओ ने यह बताया है कि कुओमिंतांग और जापानी सेनाओं के विरूद्ध किस प्रकार गुरिल्ला युद्ध करना पड़ा था। परन्तु श्री नाथपाई ने कहा कि वह चीन के भारत के प्रति दृष्टिकोण का द्योतक है। मेरा निवेदन है कि हमें तथ्यों का सम्मान करना सीखना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं। मैं उनकी आलोचनाओं से हमेशा लाभ उठाने का प्रयत्न करता हूं। भले ही मैं उनसे सहमत न हो सकूं। विशेष कर आचार्य कृपालानी का भाषण बहुत अच्छा लगा यद्यपि उसमें बहुत सी बातें पहले कही जा चुकी बातों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। संभवतः वह संसार की बदलती हुई परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहली बात उन्होंने यह कही कि मेरे पास कार्य बहुत है और उसके भार को संभालने के लिये मुझे वैदेशिक कार्य मंत्रालय में कोई वरिष्ठ मंत्री नियुक्त करना चाहिये। मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं और अपनी आलोचनाओं का स्वागत करता हूं। मैं स्वयं अपनी कमियों को नहीं जान सकता हूं और दूसरे लोग ही उनका सही संकेत कर सकते हैं। वास्तव में इन महत्वपूर्ण बातों को हमेशा सभा के समक्ष रखा जाता है और कैबिनेट तथा उसकी समितियां उन पर निरन्तर विचार करती रहती हैं। इन में वैदेशिक कार्य समिति और प्रतिरक्षा समिति प्रमुख हैं। इन समितियों की औपचारिक बैठकों के अतिरिक्त अनौपचारिक मंत्रणायें भी प्राय होती रहती हैं। इस प्रकार मैं अपने भार में उनको सहभागी बनाने का प्रयत्न करता हूं।

इसके बाद मैं अपने दूतावास के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा उनमें बहुत वृद्धि हुई है और होती रहेगी क्योंकि स्वतंत्र देशों की संख्या बढ़ती जाती है। हमारा समस्त देशों में प्रतिनिधित्व नहीं है। परन्तु अफ्रीकी देशों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। दक्षिण अमेरिका में भी हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं रहा है यद्यपि वहां के कुछ देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम धीरे-धीरे उन रिक्तियों को भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु कार्य की व्यापकता ही सब कुछ नहीं है क्योंकि किस्म पर भी बहुत निर्भर रहता है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे राजदूतों तथा अन्य लोगों का कार्य किसी भी देश की विदेश सेवा की तुलना में अच्छा रहा है। केवल वरिष्ठ सदस्य ही नहीं वरन् दूसरी श्रेणी के व्यक्ति भी बहुत कार्यदक्ष सिद्ध हुए हैं तथा उनका सर्वत्र आदर होता है। हो सकता है कुछ लोग उतने अच्छ न हों। परन्तु अधिकांश मामलों में वे बहुत अच्छे सिद्ध हुए हैं और उनकी बात का अन्य देश आदर करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब कोई कठिन कार्य होता है तो उसके लिये भारतीय प्रतिनिधियों को ही चुना जाता है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रतिनिधियों का विश्व की घटनाओं का ज्ञान बहुत व्यापक है और वे बड़े सुलझ हुए आदमी हैं। ऐसा कोई मामलों में हो चुका है और अभी भी हो रहा है। वास्तव में कभी कभी तो हमें अपने आदमियों को छोड़ने में कठिनाई भी होती है परन्तु फिर भी हम व्यापक हित की दृष्टि से उन्हें भेज देते हैं।

फिर यह कहा जाता है, मानों वह एक स्वीकृत तथ्य हो, कि अपने पड़ोसी देशों के संबंध में हम असफल रहे हैं। हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लंका, मलाया और बर्मा हैं। आचार्य कृपालानी का यह विचार था कि हमने अपने प्रथम श्रेणी के लोगों को योरप अथवा अमरीका भेजा है और दूसरी श्रेणी के लोगों को इन देशों में, जो हमारे पड़ोसी हैं। मैं यह बात उनके दिमाग से निकाल देना चाहता हूं क्योंकि हमारी सूची में इन पड़ोसी देशों को प्रथम स्थान दिया गया है। हां, कुछ देश ऐसे अवश्य हैं जिनको प्रथम स्थान मिलना ही चाहिये जैसे अमरीका, रूस और ब्रिटेन क्योंकि संसार में उनकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिये इन देशों के लिये व्यक्तियों को चुनते समय हम यह बात ध्यान में रखते हैं। सोवियत रूस में अनेक वर्षों से श्री के० पी० एस० मेनन ने बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे वरिष्ठतम व्यक्तियों में से हैं। अब वह सेवानिवृत हो रहे हैं और हम विदेश सेवा के एक वरिष्ठतम व्यक्ति श्री सुबिमल दत्त को भेज रहे हैं। उनको यहां से छोड़ना आसान मामला नहीं है परन्तु हमने महसूस किया कि सोवियत संघ का कार्य बहुत महत्व-पूर्ण है और हमें अपने एक सर्वोत्तम व्यक्ति को भजना चाहिये। यही बात संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटन के संबंध में भी लागू है। इन देशों के अतिरिक्त हमने अपने पड़ोसी देशों और विशेषकर पाकिस्तान, बर्मा, चीन आदि में अपने प्रमुख राजदूतों को ही भेजने का प्रयत्न किया है।

हमारे चीन स्थित राजदूत ने बहुत अच्छा कार्य किया है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस प्रकार की बात कही गई थी कि चीन में हमारा प्रतिनिधित्व ठीक नहीं रहा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे चीन स्थित राजदूत उन व्यक्तियों में से हैं जिनके कार्य और सलाह का हम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बहुत आदर करते हैं वह चीन में बड़ी कठिन स्थिति में कार्य कर रहे हैं और जैसा कि सभा समझ सकती है वह उस कार्य को बड़ी योग्यता के साथ कर रहे हैं।

जहां तक विदेश सेवा के हमारे कम आयु वाले लोगों का संबंध है, सभा को उनका कार्य देखने का मौका मिला था वह प्रायः जनता के सामने नहीं आता है परन्तु हमने भारतीय तथा चीनी अधिकारियों के प्रतिवेदन में उनका कार्य देखा है। यह केवल हमारा ही विचार नहीं है वरन् अन्य देशों की विदेश सेवाओं के जो लोग उनके सम्पर्क में आते हैं वे भी हमारे विदेश कार्यालय और हमारे राजदूतों का अत्यधिक आदर करते हैं

जहां तक नेपाल का संबंध है, आचार्य कृपालानी ने वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री कोईराला की भूख हड़ताल के संबंध में जो कुछ कहा उससे मैं सहमत हूं। जब नेपाल में यह परिवर्तन हुआ था तो मैंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति पर खेद प्रकट किया था। परन्तु हम केवल खेद प्रकट कर सकते हैं और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमारी पसन्दगी या नापसन्दगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। नेपाल की जनता स्वयं यह निर्णय करेगी कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। नेपाल के समाचारपत्रों में जो आलोचनायें यदाकदा प्रकाशित हुई हैं उनमें से कुछ सर्वथा निराधार हैं। उदाहरण के लिये वह वक्तव्य लिया जा सकता है जिसमें श्री कोईराला द्वारा किये गये भारत और नेपाल के बीच गुप्त समझौते की बात कही गई थी। यह बात सर्वथा झूठ है और किसी भी व्यक्ति ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हम संभवतः ऐसी बात सोच भी नहीं सकते थे। इतनी बातें हो चुकी हैं परन्तु हमने नेपाल के संबंध में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं किया है। नेपाल में हम जो विकास का कर रहे हैं वे सामान्यतः करते रहेंगे। परन्तु स्पष्ट है कि जो श्री कोईराला की भूखहड़ताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी समाचार आते हैं तो भारत के लोग उनसे चिन्तित होते हैं। इस चिन्ता का कारण यह है कि श्री कोईराला भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साथ रह चुके हैं। हमारी चिन्ता इसलिये और भी अधिक है कि जब नेपाली सरकार के प्रतिनिधि से उसके बारे में पूछा गया तो उसने न तो उसकी पुष्टि और न उसका प्रतिवाद ही किया। यह ठीक नहीं है। आज मुझे यह खबर भी मिली है कि श्री कोईराला ने फल का रस लेकर भूख हड़ताल खत्म कर दी है मुझे न चीजों के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है परन्तु कुछ हुआ अवश्य है

दूसरा तथ्य जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा यह है कि नेपाल सरकार के एक वर्तमान मंत्री ने यह खुले आम घोषणा की थी कि श्री कोईराला के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि उनकी पत्नी तक को भेंट की अनुमति नहीं दी गई। मैं आशा करता हूं कि नेपाल सरकार यह समझेगी कि हम ऐसे मामलों में जो रुचि लेते हैं उसका उद्देश्य उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है वरन् उन के भूत काल के सम्पर्क से उत्पन्न भावना है। चाहे जो कुछ भी हो परन्तु वर्तमान शासन के विरोधियों को सामान्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

राजदूतों के विषय पर पुनः आते हुए मैं यह कहूंगा कि हमारे वरिष्ठतम राजदूत ही वहां भेजे गए हैं। उन के पूर्व भी हमने एक विख्यात व्यक्ति को भेजा था। इस प्रकार हम ने नेपाल को विदेश सेवा के पद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बर्मा तथा अन्य निकटवर्ती देशों के संबंध में भी यही बात लागू होती है।

परसों इन मांगों को रखते समय मैंने सभा से निवेदन किया था कि वह इन मांगों के बारे में तथा वैदेशिक कार्यों संबंधी बातों के बारे में व्यापक दृष्टि से विचार करे। हालांकि यह आसान है और

कभी-कभी आवश्यक भी है कि किसी मद विशेष को लेकर उसके बारे में विस्तारपूर्वक जांच की जाये । तो भी ये सब मामले एक दूसरे में से जुटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और वास्तव में आप किसी मामले विशेष को लेकर अलग से उसकी चर्चा कर के उस के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते । अतः मेरा निवेदन है कि हमें सदैव ही विश्व के बदलते हुये इतिहास को अपने सामने रखना चाहिये । आज जीवन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है । जनता को इसके साथ कदम मिला कर चलना होगा । आये दिन सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ही हो रहे हैं । अन्तराष्ट्रीय गतिविधियां भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं । आणविक तथा हाइड्रोजन बमों ने लोगों को और भी तेजी के साथ सोचने के लिये विवश कर दिया है । इसी प्रकार की और भी बहुत सी नई चीजें हैं जो उत्पन्न हो रही हैं । विश्व में प्रोद्योगिकीय प्रगति होने के फलस्वरूप विश्व के हर भाग में घटनायें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। बहुत शीघ्रता से सोचने तथा समय समय पर समस्याओं पर काबू पाने के लिये प्रयत्न करने की जरूरत है । द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद नई नई चीजें उत्पन्न हो गई हैं जैसे कि चीन । नये नये राष्ट्र पैदा हो गये हैं और नई नई समस्यायें उभर आई हैं । अफ्रीका के देश स्वतंत्र हो रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है । इससे भी कई समस्यायें पैदा हो गई हैं । ये सब बातें ऐतिहासिक घटनायें हैं । यह प्रश्न आपके या हमारे पसंद करने अथवा न करने का नहीं है । हो सकता है कि उनमें से कुछ को आप पसंद करें और कुछ को पसंद न करें । अफ्रीका में जाग्रति हो रही है । यह जरूरी नहीं है कि अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है उस से आप सहमत ही हों ।

हम ने काफ़ी सोच विचार के बाद कांगो में अपने सशस्त्र सैनिक भेजने का निश्चय किया है हमने यह महसूस किया कि उस मुल्क के लिये ही नहीं वरन् राष्ट्र संघ के लिये भी एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है । यह भी हम ने इसलिये किया कि हमें इस संकट का सामना करना था, हम संकट को कम करना था अथवा हमको और भी गम्भीर बनाना था । हमारा देश ही एक ऐसा देश नहीं था जो कि यह काम कर सकता था बल्कि असलियत यह है कि यूरोप तथा अमरीका समूचे इस कार्य को नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूरोपीय तथा अमरीकी सैनिक या सैनिक संधियों से सम्बन्धित देशों के सैनिकों का वहां आना पसंद न किया जाता । क्योंकि ऐसा करने से परस्पर विरोधी देशों के आने का भय था अतः यह काम हमें अपने हाथों में लेना पड़ा । हमसे ऐसा करने के लिये कहा गया । यदि हम इस काम को अपने हाथ में न लेते तो इस बात की संभावना थी कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ काम न कर पाता, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ पर दोनों बड़ी बड़ी सैनिक शक्तियों द्वारा आक्षेप किये जा रहे थे । और वे दोनों सैनिक शक्तियां विभिन्न कारणों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ पर आक्षेप लगा रहे थे । अतः हम ने इस प्रकार का कार्य करने का निश्चय किया जो कि हमने पहले कभी नहीं किया था । यह एक गम्भीर निर्णय था---गम्भीर निर्णय केवल अपने लिये ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये भी गम्भीर निर्णय था ।

मैं आचार्य कृपालानी की इस बात से सहमत हूं कि हमने ये सैनिक वहां एक दूसरे ही उद्देश्य से भेजे हैं । इन्डोचाइना अथवा गाज़ा में जिस उद्देश्य से हमने अपने सैनिक भेजे थे वह उद्देश्य कांगो के साथ नहीं है । यही कारण था कि यह निर्णय करने में हमारे सामने चिंता और कठिनाई आई । अतः हमने भारत को ध्यान में रख कर ही नहीं बल्कि एक विशाल दृष्टि-कोण को सामने रख कर निर्णय किया कि यह दायित्व लेना हमारा कर्तव्य है । इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कांगो के बारे में जो संकल्प पारित किया था उससे भी हमारा सम्बन्ध था । मेरा विचार है कि यह संकल्प २१ फरवरी को पारित किया गया था । अतः हमें यह उचित ही जान पड़ा कि हम इस उत्तरदायित्व को सम्हाल लें । ऐसा करने से पूर्व कांगो में सैनिक भेजने के लिये हम ने कुछ शर्तें रखी । पूरी शर्तें तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं हैं लेकिन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मुख्य मुख्य शर्तें निम्न हैं। पहली शर्त तो यह है कि राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के संकल्प का गम्भीरतापूर्वक सम्मान करे और उस पर अमल करे। वह शर्त हमने इसलिये रखी कि इसके पूर्व भी कई संकल्प कांगो के बारे में पारित किये गये थे लेकिन उनका पालन नहीं किया गया था। इसलिये हम इस बारे में सुनिश्चित होना चाहते थे कि इसका पालन किया जायेगा। दूसरी शर्त हम ने यह रखी कि हमारे सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के सैनिकों से संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिये इन सैनिकों का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इनको कांगो में विधि और व्यवस्था की स्थापना के लिये भेजा गया है। अन्यथा इनका प्रयोग नहीं किया जायेगा। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे सैनिक अन्य देशों के भाड़े के उन सैनिकों से, जिन में बेलजियम प्रमुख हैं, जो कांगो में कुछ गुटों का समर्थन कर रहे हैं संघर्ष करेंगे।

सुरक्षा परिषद के संकल्प के पहले भाग में ही यह उल्लेख किया गया है कि कांगो से बेलजियम सैनिकों को वापस बुला लिया जाये। और कांगो की समस्या की जड़ अब भी वही है और वह यह है कि बेलजियम सैनिक वहां से हट जायें। अगर यह अच्छी तरह हो गया तो शेष काम भी आसानी से हो जायेगा। कांगो की समस्या का समाधान किसी विदेशी सत्ता को वहां थोपना नहीं बल्कि वहां के निवासियों द्वारा सरकार अपने हाथ में लेना और उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। अमरीकी वहां के निवासियों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की कोई सहायता तो दे सकती है, यह ठीक है। हम स्वयं भी यह नहीं चाहते कि हमारे सैनिक वहां अधिक समय तक रुकें। इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने सैनिक भेजने का निर्णय कर लिया। कुछ सैनिक तो चले गये हैं और कुछ जाने वाले हैं। भेजने का निर्णय करने के बाद कुछ और भी कठिनाइयां आई हैं और रोज़ाना आ रही है। वहां की परिवर्तन शील घटनाओं से कदम मिलाकर चलना हमारे वस की बात नहीं है। यह बड़ी कठिन समस्या है और जोखम से भरी हुई है। फिर भी हम समझते हैं कि हमने ठीक ही किया है।

कांगो में सरकार को मान्यता देने का भी प्रश्न है। भारत ने कांगो में किसी सरकार को मान्यता नहीं दी है, उसने पहले ही सरकार को जिस के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः श्री लुमुम्बा व श्री कसाबुबू थे अवश्य मान्यता प्रदान की थी। क्योंकि यह सरकार संविधान के अनुकूल थी। इस सरकार को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। बाद में चलकर श्री लुमुम्बा को हटा दिया गया और श्री मोबूतू शक्तिवान् बने। श्री कसाबुनू को राष्ट्र संघ की महासभा में लेना दुर्भाग्य पूर्ण रहा क्योंकि उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त नहीं थी और दूसरे इस के फलस्वरूप श्री शोम्बे, श्री मोबूतू आदि ने राष्ट्र संघ आदि का और भी विरोध किया। सरकार का ख्याल है कि उस देश की संसद ही कांगो में सरकार बना सकती है।

मेरा एक विधिक एवं संवैधानिक सुझाव यस है, और आशा है कि संयुक्त राष्ट्र सघ भी इसका समर्थन करेगा, वह यह है कि अगर सयुक्त राष्ट्र सघ किसी यक दल का समर्थन करे तो अच्छा होगा। चूंकि सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थिति बड़ी अजीब है और यही बात हमारी कठिनाई का कारण भी ही है। सुरक्षा परिषद ने छः सप्ताह हुये तब एक सकल्प पारित किया था वह सकल्प उसने अपने सदस्य राष्ट्रों के कहने के अनुसार ही पारित नहीं किया था बल्कि उन राष्ट्रों के कहने के आधार पर भी पारित किया था जो उसके सदस्य नहीं हैं। उनसे भी परामर्श लिया गया था। हम सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं थे लेकिन हमसे भी परामर्श लिया गया था। लगभग एक दर्जन देशों से परामर्श लिया गया था।

उस संकल्प में बहुत सी बातें थीं। उसमें कि बात यह भी थी कि बेलजियम वालों को वहां से निकाला जाये तथा कांगो की सेना की देखभाल की जाये जो नियंत्रणहीन है। विचार यह था कि इस पर नियंत्रण रखा जाये और इसे अनुशासन में रखा जाये और आवश्यकता पड़े तो इसका निःशस्त्रीकरण भी किया जाये। दूसरी महत्वपूर्ण बात श्री लुमुम्बा की हत्या की जांच कराना भी है। कटंगा तथा लियोपोल्डीवली के प्राधिकारियों पर श्री लुमुम्बा की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है।

राष्ट्र संघ में इस मसले पर जिन परस्पर विरोधी नीतियों का पालन किया जा रहा है और जो दबाव डाला जा रहा है, उससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। इस बात की काफ़ी जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ की बड़ी ताकतों पर हैं। कभी कभी तो ये मतभेद दूर हो जाते हैं और कभी कभी दूर नहीं होते। अतः यह आवश्यक है कि सब से पहले बेलजियन सैनिकों को वहां से निकाला जाये।

हमारे कुछ सैनिक जा चुके हैं और कुछ सैनिक जा रहे हैं उनको वहां मतादी बन्दरगाह पर उतरना पड़ता है। आजकल यह बन्दरगाह श्री मोबूतू के अधीन है। लेकिन मेरा निवेदन है कि सयुक्त राष्ट्र संघ का काम चलाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि यह बन्दरगाह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन हो। आशा है कि यह जल्दी ही हो जायेगा।

एक दुख: की बात यह है कि कांगो में श्री राजेश्वर दयाल के खिलाफ़ अब भी प्रचार किया जा रहा है। उनको वहां से हटा दिया जाये तो सुरक्षा परिषद के संकल्प के कार्यान्वयन में कठिनाइयां उपस्थित हो जायेंगी और इससे स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि भारत उन्हें हटाने के खिलाफ़ है। इस बात का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा कि हमारी सेनायें किस प्रकार कार्य करती हैं। वे उस ढंग से कार्य कर रही हैं जिस ढंग से कि हम चाहते हैं अथवा नहीं।

अतः कांगो आज विश्व के मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ, सम्पूर्ण अफ्रीका, और अफ्रीका के नये स्वतंत्र राष्ट्रों पर भी पड़ेगा।

लाओस में किसी प्रकार का समझौता होने की और युद्ध विराम की संभावना बढ़ गई है। बड़े दुख: की बात है कि ये प्रश्न कभी कभी धमकियों के द्वारा विचार में आते हैं। लेकिन अब सौभाग्य की बात है कि वहां कुछ समझौता होने की कुछ आशा है। संभव है कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की बैठक दिल्ली में हो और इस के बाद वह लाओस जायेगा।

श्री कृपालानी ने चीन के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैंने चीन के बारे में पहले जो कुछ कहा था उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब भी उन्होंने वही बात दुहराई है।

†**आचार्य कृपालानी :** मेरा तो ख्याल था कि वह हृदय-परिवर्तन भावुकता -वश ही अधिक था मैंने यही कहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ने तो हृदय परिवर्तन के बारे में कुछ कहा नहीं। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल माननीय सदस्य ने ही किया था। मैं ने जो कहा वह इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात थी। मैं ने तो यही कहा था कि हम ने जो नीति अपनाई है, और अधिकारियों की इस रिपोर्ट में जिस ढंग से चीजें पेश की गई हैं, वह सब इतना स्पष्ट है। इतना साफ है कि चीन सरकार पर भी उसका असर पड़ेगा। यकायक नहीं, धीरे-धीरे उन पर असर पड़ेगा। सरकारों पर इतने यकायक ढंग से असर नहीं पड़ता। चीन सरकार ने इसे महसूस किया है कि हम अपनी जगह पर जम कर कर खड़े हैं; हमें डिगाना आसान काम नहीं है। इसका उन पर असर पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†आचार्य कृपालानी : क्या यह भावुकता की बात नहीं है कि राष्ट्र भी अपनी नीतियां बदल देंगे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : राष्ट्र भी अपनी नीतियां बदलते हैं किसी दबाव के कारण ; और दबाव कई तरह के हो सकते हैं।

परिस्थितियों का एक अपना तर्क होता है और उसी को देख कर राष्ट्र अपनी नीतियां बदलते हैं। आचार्य कृपालानी का ख्याल है कि युद्ध ही एक मात्र दबाव है। मेरी समझ में नहीं आया कि युद्ध और शांति के बीच का कौन सा मार्ग माननीय सदस्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश या सरकार गम्भीर से गंभीर परिस्थितियों में आम तौर पर पहले तो युद्ध को टालने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिये तैयारी करने की कोशिश करता है। युद्ध की आग में कूदने से पहले अन्य सभी साधनों और तरीकों का इस्तेमाल कर के देख लिया जाता है। क्या माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि चीन सरकार पर हमारे रवैये के कारण कैसे दबाव पड़ रहे हैं ? तथ्य खुद उनको हमारी बात की सचाई समझने पर मजबूर कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह भी भली भांति समझ लेना चाहिये कि हम भारत में इस विवाद से संबंधित तथ्यों को जितनी अच्छी तरह समझते बूझते हैं, उतनी अच्छी तरह से बाहर के देशों के लोग नहीं समझते। वैसे अमरीकी सरकार चीन की बिलकुल विरोधी है; लेकिन अमरीका ने भी इस के बारे में हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। वह इस लिये नहीं कि हम ने अमरीका सरकार को सभी तथ्य ठीक ढंग से नहीं बताये थे। सरकारें दूसरी सरकारों से प्राप्त किये गये तथ्यों के आधार पर अपनी नीतियां निश्चित नहीं करती। वे अपने लिये तथ्य स्वयं खोज लेती हैं। इसी के लिये हर सरकार के पास बड़े-बड़े विभाग होते हैं। हमारे यहां भी है। अमरीका पहले कुछ हिचक रहा था। लेकिन अब हम ने जिस ढंग से एतिहासिक तथ्य पेश किये हैं, उससे पहले जैसी हिचक नहीं रहेगी।

कुछ लोगों का कहना है कि चीन ने हमें अपने पड़ोसी देशों से अलग काट दिया है। उनके दिमागों में शायद बर्मा के साथ होने वाली और शायद नेपाल के साथ होने वाली संधियां हैं, जिनको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। बात गलत है। नेपाल में अभी जो उलटफेर हुई है, उसके कारण मैं नेपाल के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बर्मा के साथ उतने नजदीकी सम्बन्ध न रहने की बात यकीनन गलत है। हमसे परामर्श लेने पर, हमने स्वयं बर्मा सरकार से कहा था कि वह हमारे ख्याल से संधि स्वीकारने या ठुकराने की बात न सोचे। हां, हमने इतना जरूर कहा था कि उसे भारत के हितों का ख्याल रखना चाहिये। हमें न तो बर्मा और न नेपाल से ही कोई शिकायत है।

यह सोचना भी गलत है कि हम आसपास के इन क्षेत्रों में कमजोर पड़ गये हैं। चीन में होने वाली कुछ चीजों की वजह से हम कमजोर पड़ गये हैं—यह सोचना भी बिलकुल गलत है। इसी तरह यह सोचना भी गलत है कि चीन जैसे विशाल देश के अस्तित्व को भी कोई अनदेखा कर सकता है। ऐसे तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आचार्य कृपालानी को मेरा यही सुझाव है। युद्ध के बाद के काल में जो परिवर्तन हुए हैं, उनमें चीन और अफ्रीका में होने वाले परिवर्तन ही सबसे अहम हैं। उनका सारे संसार पर, और उस तरह हम पर भी काफी असर पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले सत्र में, मैंने बताया था कि १९५० के बाद से अब तक हमने सीमाओं की सुरक्षा के लिये कौनसे कदम उठाये हैं। लोगो का यह ख्याल गलत था कि हमने तब तक कोई कार्यवाही नहीं की थी जब तक कि चीन ने हमारे कुछ इलाके दबा नहीं लिये थे, या यह कि हमें तब तक उसकी कोई खबर ही नहीं थी। मैंने बताया था कि हम इतने बेखबर नहीं थे। हम खतरे को कम-ज्यादा रूप में देख रहे थे। हां, हमारा अपना ख्याल था कि नेफा की सीमा को खतरा ज्यादा था।

†**श्री हेम बरूआ** (गोहाटी): लौंगजू की घटना के बाद भी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: लौंगजू की इतनी कोई अहमियत नहीं है।

†**श्री हेम बरूआ**: माननीय प्रधान मंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। पिछली बार उन्होने कहा था कि लद्दाख में घास-फूस तक नहीं उगता, और चाऊ एन-लाई ने उसको उद्धत किया था प्रधान मंत्री की बात काटने के लिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैंने लद्दाख के बारे में जो भी कहा था वह बिलकुल दूसरे नजरीये से था। मैंने तो यह कहा था कि लद्दाख इतनी ऊंचाई पर है कि वहां न कुछ पैदावार होती है, न संचार के कोई साधन ही हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि चीनियों ने उस पर हमला करके कुछ कम गम्भीर अपराध किया। लौंगजू के बारे में मैं यही कहा रहा हूं कि अगर कुल मिलाकर देखा जाये तो ढाई वर्ग मील के उस गांव की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है; न हमारे लिये, न उनक लिये। पर इसका यह मतलब भी नहीं कि हमें उसके चीनियों के कब्जे में रहने की परवाह नहीं है। हमें उसकी चिन्ता है और होनी चाहिये। लेकिन लद्दाख और लौंगजू की अहमियत बराबर की तो नहीं हो सकती।

हमें चीजों को उनके अपने सिलसिले में, उनकी पृष्ठ भूमि में रखकर देखना चाहिये। लौंगजू में हमारी एक छोटी टुकड़ी थी और चीन ने उसे पीछे ढकेल दिया। इस पर हमें सख्त एतराज है। इसमें शक की कतई कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हमें अलग-अलग चीजों की अहमियत अलग-अलग तौर पर तो समझनी पड़ेगी। लौंगजू का मसला तो चुटकी मारते हल किया जा सकता है। और जब चाऊ-एन-लाई भारत में हमारे मेहमान बन कर आये थे, तब हम लोगों के बीच लौंगजू का जिक्र तक नहीं आया था। सवाल पूरी मैकमहोन लाइन का था। उनका कहना था कि यह गांव मैकमहोन लाइन की दूसरी तरफ है।

†**श्री हेम बरूआ**: वह भारतीय क्षेत्र में, मैकमोहन लाइन से तीन मील इधर की ओर हटकर है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: हमें छोटी-मोटी चीजों की बहस में उलझकर नहीं रह जाना चाहिये। तमाम बातों को देखते हुए, लद्दाख की अहमियत कहीं ज्यादा है; हर नजरिये से ज्यादा है।

जो भी हो, हम १९५० से ही नेफा में अपनी मोर्चेबन्दी मजबूत करने में लगे थे। उसका परिणाम आप देख ही चुके हैं। हमने लद्दाख में भी मोर्चेबंदी मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उतनी काफी नहीं रही। इसीलिये दो साल बाद, तिब्बत के विद्रोह के समय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

लोग उस तरफ से हमारे देश में आ सके थे। इसका ब्यौरा श्वेतपत्र वगैरह में जुटाया जा चुका है।

यह सब बताने का मेरा मंशा यही है कि हम उत्तरी सीमान्त पर इस खतरे से बेखबर नहीं थे। हमें उसका ध्यान था। जब से चीनी लोग तिब्बत में आये, तभी से सीमान्त की स्थिति बदल गई है। हमने तभी से उसके बारे में कार्यवाही शुरू कर दी थी। हम तो १९५० से ही सीमान्त इलाकों में सड़कें बनाने लगे थे। हां, नेफा इलाके में ज्यादा सड़कें बनाई गई थीं। हम उसे ज्यादा अहमियत देते थे। खास तौर से नेफा की चौकियों को। लद्दाख में हमने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, वे सभी जम्मू से श्रीनगर जाने वाली मुख्य बड़ी सड़क और सुरंग से सम्बन्धित हैं। यदि ऐसा न किया जाये, तो लद्दाख में सड़कें बिलकुल बेमतलब बन जायें। आप किसी भी जगह नहीं पहुंच सकते। इसलिये बनिहाल सुरंग का निर्माण करना, सड़कों की दशा सुधारना और सोनमर्ग से बालताल तक सड़क बनाना—यह सब शुरूआत के तौर पर था, मोर्चेबंदी के बड़े काम के लिये। लेह तक की सड़क बनाने के वक्त हम यही सोच रहे थे। तिब्बत के विद्रोह के कारण हमारे निर्माण की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। उसके बाद की घटनाओं ने उसकी रफ्तार और भी तेज कर दी है। और अब तक हम सड़क-निर्माण में काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जिस तेजी से हमारा काम अभी चल रहा है, उतनी तेजी से सरकारी निर्माण विभाग आम तौर पर काम नहीं किया करते। इससे हमारी प्रतिरक्षा में दृढ़ता आई है।

आचार्य कृपालानी बार बार दस साल के अर्से का जिक्र कर रहे थे। समझ में नहीं आया पिछले दस साल या अगले दस साल? लेकिन एक बात साफ है कि हम कोई भी दुःसाहसिक कदम नहीं उठाना चाहते, इसलिये नहीं हम दिमागी तौर पर उसके लिये तैयार नहीं है; बल्कि इसलिये कि अमली नजरिये से, और कुछ फौजी वजूहात से भी, कोई दुःसाहसिक कार्यवाही करना गलत होगा। हां, लेकिन हमें हर चीज का सामना करने, हर कदम उठाने के लिये तैयार रहना चाहिये। चीखने-चिल्लाने से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं।

†**श्री हेम बरूआ**: जिसका नतीजा है कि हमारे हाथ सिर्फ रिपोर्ट लगी है, और चीनियों के हाथ हमारा इलाका।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं खुद माननीय सदस्य की बात दोहराता हूं। बात कहने से पहले उनको सोच लेना चाहिये कि उससे फायदा किसको होगा।

यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार पर पस्तहिम्मती का इलजाम लगाया जाता है। लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्य जिस ढंग की बातें करते हैं, उनमें तो पस्तहिम्मती की हद हो जाती है। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं हिमालय के आरपार फौजें ले जाने और वहां कब्जा करने में कोई समझदारी नहीं देखता। मुझे उसमें समझदारी की कोई बात नजर नहीं आती। और अगर वह समझदारी की बात नहीं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि दूसरा कौनसा रास्ता अपनाया जाये। यह सब कुछ सोचने विचारने के बाद ही हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम अपनी मोर्चेबन्दी मजबूत करते हुए, भविष्य के लिये अपने आपको तैयार कर रहे हैं। यह भी एक बड़ी बात है कि एशिया और

---

†मूल अंग्रेजी में

यूरोप के देश अब चीन सरकार की आलोचना करने लगे हैं। ऐसे भी देश जो पहले से चीन के विरोधी नहीं हैं। एशिया के कई देश अब चीन सरकार को साम्राज्यवादी कहने लगे हैं। पहले वह हमें साम्राज्यवादी कहती थी। मेरा तो ख्याल है कि यही तरीका हमारे लिये सबसे अच्छा है। सरकार और संसद् को आखिर एक जिम्मेदार तरीके से ही सोचना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य ने शायद श्री कासलीवाल, या श्री शर्मा ने कहा था कि अधिकारियों की रिपोर्ट को मात्र बौद्धिकता से भरा एक सैद्धान्तिक निबन्ध नहीं समझा जाना चाहिये। बौद्धिकता तो उसमें है। लेकिन असल में वह एक चुनौती है चीन सरकार के लिये।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि हमारे देश में गुप्तचरी करने वाले देशों की कार्यवाहियों का पूरा ब्यौरा बताया जाये। मैं बता चुका हूं कि उसमें तीन देशों का हाथ होने का पता चला है। यदि मैं इसमें जरा और गहरे आपको ले जाऊं तो हमारे देश में प्रतिनिधित्व-प्राप्त देशों में से करीब आधे देशों के प्रतिनिधि ऐसी गुप्तचरी करते हैं। सवाल इसका नहीं कि कौन ज्यादा, और कौन कम करता है। ऐसे मामलों में सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। और उसके बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।

मैं मानता हूं कि राजदूत एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अहम व्यक्ति होता है। लेकिन उसकी जानकारी के बिना भी कई चीजें होती रहती हैं। इसका पता मुझे कई साल पहले चला था। वे काम ऐसे ढंग से किये जाते हैं कि राजदूत को पता ही न चल सके। विभिन्न देशों की समाचार-एजेन्सियां अपने राजदूतों के अधीन नहीं रहती, उनका निर्देशन उस देश की सरकारें अपने प्रधान कार्यालयों द्वारा अलग से करती हैं।

जानकारी जुटाने की कोशिश तो जाहिर है हर देश करता है। कुछ उसे चतुराई से और कुछ दूसरे भौंडे ढंग से करते हैं। हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि इसका ब्यौरा सार्वजनिक बनाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। हमें उन देशों के साथ अपने सम्बन्धों को भी देखना पड़ता है।

कांगों में भेजे जाने वाले भारतीय सैनिकों के बारे में मैं बता ही चुका हूं। वे सुरक्षा परिषद् के मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक काम करने के लिये भेजे गये हैं। दूसरी चीज यह कि उनको कांगों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य, अन्य किसी भी देश की सेनाओं से नहीं लड़ना है। तीसरी यह कि वे कांगों के किसी भी जन आन्दोलन के दबानों का काम नहीं करेंगे। चौथे यह कि उनके अपने अधिकारी रहेंगे। वे अपनी टुकड़ियों में रहेंगे। उनको छोटी छोटी टुकड़ियों में यहां वहां बिखराया नहीं जायेगा।

एक सैनिक ही उनका जनरल कमांडर है। उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं। पर वह शायद आयरलैण्ड का है। लेकिन हमारी सेना की कमान एक भारतीय ब्रिगेडियर के अधीन रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र की सैनिक समिति कांगों में क्या काम करती है, इसकी मुझे जानकारी नहीं। हां, इतना मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र के महा मंत्री का सैनिक सचिव एक भारतीय अधिकारी है—ब्रिगेडियर रिखी।

इसके बारे में लिखा-पढ़ी तो हुई है, पर हमने सयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

आचार्य कृपालानी ने बेरूबाड़ी के मानवीय पक्ष का हवाला दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि हानि-लाभ दोनों को तौल कर देखा जाये, तो बेरूबाड़ी सम्बन्धी निर्णय कुल मिलाकर हमारे देश के हित में है। इस सभा ने एक बड़े बहुमत से उसका समर्थन किया है। यही नहीं, भारत-पाक करार के सिलसिले में पश्चिमी सीमा पर भी ठीक वैसी ही समस्या थी। वहां भी लगभग इतने ही भारतीयों और पाकिस्तानियों पर उसका असर पड़ा है। लेकिन वहां के लोगों ने इसे दूसरे तरीके से लिया। वहां पंजाब में लोगों ने खुशियां मनाईं ऐसे तबादले पर। कुछ लोग भारत में आगये, और कुछ यहां से पाकिस्तान चले गये। इसलिये पहले से कहा नहीं जा सकता कि किस इलाके के लोग किस चीज को किस ढंग से लेंगे, उनकी ठीक-ठीक प्रतिक्रिया क्या होगी। पूर्वी सीमा सम्बन्धी विवाद में एक आशंका यह पैदा हो गई थी कि कुछ लोगों को पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा। उनको यकीन दिलाया गया था कि उसका निबटारा हमारे हक में है।

आचार्य कृपालानी ने मेरी बात का हवाला दिया है। मैं ने तब कहा था, जरूर कहा था कि इस समस्या के मानवीय पक्ष पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया था। लेकिन तब मुझे यह नहीं मालूम था कि इसका असर कितने लोगों पर पड़ा है। तब मुझे इसकी पूरी-पूरी जानकारी नहीं थी। और देखा जाये, तो अभी तक मुझे इस की पूरी जानकारी नहीं है। कुछ अनुमान है, बस। इस लिये कि ठीक-ठीक मालूमात तो लाइन खिचने के बाद ही हो सकेगी।

माननीय सदस्य, श्री राम सेवक यादव ने कहा था कि पिछले साल मैंने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जाने का फैसला यही देख कर किया था कि इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री भी वहां जा रहे थे। उन के ख्याल में, इस का मतलब है कि हमारी नीति इंगलैण्ड की नीति को देखकर ही बनाई जाती है। माननीय सदस्य को शायद याद नहीं कि उसी वक्त सोवियत यूनियन के प्रधान मंत्री ने भी अपना फैसला बता दिया था, राष्ट्र संघ में जाने का। उसे देखने के बाद भी मैं ने अपना वह फैसला किया था। इस पर आप कह सकते हैं कि हम सोवियत यूनियन की नीति के साथ बंधे हुए हैं असल में उस मौके पर, वहां राष्ट्र संघ की बैठक में प्रधान मंत्रियों और राष्ट्रपतियों की एक खासी भीड़ लगी हुई थी। क्या अफ्रीकी, और क्या संयुक्त अरब गणतंत्र, वहां तो इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति तक मौजूद थे . . . . हमारी नीति दूसरों से मिलकर चलने की थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में अकेले रह कर चलना बड़ा कठिन है।

महारानी एलिजाबेथ के भारत भ्रमण के व्यय के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। मुझे अभी तक यह तो मालूम नहीं है कि कुल कितना व्यय हुआ था क्योंकि सारे भारत में उन पर व्यय किया गया था। लेकिन यह कहना कि बहुत खर्च किया गया था यह धारणा सरासर गलत और अतिरंजित है। महारानी एलिजाबेथ के भ्रमण का समय वही था जो कि हमारे यहां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। गणतंत्र दिवस की महत्ता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। उस पर भी अब अधिक व्यय होता है।

जहां तक कि राज्यक्षेत्र में हस्तान्तरण की बात है वह तो संसद ही कर सकती है। उसके लिये संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। वह इस से अधिक और कुछ नहीं हो सकता।

कार्यापालिका को कानूनन या संविधान के अधीन विदेशों में अपनी सेना भेजने की शक्ति प्राप्त है इन शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना ठीक न होगा। संविधान सरकार को यह

अधिकार देता है कि वह युद्ध की घोषणा कर सके। लेकिन युद्ध की घोषणा करना तो बहुत ही गम्भीर बात है। फिर सेना को भेजने का निर्णय करना तो आसान नहीं। फिर भी सेना भेजने का निर्णय करते समय हमने सभा को इसकी सूचना दी। अतः वर्तमान को न देखते हुए भविष्य का ख्याल करके आपातकालीन स्थिति में सेना आदि भेजने का निर्णय करने का अधिकार सरकार को मिलना चाहिये उस पर कोई प्रतिबन्ध आदि नहीं होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
१६	आदिम जाति क्षेत्र	९,८७,३३,०००
१७	नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र	३,४१,५३,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	११,२२,७७,०००
१९	पांडिचेरी राज्य	३,९५,८०,०००
२०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२,९९,८६,०००
११३	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८०,९६,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल के ११ बजे तक के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१

१३ चैत्र, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	४१०५—२९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२५७	पिछड़े क्षेत्र	४१०५–०६
१२५८	ग्रेफाइट संयंत्र	४१०७–०८
१२५९	सिक्किम में रेडि ो स्टेशन . .	४१०८–०९
१२६१	टाय ों का आयात	४११०—१३
१२६२	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का संशोधन . .	४११३—१५
१२६३	कलकत्ता में केन्द्रीय लोक–निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . . .	४११५
१२६४	मजूरी बोर्ड . .	४११५—१८
१२६६	कल्याण उपकर . . .	४११८
१२६७	मार्डन टेक्सटाइल मिल्स . . .	४११९—२१
१२७०	आसाम के विस्थापित व्यक्ति . .	४१२१—२५
१२७१	खादी संस्थायें . . .	४१२५–२६
१२७२	मूल्य स्तर	४१२६—२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१३	पश्चिमी बंगाल में आसामी निष्क्रान्त व्यक्तियों के शिविर .	४१२९—३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	४१३१—६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२६०	आइसोटोप्स का निर्यात	४१३१
१२६५	यूगोस्लाविया से प्रतिनिधि मंडल . . .	४१३१–३२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२६८	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन-क्रम .	४१३२
१२६९	थोरियम	४१३२–३३
१२७३	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लेखा पालन और लागत आंकने की व्यवस्था	४१३३
१२७४	मद्रास में हथकरघा बुनकर . . .	४१३४
१२७५	दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना . .	४१३४
१२७६	छिद्रण यंत्रों के पुर्जों का निर्माण .	४१३५
१२७७	निर्यात संवधन परिषदें . . .	४१३५
१२७८	दिल्ली के लिये तीसरी योजना .	४१३५–३६
१२७९	एन्नोर में उवरक कारखाना	४१३६
१२८०	बम्बई के अंग्रेजी भाषा के समाचारप द्वारा कागज की खरीद .	४१३६
१२८१	फास्फोरस संयंत्र . .	४१३७
१२८२	पटसन के कारखाने	४१३७
१२८३	केन्द्रीय फिल्म संस्था, पूना . .	४१३७–३८
१२८४	कूच-बिहार में पाकिस्तानियों द्वारा छापा .	४१३८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६४७	नई दिल्ली के लिये पुर्नविकास योजनायें	४१३८
२६४८	महात्मा गांधी	४१३९
२६४९	जम्मू काश्मीर युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण	४१३९
२६५०	लंका से भारतीयों का प्रव्रजन . .	४१३९
२६५१	महाराष्ट्र में खेती बाड़ी के औजार सम्बन्धी उद्योग .	४१३९–४०
२६५२	मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	४१४०
२६५३	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग	४१४०
२६५४	पंजाब में मधु-मक्खी पालन केन्द्र . . .	४१४०–४१
२६५५	मेले और प्रदर्शनियां	४१४१
२६५६	कांगड़ा में चाय उत्पादकों की सहका ी संस्थाएं .	४१४१
२६५७	फरीदाबाद उद्योगों में काम करने वाले विस्थापित व्यक्ति	४१४१–४२
२६५८	दिल्ली की विस्थापित लोगों की बस्तियों में नागरिक सेवायें .	४१४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६५९	अणु शक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे	४१४२
२६६०	उत्प्रवास परिपत्र	४१४२–४३
२६६१	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	४१४३
२६६२	संयुक्त प्रबन्ध परिषद	४१४३
२६६३	लंका को प्लाईवुड का निर्यात	४१४४
२६६४	दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४१४४–४५
२६६५	कनाडा के साथ व्यापार	४१४५
२६६६	राजस्थान से लोहा अयस्क का निर्यात	४१४६
२६६७	महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य	४१४६
२६६८	प्रतिनिधिमंडलों के चुनाव का आधार	४१४६
२६६९	मशीनों के सहायक पुर्जों का निर्माण	४१४७
२६७०	पश्चिम पाकिस्तान में न्यासों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्तियां	४१४७–४८
२६७१	माधोपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	४१४८
२६७२	साबुन निर्माताओं के लिये चर्बी	४१४८–४९
२६७३	औद्योगीकरण लक्ष्य	४१४९
२६७४	बर्मा में बन्दी भारतीय	४१४९
२६७५	लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्त्ति	४१५०
२६७६	संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों में भारतीय	४१५०–५१
२६७७	अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन	४१५१
२६७८	फिल्मों का निर्यात	४१५२
२६७९	ट्रैक्टरों और खेती बाड़ी के औजारों का निर्माण	४१५२
२६८०	वेस्पा स्कूटर पर सड़क कर	४१५२–५३
२६८१	बर्मा में नजरबन्द भारतीय	४१५३
२६८२	इम्फाल में जल-संभरण	४१५३–५४
२६८३	आन्ध्र प्रदेश में रेशम कारखाना	४१५४
२६८४	स्नेप फासनर्स उद्योग	४१५४–५५
२६८५	अखबारी कागज का आयात	४१५५–५६
२६८६	सस्ते रेडियो का निर्माण	४१५६–५७
२६८७	मद्रास में चमड़ा उद्योग	४१५७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६८८	ट्रकों और बसों के लिये टायरों का आवंटन	४१५७–५८
२६८९	मद्रास में नमक का कारखाना . . .	४१५८
२६९०	ऋण प्रत्याभूति योजना . . .	४१५८–५९
२६९१	भारत चीन मैत्री संघ	४१५९
२६९२	चाय के मूल्य में वृद्धि	४१५९
२६९३	नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय और सेना प्रधान कार्यालय के लिये इमारत	४१६०
२६९४	पटसन की वस्तुओं का उत्पादन	४१६०
२६९५	पटसन में वायदा व्यापार	४१६०–६१
२६९६	उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक का संयुक्त अरब गणराज्य का दौरा	४१६१
२६९७	सिलाई की मशीन बनाने वाले कारखाने .	४१६१
२६९८	शीशे की सिरिंज . . .	४१६१–६२
२६९९	निर्यात संवर्द्धन	४१६२
२७००	नागाओं द्वारा आक्रमण	४१६२
२७०१	वनस्पति का निर्यात	४१६३
२७०२	न्यूटन—चिकली कोयला खान दुर्घटना में जांच . .	४१६३
२७०३	मद्रास राज्य में आय वर्ग आवास योजना . . .	४१६३
२७०४	मद्रास राज्य में निम्न आय-वर्ग आवास योजना . .	४१६३–६४
२७०५	मुगले-आजम	४१६४
स्थगन प्रस्ताव		४१६४—६७

अध्यक्ष महोदय ने बस्तर में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा हाल ही में चलाई गई गोली के बारे में, जिसके फलस्वरूप १२ व्यक्ति मारे गये और अन्य कई घायल हुये, तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, स० मो० बनर्जी, और तंगामणि तथा राजा महेन्द्र प्रताप द्वारा दी गई थी, गृह-कार्य मंत्री के इस विषय में वक्तव्य दे देने के बाद प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		४१६७

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने लिस्बन से १६०० पुर्तगाली सैनिकों के गोआ भेजे जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१६७–६८

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये:—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची ६ में कुछ परिवर्तन करने वाली दिनांक २२ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१४ की एक प्रति ।

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तृतीय संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ४१६८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने ३० मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१ को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक—सभा-पटल पर रखा गया . ४१६८

सचिव ने उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१ को, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखा ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ४१६८

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २७ मार्च, १९६१ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ सभा-पटल पर रखा ।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४१६९

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . ४१६९—४२११

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१ / १४ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

श्रम और योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगें पर चर्चा और मत दान ।

GMGIPND—LS III—253(Ai) LSD— 18-5-61—125.